सूचना विवरणिका

2019-2020

लक्ष्मीबाई कॉलेज

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

अशोक विहार फेस 3 दिल्ली 110052

शैक्षणिक-सत्र

अकादमिक-कैलेण्डर

स्नातक और परास्नातक कोर्स के लिए के लिए निम्न अकादमिक कैलेण्डर का परिपालन किया जाए।

सेमेस्टर I/III/V

सत्र आरंभ- **20** जुलाई **2019 (**शनिवार)

सेमेस्टर मध्यवर्ती अंतराल- **7** अक्टूबर **2019** से सोमवार से **13** अक्टूबर **2019** रविवार

नोटः दशहरा- **8.10.2019 (**मंगलवार)

मध्यवर्ती अंतराल के पश्चात् पुनः सत्रारंभ- **14** अक्टूबर **2019 (**सोमवार)

कक्षाएँ समाप्त, परीक्षा की तैयारी हेतु अवकाश और प्रायोगिक परीक्षाएँ- **16** नवंबर **2019 (**शनिवार)

परीक्षाएँ आरंभ-**30** नवंबर **2019 (**शनिवार)

शीतकालीन अवकाश- **17** दिसंबर **2019** गुरुवार से **31** दिसम्बर **2019** मंगलवार तक

सेमेस्टर II/IV/VI

सत्रारंभ- **1** जनवरी **2020 (**बुधवार)

मध्यवर्ती सेमेस्टर- **9** मार्च **2020 (**सोमवार से)

अंतराल- **15** मार्च **2020 (**रविवार)

नोटः होली- **20.3.2020 (**बुधवार)

पुनः सत्रारंभ (मध्यवर्ती अंतराल के उपरांत)- **16** मार्च **2020 (**सोमवार)

कक्षाएँ समाप्त**,** परीक्षा की तैयारी हेतु अवकाश प्रायोगिक परीक्षाएँ- **28** अप्रैल **2020 (**सोमवार)

परीक्षाएँ- **11** मई **2020 (**सोमवार)

ग्रीष्मकालीन अवकाश- **26** मई **2020 (**मंगलवार से) **19** जुलाई **2020 (**रविवार तक)

मेरिट के आधार पर रचनात्मक कोर्स की प्रवेश सूचिका- 2019-2019

कट-ऑफ	गतिविधि	दिनांक
	ऑनलाइन पंजीकरण	30.5.2019 22.6.2019
प्रथम कट-ऑफ	विभिन्न कॉलेजों द्वारा जारी की गई अंक सूची (प्रथम कट-ऑफ) के अंतर्गत	28 जून 2019
	प्रमाण-पत्रों की जाँच और प्रवेश की अनुमति प्रक्रिया	28.6.2019- 1.7.2019
द्वितीय कट-ऑफ	विभिन्न कॉलेजों द्वारा द्वितीय कट-ऑफ के अंतर्गत जारी की गई अंक-तालिका (सूची)	4.7.2019
	प्रमाण-पत्रों की जाँच और प्रवेश की अनुमति प्रक्रिया	4.7.2019- 6.7.2019
तृतीय कट-ऑफ	विभिन्न कॉलेजों द्वारा तृतीय कट-ऑफ के अंतर्गत जारी की गई अंक सूची	9.7.2019
	प्रमाण पत्रों की जाँच और प्रवेश की अनुमति	9.7.2019- 11.7.2019
चतुर्थ कट-ऑफ	विभिन्न कॉलेजों द्वारा चतुर्थ कट-ऑफ के अंतर्गत जारी की गई अंक सूची (आवश्यकतानुसार)	15.7.2019
	प्रमाण पत्रों की जाँच और प्रवेश की अनुमति	15.7.2019- 17.7.2019
पंचम कट-ऑफ	विभिन्न कॉलेजों द्वारा पंचम कट-ऑफ के अंतर्गत जारी की गई अंक-तालिका (आवश्यकतानुसार)	20.7.2019
	प्रमाण-पत्रों की जाँच और प्रवेश की अनुमति	20.7.2019- 23.7.2019

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में आपका स्वागत है

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि हम ज़मीन से जुड़े ऐसे बेहतर नागरिक तैयार कर सकें जो जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें और स्वयं को महान वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह साबित कर सकें।हमारा कॉलेज प्रत्येक स्तर पर विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

हमने कई प्रकार की नई पहल की है जैसे -सीखने के साथ-साथ कमायें, सहकर्मी परामर्श, स्वच्छता एवं हरित मिशन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई, ऐड ऑन कोर्सेस (2-डी,3-डी), एनीमेशन डिजाइन कोर्स, रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता ,विदेशी भाषा ज्ञान, जनसंचार एवं कौशल विकास, छात्र परिषद ,व्यायाम शाला, कौशल केंद्र ,स्वास्थ एवं कल्याण केंद्र ,योगाभ्यास साधना कक्ष ,परामर्श सुविधाएं ये हमारे महाविद्यालय की नियमित गतिविधियों का हिस्सा हैं जो छात्राओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं। महाविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को उनकी बौद्धिक, भावनात्मक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के साथ समग्र शिक्षा और सभी प्रकार की सीखने की सुविधा प्रदान करके सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकता को बढ़ावा देना है।

लक्ष्मीबाई कॉलेज मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराता है जो छात्रों और महाविद्यालय प्राधिकारियों के बीच संवाद का माध्यम है तथा महाविद्यालय परिसर से सम्बंधित समस्याओं का समाधान करता है।

हमारे शिक्षक और छात्र मिलकर इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं न केवल भौतिक उपलब्धियों और तरक्की के लिए बल्कि भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी जिससे कि आने वाली पीढ़ियां सुन्दर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दे सकें ।

डॉ.प्रत्यूष वत्सला

प्राचार्या

घोषणा

यद्यपि इस सूचना की सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए अथक प्रयास किया गया है परन्तु यहां निहित सामग्री केवल सांकेतिक है इसका कानूनी उद्देश्य से उपयोग नहीं किया जा सकता है। दी गई जानकारी केवल लक्ष्मीबाई कॉलेज की पेशकश की जाने वाली पाठ्यक्रमों से संबंधित है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के सूचना बुलेटिन का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है या दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। निहित सूचना - प्रासंगिक नियमों, विनियमों, अध्यादेशों और दिल्ली विश्वविद्यालय के कानूनों के हिसाब से अंतिम रूप से मान्य होगी। किसी भी तरह के बदलाव और स्पष्टीकरण के लिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज की वेबसाइट lakshmibaicollege.in और नोटिस बोर्ड से पुष्टि करने की सलाह दी जाती है।

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय

संचालक समूह

लक्ष्मीबाई कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

क्रमांक	नाम	पद
1.	प्रो. कैलाश नारायण तिवारी	अध्यक्ष
2.	प्रो. पामेला सिंगला	कोषाध्यक्ष
3.	डॉ. प्रत्यूष वत्सला	सदस्य सचिव
4.	डॉ. कृष्णा चौधरी	शिक्षक प्रतिनिधि
5.	डॉ. सुचेता गाबा	शिक्षक प्रतिनिधि
6.	श्री देवेश	गैर शैक्षणिक प्रतिनिधि

दाखिला समिति 2019-2020

प्राचार्या	डॉ. प्रत्यूष वत्सला
नोडल अधिकारी और संयोजक	डॉ. अलका हरनेजा
सदस्य	डॉ. अंजू, सुश्री लक्ष्मी
बी.ए. प्रोग्राम एडमिशन समिति	(संयोजक)श्रीमती प्रमिला
सदस्य	डॉ. निर्मल शाहिद, डॉ. रेणु जैन
परामर्श और शिकायत समिति	डॉ. रितु गोयल, डॉ. गीता सहारे, सुश्री रुचि आहूजा
एस.सी. / एस.टी. सहायता केंद्र	सुश्री सुमन सोनकर, डॉ. नीलम
पी.डब्ल्यू.डी. छात्रा सहायता केंद्र	डॉ. बबिता वर्मा, डॉ. अंशु सिंह
पाठ्यक्रम	शिक्षक प्रभारी
बिजनेस इकोनॉमिक्स	डॉ. मीनू
वाणिज्य	सुश्री अमिता मल्होत्रा
अर्थशास्त्र	डॉ. सोनिका सिंघवी
अंग्रेजी	डॉ. रुचि मुंडेजा
हिंदी	डॉ. मीनू खनेजा
इतिहास	डॉ. गीता आर्या
गणित	डॉ. पूनम सरोही
दर्शनशास्त्र	डॉ. मानसी गुप्ता
राजनीति विज्ञान	डॉ. अमृता शिल्पी
संस्कृत	डॉ. डोलामनि आर्या
इ.सी.ए. कमेटी	डॉ. राजश्री रॉय, डॉ. रेणु जैन
डी.यू. ईसीए ट्रायल कोऑर्डिनेटर (क्विज)	डॉ. अमृता शिल्पी
महिला हेल्पलाइन	181, 112, 132, 1091

अनुक्रमणिका

1	शैक्षणिक कैलेंडर	02
2	प्रवेश अनुसूची	03
3	प्राचार्या का सन्देश	04
4	घोषणा	05
5	संचालक समूह	06
6	दाखिला समिति 2019-2020	07
7	महाविद्यालय के विषय में	11-13
8	छात्रों की प्रवेश क्षमता	14
9	कॉलेज - खेल प्रवेश क्षमता	15
10	कॉलेज - इसीए प्रवेश क्षमता	16
11	पाठ्यक्रम की उपलब्धता	16
12	बी.ए. (प्रोग्राम) के लिए संयोजन	17
13	सी.बी.सी.एस. के तहत संरचना बी.ए. प्रोग्राम / बी.कॉम. प्रोग्राम	17
14	सी.बी.सी.एस. के तहत बी.ए. ऑनर्स / बी.कॉम. ऑनर्स	19
15	सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम	20
16	ऐड ऑन कोर्सेस (पूरक पाठ्यक्रम)	22

17	प्रवेश दिशानिर्देश और अनुसूची	24-25
18	आरक्षण और छूट	26-29
19	विषयों की सूची	30
20	सीबीएसइ के अलावा अन्य बोर्डों के लिए विशेष निर्देश	31
21	अतिरिक्त पात्रता मानदंड पाठ्यक्रम	32-36
22	स्नातक प्रवेश प्रक्रिया	36-38
23	दाखिले के बाद की प्रक्रिया	38
24	छात्रों के लिए सुविधाएं	39-48
25	वित्तीय सहायता	48
26	शैक्षणिक आवश्यकताएँ	49
27	छात्रों के लिए महत्वपूर्ण समितियाँ	49-53
28	सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां	54-64
29	प्राध्यापकों की उपलब्धियां	65-66
30	छात्रों की उपलब्धियां	66
31	विभिन्न विभागों के विषय में	67-73
32	पुरस्कार / उपलब्धियां	73-77
33	वर्ष 2018-19 की कट-ऑफ लिस्ट	77

34	वार्षिक शुल्क 2019-2020 का विवरण	78
35	महाविद्यालय परिसर के नियम	80
36	अनुबंध I	82
37	अनुबंध II	83
38	अनुबंध III	85
39	अनुबंध IV-V	87
40	अनुबंध VI	90
41	अनुबंध VII	99
42	अनुबंध VIII	104
43	अनुबंध IX	105
44	अनुबंध X	109
45	अनुबंध XI	110
46	फोटो गैलरी	112-120

महाविद्यालय के विषय में

लक्ष्मीबाई कॉलेज महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक है। यह कॉलेज 1965 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महान वीरांगना देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की याद में लक्ष्मीबाई कॉलेज रखा गया। उनकी भव्य और जीवंत प्रतिमा कॉलेज के लॉन में सुसज्जित है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है। कॉलेज की अपनी अच्छी तरह से सुसज्जित इमारत, फैला हुआ लॉन, खेल मैदान और स्टाफ क्वार्टर हैं। इसका एक स्थानीय लाभ है क्योंकि यह दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट है। कॉलेज के ठीक सामने हरा भरा अशोका गार्डन है, जो कॉलेज के पर्यावरण को और भी निखारता व बढ़ाता है।

लक्ष्मीबाई कॉलेज अपने शिक्षकों की शैक्षणिक प्रतिबद्धता पर गर्व करता है, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के सहारे कॉलेज में एक अनुकूल शैक्षणिक वातावरण बनाया है। 2018-19 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। जिसमें अंग्रेजी ऑनर्स की छात्राएं वसुंधरा और यशिका अनेजा को अंतिम वर्ष परीक्षा के चार पेपर में उच्य नंबर प्राप्त करने पर सर सी.पी. "**रामास्वामी अय्यर अंग्रेजी निबंध पुरस्कार**" से सम्मानित किया गया ।

लक्ष्मीबाई कॉलेज विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के ऐड ऑन कोर्सेज / पूरक पाठ्यक्रम, एनएसडीसी कौशल पाठ्यक्रम जैसे एनीमेशन डिजाइन और अन्य अंग्रेजी संचार, महिला और कानूनी साक्षरता पाठ्यक्रम चलाता है । इसके अलावा लक्ष्मीबाई कॉलेज को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान में ऑनर्स के लिए पाठ्यक्रम की भी मंजूरी मिली है।

कॉलेज ने एक शानदार शैक्षणिक भवन जी + 4 का निर्माण ओबीसी से प्राप्त अनुदान जो 13 करोड़ है, से निर्माण कार्य शुरू किया है जिसका भूमि पूजन मार्च में संपन्न हुआ। कॉलेज लगातार बेहतरी की ओर उन्मुख हो रहा है जिसमें छात्रों के परीक्षा परिणाम संतोषजनक से अधिक हैं। प्रथम वर्ष के छात्र प्रदर्शन में उत्कृष्टता रखते हैं। जिसमें 98 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी (ऑनर्स) और 95 प्रतिशत छात्र हिंदी (ऑनर्स) में पास हुए ।

अधिकांश पाठ्यक्रमों में बी.ए.(प्रोग्राम), बी.कॉम(प्रोग्राम), बी.कॉम(ऑनर्स), राजनीति विज्ञान, गणित, दर्शनशास्त्र, इतिहास, संस्कृत और अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में पास होने वाले छात्रों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक रही है। साथ ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी 85 प्रतिशत से अधिक छात्रों का परिणाम संतोषजनक रहा है।

द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्राओं ने भी इस अकादमिक वर्ष में असाधारण प्रदर्शन किया है। बी. कॉम (प्रोग्राम), बी. कॉम(ऑनर्स) जैसे पाठ्यक्रमों में 90 प्रतिशत से अधिक छात्र उत्तीर्ण रहे हैं। गणित, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष का परिणाम 90 प्रतिशत रहा। बी. कॉम (ऑनर्स) तृतीय वर्ष में रिकॉर्ड 99 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों ने दोनों वर्षों में अपने-अपने पाठ्यक्रमों में उच्च अंक प्राप्त करके हमें गौरवान्वित किया है। शिक्षाविदों के अलावा हमारे कॉलेज के खेल, एन.सी.सी और एन.एस.एस में भी उत्कृष्टता है यह बहुत गौरव की बात है। लक्ष्मीबाई कॉलेज की एन.एस.एस इकाई के लिए हमें गर्व है कि हमारे स्वयंसेवकों में से एक प्रिया कुमारी को गणतंत्र दिवस परेड कैंप 2019 का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका मिला। लक्ष्मीबाई कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज (एसडब्ल्यू) होने के लिए एन.सी.सी एचीवर्स अवार्ड से दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली के एनसीसी पूर्व छात्र क्लब द्वारा सम्मानित किया गया।

हमारी छात्राएं महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के सम्बन्ध में बहुत जागरूक हैं और वे लगातार भेदभाव और उत्पीड़न से रहित सामुदायिक निर्माण के लिए प्रेरित हैं। छात्राओं की रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है उनका विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेना, जिन्हें शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन में पूरा किया जाता है। यह सामूहिक प्रयास है उन सभी के लिए जिन्हें एनआइआरएफ द्वारा 101 से 150 के रैंक बैंड में रखा गया है जिसमें हमारा कॉलेज 30 वें स्थान पर है और इंडिया टुडे कॉलेज रैंकिंग द्वारा क्रमशः मानविकी और वाणिज्य में 43 वें स्थान पर है।

किसी भी संस्था के विकास में उसका बुनियादी ढांचा रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। बीते कुछ वर्षों में कॉलेज ने छात्राओं, संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अपनी आधारिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्रेच (परवरिश), छात्रों के विकास के लिए आठ कक्षाओं (पोर्टा केबिन) का निर्माण; क्रियान्वित परिसर में बिजली की फिटिंग; नई सीवर लाइन; वर्षा जल

संचयन; कॉलेज प्रवेश द्वार; ओपन जिम; स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 76.8W का सोलर पैनल स्थापित किया गया है। हाल ही में कुछ और निर्माण योजनाओं के साथ एक योगा कक्ष और पार्किंग के पास एक प्रतीक्षालय भवन का निर्माण किया गया है। पुस्तकालय से जुड़ी हुई तिमंजली इमारत है जो विश्वकर्मा भवन के नाम से जानी जाती है। कैंटीन क्षेत्र का विकास, खेल का मैदान, शौचालय, ओपन स्टेज, फुटपाथ का निर्माण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए महाविद्यालय के प्रांगण के बीच में एक एल्म्युनियम शेड का निर्माण किया गया है। मेडिकल रूम, गर्ल्स कॉमन रूम और पांच अन्य कमरों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाना है।

पुस्तकालय द्वार पर प्रवेश के लिए आर.एफ.आई.डी. मशीन की व्यवस्था है। पुस्तकालय को एल्म्युनियम शेड से विभाजित करके उसको व्यवस्थित किया गया है। कक्षाओं व गर्ल्स कॉमन रूम के लिए नए फर्नीचर खरीदे गए हैं और पुस्तकालय की छत के साथ वाले प्रांगण को कवर किया गया है। उच्च शिक्षा की तकनीकी प्रगति में कॉलेज ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परिसर के अंदर सभी तरह के लेनदेन के लिए आर.एफ.आई.डी. कार्ड की शुरुआत की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय और शायद भारत का पहला कॉलेज है जिसमें कैशलेस कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। यह कार्ड सभी छात्राओं को एक पहचान देता है और उन्हें कॉलेज के भीतर कैशलेस लेनदेन करने की अनुमति भी देता है। कॉलेज ने अपना मोबाइल ऐप और सूचना प्रसारण के लिए आकर्षित डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था भी की है जो विभिन्न क्षेत्रों की सूचना को पहुँचाने का कार्य कर रहा है।

पिछले पांच दशकों में कॉलेज ने कला और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ लगभग 3800 छात्राएं हैं। कॉलेज अपने स्तर को बढ़ाने के लिए रविवार और अन्य छुट्टियों में नॉन कॉलेजिएट और इग्नू शिक्षण का कार्य भी कराता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज अकादमिक उत्कृष्टता और मानवतावाद के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने छात्राओं को प्रशिक्षित कर स्व-शासन और उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास को प्रोत्साहित करते हैं। कॉलेज की गतिविधियों और सामूहिक कार्यों से छात्राओं को ऊर्जा मिलती है जिससे छात्राओं के अंदर सामाजिक समन्वय की भावना पनपती है। यह हम सभी के लिए बहुत संतोष और गर्व की बात है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है।

(इ.डब्ल्यू.एस. विस्तार के तहत 10% वृद्धि के साथ)

पाठक्रम नाम	क्षमता 2019-2020 (110%)	यू.आर. (50%)	एस.सी (17%)	एस.टी. (8%)	ओबीसी. (30%)	इ.डब्लू.ऐस. (5%)	पी.डब्ल्यू. डी . (5%)	सुपरनुमेरी		जे. एंड के.
								इ.सी.ऐ. (1.5%)	खेल (3.5%)	
बी.ए. प्रोग्राम	468	213	72	34	128	21	22	7	15	2
बी.ए. ऑनर्स अर्थशास्त्र	51	23	8	4	14	2	3	1	2	-
बी.ए. ऑनर्स अंग्रेजी	51	23	8	4	14	2	3	1	2	-
बी.ए. ऑनर्स हिंदी	51	23	8	4	14	2	3	1	2	-
बी.ए. ऑनर्स इतिहास	51	23	8	4	14	2	3	1	2	-
बी.ए. ऑनर्स गणित	51	23	8	4	14	2	3	1	2	-
बी.ए. ऑनर्स दर्शनशास्त्र	51	23	8	4	14	2	3	1	2	2
बी.ए. ऑनर्स राजनीति विज्ञान	101	46	16	7	27	5	5	1	4	-
बी.ए. ऑनर्स संस्कृत	51	23	8	4	14	2	3	1	2	2
बी.कॉम. प्रोग्राम	204	93	31	15	56	9	3	3	7	2
बी.कॉम. ऑनर्स	101	46	16	7	27	5	1	1	4	2
बी.बी.ई.	33	15	5	2	9	2	-	-	-	-

कॉलेज के आधार पर पोजीशन / इवेंट / वेट केटेगरी के आधार पर गेम्स और खेलों की सूची
कॉलेज में खेल केटेगरी के आधार पर प्रवेश के लिए -

क्रमांक	खेल का नाम	खेल की पोजीशन का नाम	उपलब्ध सीट
1	तीरंदाजी	रिकर्व	2
2	कुश्ती	53 कि.ग्रा.	1
3	वालीबाल	सेटर	1
4	वालीबाल	स्पाइकर	4
5	सॉफ्टबॉल	इनफील्ड	3
6	सॉफ्टबॉल	आउटफील्ड	2
7	सॉफ्टबॉल	कैचर	1
8	सॉफ्टबॉल	पिचर	1
9	नेटबॉल	गोल कीपर	1
10	नेटबॉल	सेण्टर	1
11	नेटबॉल	गोल अटैक	1
12	खो-खो	चैसर	2
13	खो-खो	रनर	2
14	कबड्डी	रेडर	2
15	कबड्डी	कार्नर	2
16	जूडो	63 कि.ग्रा.	1
17	जूडो	57 कि.ग्रा.	1
18	क्रिकेट	आल राउंडर	1
19	क्रिकेट	बैट्सवुमन	2
20	क्रिकेट	मीडियम पेसर	1
21	मुक्केबाज़ी	+81 कि.ग्रा.	1
22	मुक्केबाज़ी	69 कि.ग्रा.	1
23	मुक्केबाज़ी	64 कि.ग्रा.	1
24	मुक्केबाज़ी	60 कि.ग्रा.	1
25	एथलेटिक्स	जेवलिन थ्रो	1
26	एथलेटिक्स	लॉन्ग जम्प	1
27	एथलेटिक्स	हाई जम्प	1
28	एथलेटिक्स	5000 मीटर	1
29	एथलेटिक्स	1500 मीटर	1

30	एथलेटिक्स	400 मीटर	1
31	एथलेटिक्स	100 मीटर	1
32	तीरंदाजी	कम्पाउंड	2

केटेगरी कोड	केटेगरी	सब केटेगरी कोड	सीट
1	नृत्य	2a. भारतीय शास्त्रीय वाद्य	5
2	वाद-विवाद (डिबेट)	3a. विवाद (हिंदी) 3 b. विवाद (अंग्रेजी)	2 2
3	डिजिटल मीडिया	4 a. फोटोग्राफी 4 b. फिल्म मेकिंग	1 1
4	ललित कला	5 a. स्केचिंग और पेंटिंग	1
5	संगीत स्वर (वोकल)	6 a. भारतीय शास्त्रीय और लाइट	2
6	संगीत वाद्य भारतीय	7 g. भारतीय बांसुरी वादन	1
7	थियेटर	थियेटर	2
8	प्रश्नोत्तरी (क्विज)	क्विज	2

कॉलेज द्वारा दिए जाने वाले पाठ्यक्रम

स्नातक / अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज	**स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम**
बी.ए. अर्थशास्त्र ऑनर्स	एम.ए. दर्शनशास्त्र
बी.ए. अंग्रेजी ऑनर्स	एम.ए.राजनीति विज्ञान
बी.ए. हिंदी ऑनर्स	एम.ए. संस्कृत
बी.ए. इतिहास ऑनर्स	**सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स**
बी.एससी गणित ऑनर्स	बी.ए. ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स
बी.ए. दर्शनशास्त्र ऑनर्स	ऐड ऑन शार्ट टर्म / लघु अवधि कोर्सेज /पाठ्यक्रम
बी.ए. राजनीति विज्ञान ऑनर्स	महिला और कानूनी साक्षरता,
बी.ए. संस्कृत ऑनर्स	प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम
बी.कॉम ऑनर्स	विदेशी भाषाएँ
बी.कॉम (प्रोग्राम)	(चीनी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच),

बी.ए. प्रोग्राम	अंग्रेजी भाषा और व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम, 2D और 3D और स्टॉप मोशन, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल - AZIKSA.COM

डिसिप्लिन कोर्सेज का संयोजन कॉलेज के बी.ए. प्रोग्राम 2019 -2020 में प्रवेश हेतु

क्रमांक	डिसिप्लिन 1 /स्वीकरण1	डिसिप्लिन 2 / स्वीकरण 2	**कुल सीटें**
1	राजनीति विज्ञान	इतिहास	**55**
2	राजनीति विज्ञान	खाद्य प्रौद्योगिकी	**20**
3	राजनीति विज्ञान	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	**30**
4	राजनीति विज्ञान	पंजाबी	**10**
5	राजनीति विज्ञान	शारीरिक शिक्षा	**40**
6	राजनीति विज्ञान	दर्शनशास्त्र	**25**
7	इतिहास	संस्कृत	**25**
8	इतिहास	संगीत	**10**
9	इतिहास	हिंदी	**30**
10	अर्थशास्त्र	विज्ञापन एसएमएसपी	**50**
11	अर्थशास्त्र	अंग्रेज़ी	**30**
12	अर्थशास्त्र	अंक शास्त्र / गणित	**20**
13	दर्शनशास्त्र	एडीसी	**25**
14	दर्शनशास्त्र	खाद्य प्रौद्योगिकी	**25**
15	दर्शनशास्त्र	अंक शास्त्र / गणित	**10**
16	दर्शनशास्त्र	नागरिक शास्त्र	**30**
17	नागरिक शास्त्र	संगीत	**08**
18	नागरिक शास्त्र	पंजाबी	**10**
19	नागरिक शास्त्र	एडीसी	**15**

कुल सीट संख्या – 458

ध्यान दें: छात्रों को दी गयी सूची में से डिसिप्लिन कोर्सेस के संयोजन / कॉम्बिनेशन चुनने अनिवार्य है

बी.कॉम (प्रोग्राम) / बी.ए. (प्रोग्राम) (सीबीसीएस योजना के अनुसार संरचना)

	कोर कोर्सेस	योग्यता संवर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम - २ (एइसीसी - 2)	कौशल संवर्धक पाठ्यक्रम - 2 (एसइसी-2)	अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक – 4 (डीएसइ - 4)	सामान्य वैकल्पिक - 2 (जी.इ- 2)
1	अंग्रेजी / एमआइएल डीएससी- 1ए. डीएससी -2 ए.	अंग्रेजी / एमआइएल कम्युनिकेशन/ पर्यावरण विज्ञान			
2.	एमआइएल / अंग्रेजी - 1 डीएससी -1 बी. डीएससी -2 बी.	पर्यावरण विज्ञान / अंग्रेजी/हिंदी एमआइएल कम्युनिकेशन			
3	एमआइएल / अंग्रेजी -2 डीएससी-1 सी. डीएससी -2 सी.		एसइसी-1		
4	अंग्रेज़ी / एमआइएल. 2 डीएससी -1 डी. डीएससी -2 डी.		एसइसी-2		
5			एसइसी -3	डीएससी -1 ए डीएससी -2 ए	जी.इ - 1
6			एसइसी -4	डीएससी -1 ए डीएससी -2 ए	जी.इ- 2

बी.ए. /बी.कॉम. / बी.एस.सी. ऑनर्स कोर्सेस/ पाठ्यक्रम - सीबीसीएस योजना के अनुसार संरचना

सेमेस्टर 1	सेमेस्टर 2
• एइसीसी - कम्युनिकेशन • अंग्रेजी/हिंदी/इविएस • ऑनर्स कोर पेपर 1 • ऑनर्स कोर पेपर 2 • जी.इ	• एइसीसी – इविएस/कम्युनिकेशन • अंग्रेजी/हिंदी • ऑनर्स कोर पेपर 3 • ऑनर्स कोर पेपर 4 • जी.इ
सेमेस्टर 1 अथवा 2 की छात्रों के लिए एइसीसी**और जी.इ (जेनेरिक) किसी असंबंधित डिसिप्लिन से चुना गया सीबीसीएस के अंतर्गत पढ़ना अनिवार्य है ।**	
सेमेस्टर 3	सेमेस्टर 4
• ऑनर्स कोर पेपर 5 • ऑनर्स कोर पेपर 6 • ऑनर्स कोर पेपर 7 • जी.इ • एसइसी	• ऑनर्स कोर पेपर 8 • ऑनर्स कोर पेपर 9 • ऑनर्स कोर पेपर 10 • जी.इ • एसइसी
एसइसी – (कौशल संवर्धक पाठ्यक्रम) - मूल्य आधारित है और इनका उद्देश्य दक्षताओं कौशल आदि प्रदान करना है ।	
सेमेस्टर 5	सेमेस्टर 6
• ऑनर्स कोर पेपर 11 • ऑनर्स कोर पेपर 12	• ऑनर्स कोर पेपर 13 • ऑनर्स कोर पेपर 14

• डीएसइ पेपर 1 • डीएसइ पेपर 2	• डीएसइ पेपर 3 • डीएसइ पेपर 4
डीएसइ - अनुशासन विशिष्ट चुनिंदा पेपर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे ।	

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली – चयन **बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)**

सी.बी.सी.एस. छात्रों को दिए गए पाठ्यक्रम से चयन वैकल्पिक / लघु या कौशल आधारित पाठ्यक्रम चुनने का अवसर देता है । पाठ्यक्रम का मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली मूल्यांकन के आधार पर होता है, जो पारंपरिक अंक मूल्यांकन से बेहतर माना जाता है।

कोर कोर्स : एक कोर्स, जिसे अनिवार्य रूप से एक उम्मीदवार द्वारा कोर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

भारत के संपूर्ण उच्चतर शिक्षा में एक सामान्य ग्रेडिंग प्रणाली में इसे पुनर्स्थापित किया है। इससे छात्रों को भारत के शैक्षणिक संस्थानो में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। समान ग्रेडिंग प्रणाली से चयनकर्ताओं को उम्मीदवारों के प्रदर्शन का पता लगाने में मदद मिलेगी। मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सी.जी.पी.ए) की गणना करने के लिए यू.जी.सी ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश पेश किए हैं।

चयन **आधारित क्रेडिट सिस्टम** / चयन **बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की रूपरेखा सीबीसीएस :**

1. **कोर कोर्स**: एक कोर्स, जिसे अनिवार्य रूप से एक उम्मीदवार द्वारा कोर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
2. **वैकल्पिक पाठ्यक्रम**: आम तौर पर एक कोर्स जिसे पाठ्यक्रम की बहुलता से चुना जा सकता है वह अनुशासन / विषय के लिए बहुत विशिष्ट या सहायक हो सकता है। यह एक विस्तृत अध्ययन है जिसमें उम्मीदवार स्वयं को बेहतर प्रदर्शित कर सकता है। यह उम्मीदवार की दक्षता / कौशल को पोषित करता है जिसे वैकल्पिक कोर्स कहा जाता है।

2.1अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक (डीएसइ) पाठ्यक्रम : मुख्य अनुशासन पाठ्यक्रम छात्रों को वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर देता है। जिसे डिसिप्लिन / अनुशासन / अध्ययन के विषय को अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक के रूप में जाना जाता है। विश्वविद्यालय / संस्थान अंतःविषय के अनुशासन से संबंधित वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकता है।

2.2 डिजरटेशन/ लघु शोध : एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम जो विशेष या उच्च ज्ञान देता है। परियोजना के काम के लिए अध्ययन या समर्थन अध्ययन के पूरक शिक्षक / संकाय

सदस्य द्वारा एक सलाहकार समर्थन के साथ उम्मीदवार अपने दम पर इस तरह के पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है जिसे शोध प्रबंध / परियोजना कहा जाता है।

2.3 जेनेरिक वैकल्पिक (जी.इ) कोर्स: एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम आमतौर पर एक असंबंधित विषय से चुना जाता है। अनुशासन / विषय, एक्सपोजर की तलाश करने के इरादे से जेनेरिक वैकल्पिक कहा जाता है। एक अनुशासन / विषय में पेश किए गए मूल पाठ्यक्रम को दूसरे द्वारा वैकल्पिक के रूप में माना जा सकता है। अनुशासन / विषय और इसके विपरीत और ऐसे ऐच्छिक को जेनेरिक के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।

3. **क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम (एइसी) / योग्यता संवर्धक पाठ्यक्रम / कौशल संवर्धक पाठ्यक्रम / फाउंडेशन कोर्स**: पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं : एक अनिवार्य पाठ्यक्रम (एइसीसी) और दूसरा वैकल्पिक पाठ्यक्रम (एसइसी)। **एइसीसी** पाठ्यक्रम उन सामग्री के आधार पर है जो ज्ञान वृद्धि को जन्म देते हैं। कोर्स से ज्ञान की वृद्धि होती है वे हैं (i) पर्यावरण विज्ञान, (ii) अंग्रेजी / हिंदी एमआइएल (सम्प्रेषण) यह सब कोर्सेस / पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य है। **एसइसी** मूल्य-आधारित या कौशल-आधारित पाठ्यक्रम है, जो प्रशिक्षण, दक्षताओं, कौशल, आदि प्रदान करते हैं यह मूल्य आधारित पाठ्यक्रम से सम्बंधित होते हैं।

   3.1 एइसीसी - पर्यावरण विज्ञान, (एमआइएल) अंग्रेजी / हिंदी सम्प्रेषण।

   3.2 एइइसी - इन पाठ्यक्रमों को मूल्य- आधारित या कौशल- आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के एक पूल से चुना जा सकता है। प्रोजेक्ट वर्क / शोध एक विशेष पाठ्यक्रम है जिसमें वास्तविक जीवन की स्थिति / कठिन समस्या को हल करने / विश्लेषण करने / जानने में ज्ञान के अनुप्रयोग किया जाता है **।**

   3.3 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम एसइसी – एसइसी मूल्य आधारित हैं और प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करने के उद्देश्य से पाठ्क्रम का हिस्सा है ।

एक परियोजना / शोध कार्य 6 क्रेडिट का होगा। एक डिसिप्लिन विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम के बदले में एक परियोजना / शोध कार्य दिया जा सकता है।

चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम / चयन बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत संरचना से संबंधित जानकारी, पेपर्स के नाम और विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के अन्य विवरणों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक देखें। http://www.du.ac.in/du/index.php?page=undergraduate

ऐड ऑन/शॉर्ट टर्म / सर्टिफिकेट कोर्सेस

प्रख्यात प्रशिक्षण भागीदारों और सहयोगियों के सहयोग से ।

महिला और कानूनी साक्षरता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम दिल्ली राज्य विधिक सेवा के सहयोग से प्राधिकरण (डी.सी.एल.एस.ए.)

पाठ्यक्रम का उद्देश्य: सामाजिक श्रृंखला और संविधान, महिलाओं से संबंधित कानूनों और आपराधिक न्याय प्रणाली की समझ के लिए उन्हें सक्षम और सशक्त बनाने के लिए छात्राओं के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करना। **समन्वयक**: डॉ. अलका हरनेजा और डॉ. संगीता शर्मा alka@lb.du.ac.in से संपर्क करें

कोर्स शुल्क: 1000 / - रु।

अवधि: एक सेमेस्टर

विदेशी भाषा में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

चीनी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स

जापानी में सर्टिफिकेट कोर्स

पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्पेनिश में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

जर्मन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

फ्रेंच में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

जर्मनिक और रोमन अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम का उद्देश्य:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुवाद, द्विभाषियों, पर्यटक गाइड, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में विभिन्न रास्ते

खोलना ।

- छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए।
- इन भाषाओं में आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें सक्षम करें।

कोर्स की प्रकृति: सर्टिफिकेट कोर्स / डिप्लोमा

समन्वयक: डॉ. रश्मिता बेहरा

संपर्क: rashmitabehera@lb.du.ac.in

कोर्स शुल्क: 17000 / - रु। (सर्टिफिकेट कोर्स / डिप्लोमा के लिए)

अवधि: एक वर्ष

सर्टिफिकेट कोर्स 2 डी और 3 डी और स्टॉप मोशन कोर्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के सहयोग से निगम (एन.एस.डी.सी.)

पाठ्यक्रम समन्वयक: सुश्री लक्ष्मी

संपर्क: laxmi lbc@lb.du.ac.in

अंग्रेजी संचार और व्यक्तित्व विकास/ इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स

पाठ्यक्रम समन्वयक: डॉ. रितु सूरी

संपर्क करें: ritukumar@lb.du.ac.in

मीडिया पर पाठ्यक्रम

संपर्क: media@lb.du.ac.in

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय

1. **स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश** 2019.20

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता.आधारित (कक्षा **12**वीं के बोर्ड/अर्हता परीक्षाओं में प्राप्तांक) या प्रवेश परीक्षा.आधारित (इच्छुक छात्र द्वारा चयनित पाठ्यक्रम पर आधारित लिखित/व्यावहारिक परीक्षाओं के आधार पर) हैं।

सभी आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल http://ug.du.ac.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। वर्ष **2019.20** के लिए सभी स्नातक प्रवेश केवल इस पोर्टल के माध्यम से ही दिए जाएंगे।

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड

1. आवेदक को भारत नागरिक होना अनिवार्य है। (विदेशी छात्रों की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक आवेदक विदेशी छात्रों के पंजीकरण वेबसाइट http://fsr.du.ac.in. पर अलग से आवेदन करें)

2. आवेदक को भारत में या विदेश में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा **10+2** प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा **12**वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदक को योग्यता और पात्रता की गणना के लिए आवश्यक प्रत्येक विषय में अलग-अलग 'उत्तीर्ण' होना अनिवार्य है (प्रायोगिक परीक्षा यदि कोई हो तो)। 'कम्पार्टमेंट' परिणाम वाले आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

4. स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से अंतर वर्षों वाले आवेदक को कोई नुकसान नहीं होगा।

5. अनारक्षित/अजा, अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के अंतर्गत आवेदक सभी महाविद्यालयों/विभागों के पाठ्यक्रमों (अल्पसंख्यकों के महाविद्यालयों को छोड़कर, जहाँ कुछ श्रेणियाँ लागू नहीं भी हो सकती है) में योग्यता और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।

6. सिख और इसाई अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदक अल्पसंख्यक कोटा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी प्रवेश ले सकते हैं।

निम्नलिखित श्रेणियों को 'अधिसंख्य' नामित किया जाता हैः

(i) दिव्यांग (विकलांग व्यक्ति),

(ii) सीडब्ल्यू (पैरा.मिलिट्री सहित सशस्त्र बलों के सदस्यों के बच्चे/विधवाएँ),

(iii) केएम (कश्मीरी प्रवासी),

(iv) जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति,

(v) एसएस (सिक्किम के नामांकित छात्र),

(vi) डब्ल्यूक्यू (वार्ड कोटा),

(vii) ईसीए (पाठ्येत्तर कार्यकलाप),

(viii) खेल।

उपर्युक्त i से viii तक की श्रेणियाँ उन पाठ्यक्रमों पर लागू होती है जहाँ प्रवेश योग्यता के आधार पर होता है। उपर्युक्त i और ii श्रेणियाँ केवल उन पाठ्यक्रमों पर लागू होती है जहाँ प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होता है।

1.1 ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क

अनारक्षित/अपिव के लिए योग्यता.आधारित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	रुपए **250**
अ.जा./अ.ज.जा/दिव्यांग/इडब्ल्यूएस के लिए पंजीकरण शुल्क	रुपए **100**
इसीए/खेल के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रुपए **100**
अनारक्षित/अपिव के लिए प्रत्येक प्रवेश.परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रुपए **750**
अ.जा/अ.ज.जा/दिव्यांग/इडब्ल्यूएस के लिए प्रत्येक प्रवेश परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क	रुपए **300**

ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के बाद ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होती है।

पंजीकरण शुल्क, बाद के चरण में आवेदक को पाठ्यक्रम या संबंधित श्रेणी के लिए अयोग्य पाए जाने सहित किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक को जांचने की सलाह दी जाती है कि वे जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति आवेदक के अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन है। यदि कोई आवेदक संबंधित पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए निर्धारित किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होता है, तो आवेदक स्वयं के जोखिम और लागत पर ऐसा करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पात्रता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो यदि प्रवेश दिया गया है, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

आरक्षण एवं रियायत (छूट)

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पंजीकरण नियम

(i) कुल स्थानों में से **22.5%** स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। (अनुसूचित जाति के लिए **15%** और अनुसूचित जनजाति के लिए **7.5,** आवश्कता पड़ने पर अपर्वतीय)

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया अनुबंध -1देखें।

नोटः अ. जाति/अ. जनजाति आवेदक जिन्होंने आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत प्रवेश किया है उन्हें आरक्षित कोटे अर्थात् **22.5%** (अ.जाति के लिए **15%** और अ. जनजाति के लिए **7.5%**) आवेदकों में नही पाया जायेगा।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) (नॉन क्रीमी लेयर, केन्द्रीय सूची) से सम्बन्धित आवेदकों के लिए **27%** सीटें आरक्षित हैं।

विस्तृत जानकारी के लिये कृपया अनुबंध – II देखें।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के आवेदकों के लिए आरक्षण

दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचिना संदर्भ संख्या एसीए/ईडब्ल्यू आरक्षण/**2019/63, 28** मार्च **2019** और संदर्भ संख्या एसीए/इडब्ल्यूएस आरक्षण/**2019/101** दिनांक **15** मई **2019** के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (इडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए आरक्षण हेतु विश्वविद्यालय के विभागों/महाविद्यालयों/ केन्द्रों ने इस शैक्षणिक वर्ष **2019.2020** से उनके प्रवेश हेतु **10%** स्थानों को आरक्षित किया है। ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण उपरोक्त अधिसूचिनाओं में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। अनुबंध. III में इसका प्रारूप उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के विश्वविद्यालय की निम्न वेबसाइट पर जायें.

(http://www.du.ac.in/updoads/ Notification/04042019.Natification Euls Pdfand http://www.du.ac.in/du/indexphp? mact = News Chtmtto, detcil, ocntnto/ antide id = 23723 cnttolrety rmid = 83) हिन्दी में करना है।

अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों (ईसीए) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

इसीए श्रेणी में आवेदन करने के लिए **100** रुपये का (अनारक्षित/अपिव/अ.जा./अ.ज.जा./ दिव्यांग/इडब्ल्यूएस) अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क देना होगा।

1 मई **2016** से **30** अप्रैल **2019** तक की अवधि के लिए आवेदकों को केवल एक प्रमाण पत्र (सर्वोच्च उपलब्धियुक्त) जारी करने की अपेक्षा है। प्रत्येक प्रासंगिक श्रेणी में जिसमें वे अपनी

भागीदारी के प्रमाण के रूप में आवेदन करना चाहते हैं। अंतिम परीक्षण के लिए चयनित होने पर उन्हें सभी प्रासंगिक प्रमाण.पत्र मूल्योंकन के लिए ले जाने चाहिए।

(क) खेल/ इसीए कोटा के लिए केवल उच्चतम स्तर का प्रमाण पत्र ही सामन्य होगा। खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन और उसके अंक विश्विद्यालय के वेब पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

(ख) इसीए श्रेणी के तहत दाखिला लेने वाले सभी आवेदकों से सम्बन्धित सूचना महाविद्यालयों के पास है। सभी नामांकित कॉलेज स्नातक प्रवेश खेल/इसीए से सम्बन्धित दिशा निर्देश का पालन करेगें। (अनुबन्ध IV एवं V)

(ग) खेल/इसीए से जुड़ी गतिविधियों की सूची प्रत्येक कॉलेज अपनी वेबसाइट और विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर उपलब्ध कराएंगे।

सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए आरक्षण

(क) सशस्त्र सैनिक बलों के बच्चों, विधवाओं, अधिकारियों की पत्नी एवं कश्मीरी प्रवासियों के लिए भी ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा है। पंजीकरण का शुल्क खण्ड. **1** के अनुसार होगा। प्रवेश से सम्बन्धित जानकारी अनुबंबध. VI में होगी।

(ख) प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित आवेदकों को सीधे कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा।

दिव्यांगों के लिए स्थानों का आरक्षण

सं. निःशक्तता व्यक्ति अधिनियम, **2016** के अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत स्थान आरक्षित है। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी निर्दिष्ट विकलांगता (**40**%) से कम नहीं है जहाँ निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है। यह ध्यान रखा जाय कि निःशक्तता अधिनियम **1995** के साथ पूर्ववर्ती व्यक्ति जिसके तहत प्रवेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पहले प्रदान किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुबन्ध. VII देखें।

आवेदक को पंजीकृत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी आवेदक का फोटो लगा हुआ वैध निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(i) वार्ड कोटा के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक को ऑनलाईन पंजीकरण फार्म भरना होगा। इस श्रेणी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। आवेदक का नाम, अभिभावक का नाम, कार्यस्थान पंजीकरण फार्म में अवश्य भरें। महाविद्यालय अनुबंध

VIII में दिये गये दिशा निर्देशों को पूरी तरह से मानता है। (एसी संकल्प संख्या **206** दिनांक **27.7.1996** के)

1. 30.05.2019 (बृहस्पतिवार) उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा आठ बजे सांय। प्रवेश प्रक्रिया की अनुसूची संलग्न है।

2. मई, **31, 2019,** जून **3** और **9, 2019** को सुबह **10.00** बजे से दोपहर **1.30** बजे तक कॉनफ्रेंस सेंटर नॉर्थ कैम्पस में गेट नम्बर **4** में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **4, 6, 7** और **10, 2019** को सुबह **10.00** से दोपहर **1.30** बजे तक कमला नेहरू महाविद्यालय, राजधानी महाविद्यालय, रामलाल आनंद महाविद्यालय, जाकिर हुसैन महाविद्यालय और महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय से स्नातक प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

3. कॉलेज ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदकों को सहायता प्रदान हेतु 'हेल्प डेस्क' का आयोजन करेंगे।

4. उन पाठ्यक्रमों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी जिनके लिए आवेदक स्नातक पंजीकरण फार्म से आवेदन कर सकता है।

5. नॉन.कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में प्रवेश की प्रक्रिया अनुबंध के अनुसार होगी।

6. सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/श्रेणियों/अनारक्षित/अ.पि.व./अ.जा./अन.जाति/ दिव्यांगों/ ज. एवं क.) के लिये कट ऑफ सूचियों की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी।

7. कॉलेज उन सभी आवेदकों को स्वीकार करेगा जो घोषित कट ऑफ मानदंडों को पूरा करते हैं। 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति नहीं अपनाई जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने संबंध महाविद्यालयों के माध्यम से कला, सामजिक विज्ञान, अनूप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी, वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन, गणितीय विज्ञान, विज्ञान और अंतर-विभागीय और अनुप्रयुक्त विज्ञानों जैसे विभिन्न संकायों के अंतर्गत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। पाठ्यक्रम और पात्रता के विभिन्न मापदंड नीचे सूचीबद्ध हैं। आवेदकों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि वे अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

2.1 योग्यता आधारित स्नातक प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम-वार योग्यता सूची

दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों/विभागों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित पाठ्यक्रम-वार और श्रेणी-वार योग्यता सूची का पालन किया जाएगा।

कला, वाणिज्य, गणितीय विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी के संकायों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदक द्वारा दर्ज किए गए अंक पाठ्यक्रम.विशिष्ट संयोजनों के 'श्रेष्ठ चार' के कुल अंकों की गणना के आधार पर तथा विज्ञान ओर अनुप्रयुक्त विज्ञानों के संकायों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, 'तीन विषयों' के रूप में काम करेंगे। इसे महाविद्यालय/विभागों द्वारा प्रथम कट ऑफ की घोषणा से पहले प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

जिन आवेदकों के अंक सुझाए गए पाठ्यक्रम और श्रेणी-वार योग्यता सूची के प्रकाशन के बाद अद्यतन किए जाते हैं, उनके लिए अनुलग्नक के रूप में, एक अलग अद्यतन योग्यता सूची प्रकाशित की जाएगी।

उक्त योग्यता सूची की सुविधा के लिए, आवेदक सूची क और सूची ख से प्रासंगिक विषय चुन सकता है।

2.1.1. पाठ्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड में छूट

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के आवेदकों की पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, उनको अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित संबंधित पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रवेश योग्यता में 5% तक की छूट की जाएगी। यदि, 5% छूट देने के बाद भी, ये आरक्षित स्थान खाली रहते हैं, तो संबंधित पाठ्यक्रम में सभी आरक्षित स्थानों को भरने के लिए आगे आवश्यक सीमा तक छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में योग्यता उत्तीर्णता प्रतिशत मात्र है।
- अपिव श्रेणी के आवेदकों की पात्रता और योग्यता निर्धारित करने के लिए, उन्हें अर्हता परीक्षा से संबंधित पात्रता में, अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित पात्रता अंकों में 10% छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम पात्रता 50% है, तो अपिव श्रेणी के लिए न्यूतम पात्रता 45% होगी।
- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को पात्रता की अर्हता परीक्षा में सम्बद्ध पाठ्यक्रम की संबंधित पात्रता में 5% की सीमा तक छूट दी जाएगी।
- सीडब्ल्यू श्रेणी के आवेदकों को पात्रता परीक्षा में सम्बद्ध पाठ्यक्रम की संबंधित पात्रता में 5% की दी जाएगी।
- इडब्यूएस श्रेणी के अंतर्गत योग्यता आधारित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड अनारक्षित श्रेणी के समान होगा।

2.1.2 विषयों की सूची

सूची क : भाषा विषय

सूची क 1 सूची क 2

असमी मुख्य/ असमी वैकल्पिक	गुजराती मुख्य/ गुजराती वैकल्पिक	मैथिली मुख्य/मैथली वैकल्पिक	ओडिया मुख्य/ ओडिया वैकल्पिक	तमिल मुख्य/ तमिल वैकल्पिक	अरबी मुख्य/ अरबी वैकल्पिक
बंगाली मुख्य/					
बंगाली वैकल्पिक	हिंदी मुख्य/ हिंदी वैकल्पिक	मलयालम मुख्य/ मलयालम वैकल्पिक	पंजाबी मुख्य/ पंजाबी वैकल्पिक	तेलगु मुख्य/ तेलगु वैकल्पिक	फ्रेंच मुख्य/ फ्रेंच वैकल्पिक
बोडो मुख्य/ बोडो वैकल्पिक	कन्नड़ मुख्य कन्नड़ वैकल्पिक	मणिपुरी मुख्य/ मराठी वैकल्पिक	संस्कृत मुख्य/संस्कृत वैकल्पिक	उर्दू मुख्य/ उर्दू वैकल्पिक	जर्मन मुख्य/ जर्मन वैकल्पिक
डोगरी मुख्य/ डोगरी वैकल्पिक	कश्मीरी मुख्य/ कश्मीरी वैकल्पिक	मराठी मुख्य/ मराठी वैकल्पिक	संथाली मुख्य/ संथाली वैकल्पिक		इतालवी मुख्य/ इतावली वैकल्पिक
अंग्रेजी मुख्य/ अंग्रेजी वैकल्पिक	कोंकणी मुख्य/ कोंकणी वैकल्पिक	नेपाली मुख्य/ नेपाली वैकल्पिक	सिंधी मुख्य/ सिंधी वैकल्पिक		स्पेनिश मुख्य/ स्पेनिश वैकल्पिक

सूची ख (वैकल्पिक विषय)

लेखाशास्त्र	कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर अनुप्रयोग आसूचना पद्धतियाँ	गणित
नृविज्ञान	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र/ तर्क और दर्शनशास्त्र
जीव विज्ञान/जैव रसायन/ जैव प्रौद्योगिकी	भूगोल	भौतिकी
व्यापार गणित	भू विज्ञान	राजनीति विज्ञान

रसायन विज्ञान	इतिहास	दर्शनशास्त्र
नागरिक विज्ञान	गृह विज्ञान	समाज विज्ञान
वाणिज्य और व्यापार अध्ययन	विधिक अध्ययन	सांख्यिकी

2.1.3. सीबीएसइ के अलावा अन्य बोर्डों के लिए विशेष निर्देश

1. यदि पेपर का शीर्षक ऊपर की सूची क और सूची ख में निर्दिष्ट शीर्षकों से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक के लिए अनिवार्य होगा कि उसने जिस अंतिम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो उस संस्थान के प्राचार्य/प्रमुख से यह प्रमाणित करते हुए एक विषय तुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान करें, कि पेपर की सामग्री एनसीईआरटी की कक्षा XII के पाठ्यक्रम समकक्ष है। इस तुल्यता प्रमाण पत्र के साथ पेपर के पाठ्यक्रम की प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित एक प्रति संलग्न हेनी चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

2. यदि आवेदक ने 'वनस्पति विज्ञान' और 'प्राणी-विज्ञान' का अलग-अलग अध्ययन किया है, तो इन दोनों पत्रों के कुल अंक आपके प्रवेश-आवेदन पत्र में दिए गए 'जीवविज्ञान' शीर्षक के अंतर्गत सैद्धांतिक और प्रायोगिक अंकों के संबंधित क्षेत्रों में दर्ज किए जाने चाहिए।

3. यदि आवेदक के अंकपत्र में कक्षा xi और XII दोनों के अंक हैं, तो आवेदक को प्रवेश-आवेदन पत्रों में दिए गए संबंधित क्षेत्रों में केवल कक्षा XII के अंक दर्ज करने होंगे।

4. आवेदकों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर पेपर में सैद्धांतिक घटक **70**% से कम हो तब भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक घटक वाले किसी भी पेपर के लिए केवल **70**% (सिद्धांत) **30**% (व्यावहारिक) के अनुपात पर विचार किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन प्रवेश-आवेदन पत्र में, अपने अंकपत्र के अनुसार अंक सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक और कुल योग अलग-अलग भरना चाहिए। यदि सैद्धांतिक और प्रायोगिक का विभाजन निर्दिष्ट नहीं है, तो आवेदक को संबंधित सैद्धांतिक और प्रायोगिक क्षेत्र में '**0**' (शून्य) और ऑनलाइन प्रवेश-आवेदन प्रपत्र में केवल कुल योग दर्ज करना होगा।

5. किसी भी गणना के लिए अकंपत्र मं वर्णित आंतरिक मूल्यांकन अंक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. सैद्धांतिक और प्रायोगिक या इनके योग से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में किसी भी विसंगति की जिम्मेदारी केवल आवेदक की होगी। आपका आवेदन प्रपत्र तत्काल निरस्त किया जा सकता है।

2.2 **कला/सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में योग्यता-आधारित प्रवेश**

'श्रेष्ठ चार' संयोजन हेतु अंकों की गणना के लिए अधिकतम दो भाषा विषयों की अनुमती हैं।

न्यूतनतम प्रतिशत आवश्यक एवं विशिष्ट आवश्यकताएँ

पाठ्यक्रम

बी.ए (ऑनर्स) अंग्रेजी	अर्हता परीक्षा में अंकों का कुल योग **45%** योग्यता का निर्धारण एक भाषा तथा तीन श्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर किया जायेगा। आवेदक ने अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ी तथा उत्तीर्ण भी हो और श्रेष्ठ चार की गणना के लिए अंग्रेजी को शामिल किया हो।
बी.ए (ऑनर्स) हिन्दी	अर्हता परीक्षा में अंकों का कुल योग **45%** योग्यता का निर्धारण एक भाषा तथा तीन श्रेष्ठ अकादमिक/ वैकल्पिक विषयें के आधार पर किया जाएगा। आवेदक ने अर्हता परीक्षा में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ी तथा उत्तीर्ण की हो और श्रेष्ठ चार की गणना के लिए हिंदी को शामिल किया हो। किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड से अंकों के सम्पूर्ण योग में न्यूनतम **40%** अंक के साथ माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण और हिन्दी में 'प्रभाकर' छात्र भी प्रवेश हेतु योग्य होगा। हिन्दी (ऑनर्स) में प्रवेश हेतु आवेदक ने अर्हता परीक्षा में सम्बन्धित भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ी तथा उत्तीर्ण की हो और श्रेष्ठ चार की गणना के लिए सम्बन्धित भाषा को शामिल किया हो।
बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत	अर्हता परीक्षा में अंकों का कुल योग **45%** अंकां के कुल योग में **40%** और सम्बद्ध विषय में **50%** अंक प्राप्त करने वाले आवेदक भी उपयुक्त ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य होगा/योग्यता का निर्धारण एक भाषा तथा तीन श्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर किया जायेगा। किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड से अंकों के सकल योग में न्यूनतम **40%** अंक के साथ माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण और नीचे उल्लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक उपयुक्त आनर्स पाठ्यक्रम में

	प्रवेश के लिय योग्य होगा शास्त्री (संस्कृत) आवेदक को संस्कृत भाषा के आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु श्रेष्ठ चार के प्रतिशत में 2% का अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा, यदि उसने उसी भाषा का चयनित/वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। अर्हता परीक्षा में जिस भाषा का अध्ययन नहीं किया गया है उस भाषा के ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले आवेदक के श्रेष्ठ चार के प्रतिशत में 5% की कटौती की जाएगी।
बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास/राजनीति विज्ञान/ दर्शनशास्त्र	अर्हता परीक्षा में अकों का कुल यांग 45% योग्यता का निर्धारण एक भाषा तथ तीन श्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर किया जायेगा। बी.ए. (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र में प्रवेश श्रेष्ठ चार जो कि एक भाषा तथा तीन श्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषय जो समाहित किये गये हों उनके प्रतिशत के आधार पर होगा।
बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	अर्हता परीक्षा में अंको का कुल योग 45% योग्यता का निर्धारण एक भाषा तथा तीन श्रेष्ट अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर किया जायेगा। बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र में प्रवेश हेतु आवेदक ने अर्हता परीक्षा में गणित अनिवार्य रूप से पढ़ी तथा उत्तीर्ण की हो।
बी.ए. प्रोग्राम (शिक्षण विषय आधारित प्रवेश मानदंड)	अर्हता परीक्षा में अंको का कुल योग 40% योग्यता का निर्धारण एक भाषा तथा तीन श्रेष्ठ अकादमिक/वैकल्पिक विषयों के आधार पर किया जायेगा। एक भाषा (मुख्य/वैकल्पिक/कार्यात्मक)। किन्हीं तीन वैकल्पिक विषयों का चयन किया जा सकता है। यदि बी.ए. (प्रो.) में प्रवेश हेतु विषय वर्ग के परिवर्तित होने पर जिसका तात्पर्य वाणिज्य से विज्ञान वर्ग अथवा विज्ञान से कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान वर्ग में परिवर्तित होने से है, श्रेष्ठ चार के प्रतिशत में अधिकतम 5% की कटौती की जा सकती है। किसी गैर सूचीबद्ध विषय सूची क और ख में परिगणित वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त को भी श्रेष्ठ चार की गणना में बिना किसी कटौती के शामिल किया जा सकता है।

	यदि श्रेष्ठ चार की गणना में एकाधिक गैर सूचीबद्ध विषय शामिल किये जाते हैं तो विषय वर्ग के परिवर्तित होने के कारण की जा चुकी कटौती से अतिरिक्त श्रेष्ठ चार के प्रत्येक विषय में 2.5% की कटौती की जा सकती है टिप्प्णी- **1.** महाविद्यालय के विषय-वर्ग के परिवर्तित होने के कारण होने वाली अधिकतम 5% वास्तविक कटौती को विश्वविद्यालय को प्रदान करने के साथ तथा अपनी वेबसाइट पर सूचित होने से पहले ही अधिसूचित करना होगा। **2.** यदि श्रेष्ठ चार की गणना में एकाधिक गैर सूचीबद्ध विषय शामिल किये जाते हैं तो विषय-वर्ग के परिवर्तित होने के कारण की जा चुकी कटौती से अतिरिक्त श्रेष्ठ चार के प्रत्येक विषय से 2.5% की कटौती की जा सकती है।

अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और चयन का आधार
बी.ए. (ऑनर्स) व्यावसायिक अर्थशास्त्र	अंग्रेजी, गणित और सूची 'ब' में शामिल किसी भी दो अन्य विषयों सहित चार विषयों में, अर्हता परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंकों का कुल योग। चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत से प्राप्त रैंक और अर्हता चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत से प्राप्त रैंक और अर्हता चयन प्रवेश में उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर होगा। जिसमें मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर होगा। जिसमें मुख्य परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करने होंगे तथा योग्यता परीक्षा में 35% अंक। प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों की जाँच की जायेगी - मात्रात्मक क्षमता तर्क एवं विश्लेषणात्मक योग्यता सामान्य अंग्रेजी व्यवसाय और सामान्य जागरूकता

	गणित विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता आधारित प्रवेश
पाठ्यक्रम	न्यूनतम प्रतिशत आवश्यक एवं विशिष्ट आवश्यकताएँ
बीएससी (ऑनर्स) गणित/सांख्यिकी	गणित में **50%** और अर्हता परीक्षा में अंकों का कुल योग **45%**। योग्यता का निर्धारण एक भाषा, गणित और दो श्रेष्ठ वैकल्पिक/अकादमिक विषयों के आधार पर किया जायेगा।

वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन संकाय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में योग्यता आधारित प्रवेश

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और योग्यता सूची हेतु पाठ्यक्रमानुसार विषय संयोजन
बी.कॉम. (आनर्स)	अर्हता परीक्षा में अंकों का कुल योग **45%** बी.कॉम. (आनर्स) में प्रवेश हेतु आवेदक ने अर्हता परीक्षा से गणित/ व्यावसायिक गणित अनिवार्य रूप से पढ़ी तथा उत्तीर्ण की हो। एक भाषा एवं तीन श्रेष्ठ विषयों को समाहित करते हुए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अधोलिखित तरीके से चयन किया जाएगा। अंग्रेजी/हिंदी में **45%** या उससे अधिक का कुल योग और निम्नलिखित विषयों में से श्रेष्ठ तीन का संयोजनः गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य। श्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली ऊपर उल्लिखित सूची ख से अतिरक्त किसी अन्य विषय को शामिल करने पर कुल योग से प्रति विषय **1%** की कटौती होगी। श्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली उल्लिखित सूची क एवं ख से अतिरिक्त किसी अन्य विषय को शामिल करने पर श्रेष्ठ चार के कुल योग से प्रति विषय **2.5%** की कटौती होगी।
बी.कॉम.	अर्हता परीक्षा में अंकों का कुल योग **40%** एक भाषा एवं तीन श्रेष्ठ विषयों को समाहित करते हुए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अधोलिखित तरीके से चयन किया जाएगा। अंग्रेजी/हिंदी में **40%** या उससे अधिक का कुल योग और निम्नलिखित

	विषयों में से श्रेष्ठ तीन का संयोजनः गणित, लेखा, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य। श्रेष्ठ तीन के संयोजन वाली ऊपर उल्लिखित सूची ख से अतिरिक्त किसी अन्य विषय को शामिल करने पर कुल योग से प्रति विषय 1% की कटौती होगी।

2.7 योग्यता-आधारित स्नातक प्रवेश प्रक्रिया

चरण **1:** आवेदक अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल का उपयोग करता है, अपने पंजीकरण प्रपत्र को भरता है, अपनी रुचि के पाठ्यक्रम चुनता है, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है। (पोर्टल का उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए अनुलग्नक देखें)। अपने प्रपत्र (फॉर्म) को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। प्रपत्र में आपके द्वारा दर्ज की गई अधिकांश जानकारियों को प्रपत्र जमा करने के बाद संपादित करना और सुधारना संभव नहीं होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि तक अंकों के अद्यतन की अनुमति दी जाएगी।

चरण **2**: केवल ऑनलाइन मोड में पंजीकरण शुक्ल का भगतान करके पंजीकरण पूरा करें। लेन.देन आईडी, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और लेनदेन की तारीख को भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में रखें।

चरण **3:** कट.ऑफ अंकों की सूची की घोषणा के बाद आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे उन महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की सूची से महाविद्यालय और पाठ्यक्रम चुनने के लिए प्रवेश पोर्टल पर लॉग इन करें।

चरण **4:** आवेदक प्रवेश पोर्टल से फॉर्म का प्रिंट आउट और आवश्यक दसतावेजों के साथ अपनी फोटोकॉपी और **3** नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय में जाए।

चरण **5:** आवेदक महाविद्यालय में दस्तावेजों और सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रति को प्रस्तुत करता है, जिसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवेश को मंजूरी देते हैं।

यदि सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो महाविद्यालय अंतिम प्रवेश देगा। फोरेंसिक सत्यापन के लिए स्नातक प्रवेश के अंतिम दिन के बाद, एक सप्ताह के भीतर अनंतिम रूप से प्रविष्ट छात्रों को महाविद्यालय के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विफल होने पर महाविद्यालय उक्त छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

सभी महाविद्यालय उन सभी आवेदकों को स्वीकार करेंगे और घोषित कट.ऑफ मानदंडों को पूरा करते हैं। 'पहले आओ पहले पाओ' नीति नहीं होगी।

प्रत्येक कट ऑफ की निर्धारित अवधि के बाहर देर से आने वाले लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(एन.1) कट आफ सूची के योग्य आवेदकों पर, रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान पहली कट ऑफ विषय के तीसरे दिन के अंतिम घंटे में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

चरण **6:** आवेदक को शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पर एक लिंक प्राप्त होगा, जिसको केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि संस्था प्रमुख द्वारा प्रवेश की स्वीकृति के बाद 24 घंटे के भीतर विलंब शुल्क का भुगतान करें, लेनदेन की आईडी युक्त पावती पर्ची सहेजें, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग विवरण और भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में लेन देन की तारीख को सहेजें। शुल्क के सफल भुगतान पर, आवेदक को उक्त महाविद्यालय में अंतिम प्रवेश दिया जाता है।

चरण 7: विषय परिवर्तन/कॉलेज बदलना! उत्तरवर्ती सूचियों में यदि आवेदक स्वयं का नाम सूची में पता है तो उसे अन्य कॉलेज या विषय में स्वयं की योग्यता/पात्रता सुनिश्चित करनी होगी, कॉलेज या विभाग के समक्ष आवेदकों को यह अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक जरुरतों / सावधानियों को बरतने की सलाह दी जाती है। अन्य कॉलेज और विषय में प्रवेश लेने हेतु उन्हें अपने पूर्व आवेदन पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश रद्द करना होगा और नए आवेदन हेतु फार्म भरना होगा तथा 4-6 चरण पूर्ण करने होंगे।

सलाह. कृपया ध्यान से कॉलेज की कट ऑफ सूची को जाँचने के पश्चात् ही प्रवेश को रद्द करें। एक बार प्रवेश रद्द हो जाने पर आपको दूसरे कॉलेज में भी प्रवेश के लिए योग्य नहीं पाया जाएगा अतः कॉलेज कट ऑफ ध्यान से देखकर ही दूसरे कॉलेज में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।

चरण 8: उत्तरवर्ती सूची के आधार पर प्रवेश रद्द कराने पर फीस का भुगतान डैशबोर्ड के वॉलेट खंड में दिखाई देगा। रद्दीकरण शुल्क 1000/. की कटौती की जाएगी और शेष राशि डैशबोर्ड के वॉलेट में परिलक्षित होगी।

प्रत्येक कॅटऑफ पर एक ही रद्दीकरण स्वीकार्य होगा रद्दीकरण की संख्या (1), जहाँ पर कट ऑफ सूचियों की कुल संख्या है, करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

चरण 9: प्रवेश सुनिश्चित हो जाने पर आवेदन को प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा जो चरण 6 में निर्देशित है। प्रवेश शुल्क स्वचालित रूप से समायोजित कर दिया जायेगा, यदि

फीस पहले से किसी अन्य कॉलेज में भुगतान की गई फीस की तुलना में अधिक है तो / यदि कम है तो शेष राशि आवेदक के खाते में कॉलेज / विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रवेश बंद हो जाने पर लौटा दी जाएगी।

चरण 10: एक बार आवेदक का प्रवेश निश्चित हो जाने पर, उसे एक घोषणा जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के नियम संकलित हैं पर हस्ताक्षर करने होंगे।

अतिरिक्त जानकारी.

एक एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यू / ईवीएस / केएम / आवेदकों को पात्रता प्रतिशत में छूट प्राप्त है। अधिक जानकारी के लिए धारा 4 और 5 देखें।

4. आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग.

अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिए जो मेरिट सूची योग्यता के अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित होगी आवेदक उसमें शामिल होंगे। कोई भी इससे बाहर नहीं रखा जायेगा। दूसरे शब्दों में, एससी/एसटी/ओबीसी/इडब्ल्यूएस के आवेदकों को भी सम्मिलित किया जाएगा यदि अनारक्षित श्रेणी के लिए योग्यता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

सी.डब्ल्यू के आवेदकों के लिए कॉलेज मेरिट के आधार पर, आवंटित किए जाएँगे।

अनुसूची के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

जो प्रवेश, प्रवेश-परीक्षा के आधार पर होगा, उन पाठ्यक्रमों के परामर्श के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

आवेदकों से यह विनम्र अनुरोध है कि वे स्वयं को अनुबंध या स्नातकीय सूचना बुलेटिन 2019 में दिए गए विश्वविद्यालय के सभी प्रासंगिक अध्यादेशों के साथ स्वंय को परिचित कराएँ।

प्रवेश के उपरांत

महत्वपूर्ण सूचना

- एक बार यदि उम्मीदवार ने प्रवेश सुनिश्चित कर लिया, प्रवेश-फीस और प्रवेश-प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं का निर्वाह करने के उपरांत, तब ऐसी स्थिति में, विश्वविद्यालय के नियमानुसार अमुक कॉलेज में विशिष्ट विषय के छात्र के रूप में नामांकित हो सकता है। दूसरे और तृतीय वर्ष में किसी अन्य कॉलेज में माइग्रेशन की अनुमति नहीं है /प्रावधान नहीं है।
- किसी भी छात्र द्वारा झूठे / जाली / नकली प्रमाण.पत्र प्रदान करने पर उसका नामांकन और पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के

नियमानुसार उन पर कानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है, या फिर ऐसे मामलों में पुलिस को भी सूचित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्र की कुल उपस्थिति लेक्चर और प्रायोगिक कक्षाओं में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष / सेमेस्टर में कुल आयोजित कक्षाओं की दो तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् 67% से कम नहीं। उपस्थिति आवश्यकता को न पूरा करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकता है/ वंचित किया जा सकता है।

नवांगुतक/नवागत छात्रों के लिए ओरिएंटेशन दिवस

कॉलेज द्वारा नवागत छात्रों के स्वागत हेतु ओरिएंटेशन दिवस का आयोजन किया जाता है। छात्र कॉलेज के वातावरण से परिचित हो सके, कॉलेज के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सके, इतना ही नहीं कॉलेज में छात्रों को जो सुविधा उपलब्ध है उनके साथ-साथ पाठयेतर गतिविधियों के बारे में भी बताया जाता है या परिचित कराया जाता है। ओरिएंटेशन दिवस के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उससे छात्रों को कॉलेज में सुविधाजनक और उपयोगी माहौल का आनंद मिलता है। पहले कार्यकाल के दौरान ओरिएंटेशन दिवस 20 जुलाई 2019 को 10:00 प्रातः आयोजित किया जायेगा।

नोट- सभी छात्रों को अपने प्रवेश.पत्र की पर्ची अवश्य साथ लाने की सलाह दी जाती है।

छात्र प्रेरणा कार्यक्रम- छात्र प्रेरणा कार्यक्रम के जरिए नए छात्र कॉलेज के नए परिवेश में स्वयं को सहज महसूस करेंगे। उनमें कॉलेज की संस्कृति और लोकाचार की समझ उत्पन्न होगी। अन्य छात्रों के साथ, फैकल्टी सदस्यों के साथ तारतम्य स्थापित करने में यह कार्यक्रम अवश्य ही सफल साबित होगा जिसके जरिए छात्र अपने स्वयं की खोज के साथ.साथ महान् उद्देश्य की समझ भी हासिल कर सकेंगे।

छात्र प्रेरणा कार्यक्रम कक्षाओं के आरंभ होने से पूर्व ही नए छात्रों के लिए आयोजित किया जायेगा। प्रेरणा कार्यक्रम के आरंभ में छात्र संस्था कॉलेज की नीतियों, प्रक्रियाओं , प्रथाओं, मूल्यों और संस्कृति के बारे में जानने के लिए संरक्षक समूह का संगठन किया गया है, निर्देशक जो इस कार्यक्रम की गतिविधियों को अथवा उसके विभिन्न पहलुओं को छात्रों के समक्ष स्पष्ट कर सकें जैसे (सेज) एक सामाजिक बैठक के तहत नए छात्रों, वरिष्ठ छात्रों, संघ के छात्र, प्रख्यात विद्वानों द्वारा व्याख्यान, संबंद्ध कराना। विश्वविद्यालय/ कॉलेज का दौरा करके, अध्ययन सामग्री हेतु विभाग/ परिसर/ स्थानीय क्षेत्र/ छात्र सहायता आदि। अनुभव का विषय-व्याख्यान, अध्ययन कौशल, छोटे-छोटे विकास कार्यक्रम, शारीरिक गतिविधि, रचनात्मक प्रदर्शन-कला, साहित्यिक गतिविधियां, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य इत्यादि। गतिविधियों की सूची निम्न है. 1. शारीरिक गतिविधि 2. सलाह / परामर्श. विभागीय गतिविधियों से परिचय 3. रचनात्मक कला और संस्कृति 4. साहित्यिक गतिविधि 5. प्रख्यात

विद्वानों द्वारा व्याख्यान 6. अन्य गतिविधियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन एवं स्थानीय क्षेत्र का दौरा।

कमेंसमेंट सेरेमनी

लक्ष्मीबाई कॉलेज ने अपने अंतिम सत्र की छात्राओं को अलविदा कहने के लिए एक समारोह शुरू किया है। वर्ष 2018-19 में आयोजित यह समारोह तृतीय वर्ष की छात्राओं की शैक्षणिक यात्रा के उत्सव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करने वाला साबित हुआ। छात्राओं को स्नातक कैप, सैशे, स्मृति चिह्न प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हो, इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि सुश्री ज्योतिका कालरा (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य) थी। इस अवसर पर सुश्री कालरा ने लैंगिक समानता और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के महत्व से छात्राओं को अवगत कराया।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण

यह कॉलेज परिसर में आने वाले नए छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

पहचान पत्र

हर छात्र को एक पहचान पत्र दिया जाएगा जो उसे हर दिन कॉलेज लाना होगा। (कॉलेज में प्रवेश-हेतु हर दिन पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा) आवश्यकता के समय कार्ड प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है। पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में उनका प्रतिरूप पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकेगा जिसके लिए 200 रूपए का भुगतान करना होगा।

सूचना-पट

सभी महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की सूचना सूचना.पट पर प्रस्तुत की जाती है। छात्र हर दिन सूचना-पट पढ़े यह आवश्यक है। कॉलेज की वेबसाइट और कॉलेज मोबाइल ऐप पर भी सूचनाएँ अपलोड की जाती है।

अनुशासनात्मक बोर्ड और विद्यार्थी संघ

अनुशासनात्मक बोर्ड, शिक्षक स्टाफ और छात्र प्रतिनिधियों के सदस्यों द्वारा कॉलेज में अनुशासन के रख रखाव का उत्तरदायित्व संभाला जाता है। अनुशासन के रख रखाव के लिए संयुक्त रूप से यह बोर्ड जिम्मेदार होगा।

अनुशासनात्मक बोर्ड के संयोजक से निम्न प्रयोजन हेतु संपर्क किया जा सकता है। आचरण के लिए निम्न कोड नियमों के पालन के लिए छात्रों से उम्मीद है।

- हर दिन कॉलेज में पहचान-पत्र और पुस्तकालय.कार्ड लाए।

- (साइलेन्स जोन) मौन-क्षेत्र यानी गलियारों, कक्षा के अंदर और बाहर शांति बनाए रखें।
- सभी लेक्चर, टूटोरियल्स और पाठ्येतर गतिविधियों में नियमित रूप से भाग ले।
- कक्षाओं के दौरान और परीक्षा के समय मोबाइल फोन न ले जाने की अपील।
- कक्षा समाप्त होने पर बल्ब और पंखे बंद करें।
- हर रोज सूचना-पट पढ़ें।
- अन्य कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए, पुस्तकालय, कॉमन-रूम, कैंटीन का उपयोग करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों के पन्नों को फाड़ने से परहेज करें।
- बगीचे की सुंदरता को बनाए रखने में अधिकारियों का सहयोग करें।
- अनुचित और दुर्व्यवहार के लिए कॉलेज अधिकारियों को रिपोर्ट करें।
- आत्म-अनुशासन, सफाई और समय की पाबंदी का पालन करें।
- परीक्षा में अनुचित सामग्री का उपयोग न करें।

पर्यटन / पिकनिक

छात्र अवश्य ध्यान दें जब भी कॉलेज की तरफ से कोई ऑफिशियल / पर्यटन, शैक्षणिक-टूर, पिकनिक का आयोजन किया जाएगा तब ऐसी स्थिति में छात्र अपने अभिभावकों से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' पर हस्ताक्षर करवा कर अपने प्राध्यापक के पास जमा करेंगे। ऐसे पर्यटन कार्यक्रमों की सूचना, सूचना **पट** पर अवश्य होगी। यदि छात्र बिना अनुमति के कॉलेज के द्वारा आयोजित किसी भी निजी पर्यटन, पिकनिक पर जाते हैं तो किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए असुविधा के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसे में कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कॉलेज परिसर में होली खेलना और दिवाली मनाना दंडनीय है। अनुशासन, भंग करने वाले छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जायेगी।

पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष

कॉलेज पुस्तकालय में पुस्तकों का विशाल भण्डार है। कम्प्यूटर की सुविधा के साथ.साथ वाई.फाई की कनेक्टिविटी सहित एक बहुत बड़ा अध्ययन कक्ष भी है जो पूरे वर्ष विद्यार्थियों के लिए प्रातः 9:00 बजे से 5:30 बजे शाम तक खुला रहता है। (रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) कॉलेज की लाइब्रेरी समिति सक्रिय रूप से पुस्तकों की संख्या में इज़ाफा करने और पुस्तकालय में सुधार लाने के लिए तत्पर है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं लाइब्रेरी समिति प्रतिवर्ष 'एक पुस्तक मेले' का आयोजन भी करती है जिसमें विभिन्न प्रकाशक एवं वितरक भाग लेते हैं। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए एक बहुत ही सुखद एवं ज्ञानवर्द्धक अनुभव है। पुस्तक-मेले के आयोजन का उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की इच्छा को समृद्ध करना है।

पुस्तकें- पुस्तकों को दो भागों के अंतर्गत रखा गया है। 1. सामान्य पुस्तकें 2. पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें ।

विद्यार्थी केवल एक सप्ताह के लिए पुस्तक ले सकते हैं। कुछ पुस्तकें रिजर्व सेक्शन के अंतर्गत रखी गई हैं जिन्हें अग्रिम आरक्षण और लाइब्रेरियन की अनुमति से ही जारी किया/ प्राप्त किया जा सकता है। संदर्भ पुस्तकें और पत्रिकाएँ केवल अध्ययन के लिए ही उपलब्ध है, लाइब्रेरी परिसर पुस्तकालय पूरी तरह से स्वयं गतिशील/ स्वचालित है, और लिब्सेस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। लगभग 87,134 पुस्तकों को इस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है। पुस्तकालय में 45 समाचार पत्रों के साथ-साथ विभिन्न पत्रिकाओं को पढ़ने की सुविधा भी है। इतना ही नहीं विश्वकोश, शब्दकोशों, एटलस वार्षिकी, मासिक आदि ज्ञान वर्द्धक पुस्तकों का समृद्ध भण्डार कॉलेज के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली की सदस्यता लेने के पश्चात् विद्यार्थी कॉलेज के पुस्तकालय में लगभग 500 ई.पत्रिकाओं और 75,000 ई.पुस्तकों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, यह एक उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सुविधा है। लाइब्रेरी में एक वातानुकूलित अध्ययन कक्ष है जिसमें 20 कम्प्यूटर भी हैं। दिव्यांगों के लिए 225 ब्रेल पुस्तकें और अन्य सुविधाएँ भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कम्प्यूटराइज़ड़ पुस्तकालय टिकट और पुस्तकालय कार्ड की सुविधा है। 'ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग' की सुविधा भी प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। लाइब्रेरी में पुस्तक प्राप्त करने और लौटाने के कांउटर पर एक स्कैनर भी लगा हुआ है। लाइब्रेरी इनफ्लिबनेट के एन सूची कार्यक्रम के माध्यम से ई-संसाधन प्रदान करने की प्रक्रिया में भी गतिशील है।

नियम

- कॉलेज पहचान पत्र सभी आवश्यक स्थानों पर दिखाना अनिवार्य है जैसे- प्रवेश द्वार, पुस्तक प्राप्त करने के काउंटर पर, संदर्भ अनुभाग इत्यादि में।

- ऑनर्स के (II और III वर्ष) के विद्यार्थियों के लिए 3 पुस्तकें और बी.ए. प्रोग्राम (II/III वर्ष) के लिए 2 पुस्तकें पहचान पत्र दिखाने के पश्चात ही जारी की जाएँगी।
- पुस्तकालय की सदस्यता हेतु एक पासपोर्ट आकार की फोटो जरूरी है।
- पुस्तकों को देरी से लौटाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 1 रूपया और संदर्भ पुस्तकों को देरी से लौटाने पर 2 रूपया जुर्माना देना होगा।
- पुस्तकों को क्षति पहुँचाने पर छात्रों को पुस्तकालय की सुविधाओं से वंचित करने के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
- पुस्तक खो जाने की स्थिति में लाइब्रेरियन को लिखित पत्र के रूप में सूचित किया जाना जरूरी है। ऐसा न करने पर पुस्तक की लागत के साथ भारी जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। पुस्तकालय की किसी भी पत्रिका/पुस्तक के पृष्ठ फाड़ने पर भी जुर्माना किया जाएगा।
- पुस्तकालय के नियम और विनियमों की जानकारी हेतु विद्यार्थी पुस्तकालय के सूचना-पट को अवश्य पढ़े।

संगोष्ठी कक्ष

कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक वातानुकुलित संगोष्ठी कक्ष है जिसका प्रयोग समय-समय पर विभिन्न व्याख्यानों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए किया जाता है।

जलपान-गृह/कैंटीन

कॉलेज परिसर की कैंटीन में उचित मूल्य पर खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध है, विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठने की उचित व्यवस्था है। कैंटीन का वातावरण छात्रानुकूल है। किसी भी समस्या या सुझाव के लिए कैंटीन समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।

कॉलेज कैंटीन

अवश्य करें (करणीय)

1. कैंटीन में भोजन वितरकों का आदर करें और उन्हें धन्यवाद अवश्य दें।
2. आसपास के वातावरण के प्रति और लोगों के प्रति जागरूक रहे/ सतर्क रहें।
3. कैंटीन साफ.सुथरी रखें।
4. कैंटीन में सभी सामग्री सूची को ध्यान में रखकर सामान खरीदें।
5. खाने के पश्चात् कूड़ा.कूड़ेदान में डालें। बर्तन भी उचित स्थान पर रखें।

क्या न करें (अकरणीय)

1. अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कतार न तोड़े।
2. सेवारत क्षेत्र में शांति भंग न करें।
3. भोजन का निरादर न करें।
4. कैंटीन में ज्यादा भीड़.भाड़ होने पर धक्का मुक्की न करें।
5. कैंटीन में खेलना, भागना और चिल्लाना मना है।
6. कैंटीन की टेबल और कुर्सियों को अनुमति के बिना न निकालें। (बाहर न ले जाएँ)

प्रयोगशालाएँ

कॉलेज में अच्छी व्यवस्थित, सुसज्जित विशाल प्रयोगशालाओं की सुविधा भी उपलब्ध है।

- फूड टेक्नोलॉजी लैब / प्रयोगशाला
- परिधान डिजाइन लैब
- वातानुकूलित कम्प्यूटर लैब
- मीडिया लैब (शीघ्र स्थापित होने वाला है।)

कॉलेज कम्प्यूटर लैब/ प्रयोगशाला

अवश्य करें (करणीय)

- आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और आग बुझाने के स्थान का कैसे प्रयोग करें। इसका ज्ञान विद्यार्थियों को होना चाहिए।
- प्रयोगशाला में आने से पूर्व अपने कार्य को करने की विधि के बारे में पढ़े और समझें।

- आग और दुर्घटना संबंधी जानकारी तुरंत प्राध्यापक या प्रयोगशाला तकनीशियन को दें।
- बिजली के टूटे तारों और प्लग की जानकारी भी प्राध्यपक / प्रयोगशाला तकनीशियन को दें।

क्या न करें

1. खाद्य और पेय पदार्थ प्रयोगशाला में लाना वर्जित हैं।
2. कम्प्यूटर के और बिजली के तारों पर पैर न रखें।
3. कम्प्यूटर सिस्टम को खोलने के लिए या विशेष रूप से आवरण खोलने के लिए बिजली चालू होने का ध्यान रखें।
4. कम्प्यूटर में क्लिप, पिन या सुई न डालें इससे आग का खतरा हो सकता है।
5. कम्प्यूटर प्रयोगशाला से अनुमति के बिना कुछ भी ले जाना मना है।
6. प्रध्यापक या तकनीशियन की आज्ञा के बिना कोई भी प्लग, केबल न जोड़े न ही हटाएँ (डिस्कनेक्ट करें)
7. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में दुर्व्यवहार वर्जित है।

बैंक- कॉलेज में बैंक ऑफ इण्डिया की एक्सटेंशन शाखा है। यह सभी कर्मचारियों और छात्रों को सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करता है। बैंक के सहयोग से कॉलेज में समय-समय पर सेमिनार और विभिन्न कॉलेज की गतिविधियों के प्रायोजन की व्यवस्था भी की जाती है। बैंक कॉलेज का अभिन्न अंग हैं।

फोटोस्टेट / प्रतिलिपि की सुविधा

कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों के लिए एक फोटोस्टेट केबिन भी है। जिसमें नकद भुगतान के आधार पर फोटोस्टेट की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

परिवहन. लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुँचने के लिए 166, 181, 912 बसों के अतिरिक्त निकटतम मेट्रो स्टेशन कन्हैया नगर, इंद्रलोक, शास्त्री नगर आदि मार्गों का प्रयोग किया जा सकता है।

शिशु-गृह / क्रेच

कॉलेज में कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और विद्यार्थी अपने बच्चों को क्रेच में ला सकते हैं। क्रेच में दो कमरे हैं. एक खेलने के लिए और दूसरा खान-पान से संबंधित

कमरा। बच्चों की देख-रेख की उचित सुविधा होने के साथ-साथ उनके मनोरंजन के लिए झूला, खिलौनों के लिए क्ले और चित्रों को बनाने की सामग्री उपलब्ध है।

स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र

विद्यार्थियों को जब भी आवश्यकता हो कॉलेज परिसर में वे स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ एक प्रशिक्षित और योग्य नर्स छात्रों की प्राथमिक चिकित्सा की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए नियुक्त की गई है।

(आरोग्य नर्स) सलाहकार (एक सप्ताह में दो दिन) डॉक्टरों (सामान्य फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ) सप्ताह में दो बार। फिजियोथेरेपिस्ट (सप्ताह में एक बार) आदि की सुविधा का लाभ पूर्व बुकिंग के द्वारा उठाया जा सकता है।

छात्र डब्ल्यू.यू.एस हेल्थ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से चिकित्सा परामर्श और उपचार की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें डब्ल्यू.यू.एस की सदस्यता का फार्म भरना होगा वैसे यह सदस्यता वैकल्पिक है। किसी भी समस्या या सुझाव के लिए मेडिकल समिति के शिक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।

दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएँ

कॉलेज दिव्यांग छात्रों को एक संवेदनशील और दोस्ताना माहौल देने के लिए कटिबद्ध है। सभी पाठ्यक्रमों में ऐसे विद्यार्थी बड़ी संख्या में है। कॉलेज ने एच.इ.पी.एस.एन कार्यक्रम के तहत दसवीं योजना अवधि में यूजीसी अनुदान की सहायता से वर्ष 2006-07 में एक दिव्यंगता यूनिट की स्थापना की। यह इकाई दृष्टिहीन छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर है। इतना ही नहीं कॉलेज में ऐसे विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा कौशल के विकास के साथ-साथ कम्प्यूटर साक्षर बनाने में भी मदद करता है ताकि वे उज्ज्वल एवं सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें। और सामान्य जीवन के लिए प्रतिबद्ध हो सकें।

दिव्यांग छात्रों को लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए विशेष रूप से परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों से भी ऐसे छात्रों की मदद हेतु फैलोशिप और छात्रवृत्ति की सुविधा की जा रही है। दृष्टिहीन छात्रों को जावा, नाडा, साफा सॉफ्टवेयर से युक्त लैपटॉप भी दिए जाते हैं जिससे वे अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकें। इनेबल यूनिट कम्प्यूटर लैब के नाम से एक विशेष कम्प्यूटर लैब 3 अक्टूबर 2016 को स्थापित किया गया। कौशल विकास के लिए एक कम्प्यूटर प्रशिक्षक भी ऐसे छात्रों के लिए नियुक्त किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत प्रशासनिक एवं लेखा विभाग

विभाग- 2011-12 में आयी कम्प्यूटर की लहर के परिणाम स्वरूप कॉलेज में कम से कम कागज का प्रयोग होता है, लगभग ज्यादातर खाते कंप्यूटरीकृत सूचनाओं पर आधारित

है। वाई.फाई की सुविधा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारों लेखा और प्रशासन विभाग को प्रदान की गई है।

रचनात्मक-बोर्ड

मानवता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है रचनात्मकता। यह मानव अस्तित्व का सबसे रहस्यमयी और भविष्यसूचक पहलू है। रचनात्मकता के भी सैद्धांतिक पक्ष हैं लेकिन इन सिद्धांतों से परे रचनात्मकता के सिर पर चढ़कर बोलने वाले जादू के आकर्षण से इंकार नहीं किया जा सकता। नवीनता सदैव मन को अपनी ओर खींचती है। यह रचनात्मकता ईश्वर की सृष्टि करने के समान रमणीय है। रचनात्मकता के माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को सुंदरता के साँचे में ढाल कर नए ढंग से अभिव्यक्ति करते हैं। हम सबके भीतर कहीं न कहीं ब्लेक, एलियट, टैगोर, पिकासो, डिजनी विद्यमान है, या यूँ कहें कि इन सभी कलाकारों की प्रेरणा से हमारे भीतर की रचनात्मकता अभिव्यक्ति पाती है। छात्रों के भीतर छिपी रचनात्मकता को उभारने के लिए कॉलेज उन्हें एक रचनात्मक-पट प्रदान करता है जिसपर वे अपनी कविता, कहानी, रेखाचित्र, चित्र, आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही नहीं रचनात्मक-पट के अतिरिक्त वे अपनी रचनाएँ मेल भी कर सकते हैं. ibccreative/gmail.com

ई.मेल, वाई.फाई और लैपटॉप - छात्रों के लिए कॉलेज परिसर में वाई.फाई की सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप बीमा शुक्ल के भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को आधिकारिक रूप से ई.मेल आईडी (पहचान) भी प्रदान की जाती है।

संवाद मंच

1. छात्रों में वक्तृत्व क्षमता और तर्क कौशल को बढ़ाने के लिए कॉलेज में एक संवाद मंच की स्थापना की गई है।
2. कॉलेज प्रासंगिक विषयों, ज्वलंत मुद्दों (चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हो) पर रचनात्मक चर्चा के लिए छात्रों को सदैव प्रोत्साहित करता है।
3. 'नवरंग' नाटक सोसायटी द्वारा कॉलेज में महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों और अभिनय तथा थियेटर की तकनीकी से जुड़े विषयों पर ''विचार और मुद्दे'' कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
4. 25 मार्च 2019 को "इ.डब्ल्यू.एस कोटे में हमें मदद मिलेगी'' विषय पर साहित्यिक और प्रकाशन समिति द्वारा कॉलेज प्रोग्राम में अंतर महाविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
5. शैक्षणिक गतिविधियों से परे छात्रों की विश्लेषण क्षमता को नया क्षितिज प्रदान करने के लिए इन प्रासंगिक मुद्दों पर परिचर्चा का अवसर छात्रों को कॉलेज में दिया जाता है।

ऑनलाइन पोर्टल

1. कॉलेज की वेबसाइट पर विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। इस पर वे उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन रिकार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसे छात्र और अभिभावक कॉलेज और संकाय के बारे में प्रतिपुष्टि और सुझाव भी दे सकते हैं।
2. पेड़ पौधों, फूलों और खेल मैदान में जो भी है उसका ख्याल रखें।
3. छात्रों को कॉलेज लॉन / खेल मैदान में किसी भी गतिविधि का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4. किसी भी प्रकार के बोर्ड, होर्डिंग्स और चिह्न लगाने से पूर्व (कॉलेज लॉन में) अनुमति लेनी होगी।
5. कॉलेज लॉन में, विध्वसं और भित्ति-चित्रों के अंकन पर, छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाऐगी।
6. कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु सुझाव और सलाह स्वागत योग्य है।
7. कॉलेज की सुविधाओं का उपयुक्त और सावधानी पूर्वक उपयोग करें।

क्या न करें

- कॉलेज के लॉन और खेल के मैदान में लगी कुसियों, बेंच और अन्य उपकरणों को हानि न पहुँचाएँ।
- बिना किसी उद्देश्य के घास पर न चलें।
- कूड़ा न फैलाएँ।
- कॉलेज लॉन में लगे पेड़.पौधों, फूल.पत्तों को नुकसान न पहुँचाए।

वित्तीय सहायता

शुल्क छूट (फीस माफ़ी). जरूरत मंद और योग्य विद्यार्थियों को निधि उपलब्धता के आधार पर शुल्क छूट की सुविधा प्रदान की जाती है। (फीस माफी) छूट का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के प्रति सजग बनाना और अच्छे आचरण तथा नियमित रूप से उपस्थिति के लिए प्रेरित करना है।

विद्यार्थी सहायता कोष

विद्यार्थी सहायता कोष के माध्यम से ही जरूरतमंद और योग्य छात्रों की मदद की जाती है।

छात्रवृत्ति दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति सेल द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ छात्रों को प्रदान की जाती है। गत वर्ष प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का विवरण निम्न है.

दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान छात्रवृत्ति

. अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों के लिए मेरिट छात्रवृत्ति

. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

निजी संगठनों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति

. विश्व बंधुत्व संगठन द्वारा मेरिट प्राप्त छात्रा के लिए छात्रवृत्ति

किसी भी अन्य छात्रवृत्ति की जानकारी और विवरण कॉलेज कार्यालय या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

अर्थात् पढ़ने के साथ कमाएँ. लक्ष्मीबाई कॉलेज ने एपिक के तहत पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यह इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इतना ही नहीं स्वयंसेवक इंटर्नशिप के अंतर्गत स्वच्छ, हरित परिसर और विश्वास के साथ भी जुड़ सकते हैं।

शैक्षणिक अर्हताएँ /अकादमिक आवश्यकताएँ

कॉलेज के छात्रों को जिन नियमों और विनियमों के पालन का निर्देश दिया गया है वे दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर के अध्यादेश (VII) में निर्धारित नियमों से संचालित होते हैं। छात्रों को सभी कक्षाएँ, ट्यूटोरियल, प्रायोगिक कक्षाएँ लेना अनिवार्य है। नियमानुसार उनकी प्रत्येक वर्ष / सेमेस्टर में कुल 67% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर छात्र किसी स्थिति में उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में सफल नहीं हुए तो उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है।

कॉलेज द्वारा जो छात्र एन.एस.एस., एन.सी.सी. खेल, राष्ट्रीय, अंतर कॉलेज, अंतराष्ट्रीय खेल के लिए प्रधानाचार्य द्वारा अनुमोदित पाठ्यत्तेर गतिविधियों के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें उपस्थिति के (1/3) नियम में छूट दी जा सकती है।

अस्वस्थ्य होने पर छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र (शिक्षकों के हस्ताक्षर सहित) कॉलेज कार्यालय में जमा करना जरूरी है। कॉलेज से बाहर अन्य पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु उपस्थिति के नियमों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

आंतरिक मूल्यांकन

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार (अध्यादेश. VIII. ए) प्रत्येक विषय में कुल 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए आवंटित किए गए है।

सीबीसीएस सेमेस्टर मोड में आंतरिक मूल्यांकन 25% और सेमेस्टर परीक्षा में 75% की सीमा तय की गई है। विस्तृत विवरण निम्न है.

विवरण	**वरीयता/अधिमान**
उपस्थिति (लेक्चर+ट्यूटोरियल	5%
लिखित कार्य / परियोजना / सेमिनार	10%
परीक्षा	10%

5% अंक कक्षा में उपस्थिति के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक पेपर में उपस्थिति के आधार पर/ विवरण निम्न है।

अधिक 67% . 70% (कम से कम)	1 अंक
70% . 75%	2 अंक
75% . 80%	3 अंक
80% . 85%	4 अंक
85% या उससे अधिक	5 अंक

इसीए / एनएसएस/ एनसीसी में उपस्थिति नियमों में जो छूट दी जाती है वह कुल आयोजित व्याख्यान की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेल, राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले छात्र, यूथ फेस्टिवल में भाग लेने वाले छात्रों को लिखित कार्य प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अमुक छात्र को परियोजनाओं / लिखित कार्य पेपर / संगोष्ठी के लचीलेपन साथ क्षेत्र के काम की आवश्यकता को भी पूरा करना होगा। ऐसे छात्रों के उपस्थिति नियम में छूट का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज / विभाग / पेपर में / दिए गए अंकों की समीक्षा का अधिकार प्राप्त है।

चिकित्सा प्रमाण.पत्र को उपस्थिति के लिए दिए जाने वाले अंकों की सीमा से बाहर रखता जाएगा। अध्यादेश VII. 2.9 (a) (ii) के अनुसार यह चिकित्सा प्रमाण पत्र केवल परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु आवश्यक है।

विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण समितियाँ

अनुशासनात्मक बोर्ड और छात्र संघ सलाहकार

संयोजक. डॉ. संगीता शर्मा

सह.संयोजक.डॉ. सोनिया डवास

एन.एस.एस.पी.ओ .डॉ. अमृता शिल्पी

एन.सी.सी. डॉ. सीमा शर्मा

समय सारणी समिति

संयोजक.सुश्री प्रमिला

डॉ. डोलामणि आर्य

डॉ. ईशा चावला (सभी विभाग.प्रभारी)

वैकल्पिक सूचना समिति

(ओ.आइ.सी).

डॉ. विभा

डॉ. रामा

सुश्री हेमलता

पूरक पाठ्यक्रम समन्वयक समिति

डॉ. अलका हरनेजा

डॉ. संगीता शर्मा

(महिला एवं विधि साक्षरता)

सुश्री लक्ष्मी (2डी.3डी ऐनिमेशन)

सुश्री रश्मिता (विदेशी भाषा)

पुरस्कार समिति संयोजक

संयोजक. डॉ. एल. आर. एस. लक्ष्मी

डॉ. गीतांजलि

स्वच्छता और हरित मिशन

सह संयोजक

डॉ. मनीषा शखंवार

छात्रवृत्ति और शुक्ल रियायत (फीस माफी)

डॉ. पिंकी मौर्या

समान अवसर सेल

डॉ. गीता सहारे

डॉ. ललिता

प्लेसमेंट सेल

संयोजक. डॉ. उमा

सह.संयोजक.डॉ. उज्जयिनी

डॉ. गायत्री

डॉ. आंचल

नाटक सोसायटी

सह संयोजक. सुश्री लक्ष्मी

डॉ. अंजू दहिया

लाइब्रेरी (पुस्तकालय) /समिति

डॉ. रितु सूरी (अंग्रेजी संचार और व्यक्तित्व विकास)

संयोजक. डॉ. रंजीत कौर

सह.संयोजक. डॉ. जूही सिंह

संकाय के विभिन्न विभागों के शिक्षक

डॉ. वृष्टि

डॉ. अनु जैन

डॉ. ललिता

सुश्री गोबिना

एंटी रैंगिग समिति

डॉ. गीतांजलि

डॉ. नीलम

धूम्रपान विरोधी समिति

डॉ. ईशा चावला

यूथ रेड क्रांस

डॉ. जूही सिंह

डॉ. अनु छाबड़ा

महिला विकास केन्द्र एवं लिंग संवेदीकरण

डॉ. संतोषी

डॉ. गीतांजलि

डॉ. राज नागिया

विवेकानंद अध्ययन सर्कल

संयोजक.डॉ. मधु अग्रवाल

संयोजक. डॉ. अनीता गोयल

संयोजक. डॉ. अंजू दहिया

इवेंट मैंनेजमेंट समिति

डॉ. गायत्री

अम्बेडकर अध्ययन सर्कल

डॉ. गीता सहारे

डॉ. मानसी गुप्ता

सुश्री हेमलता

डॉ. मधु झा

रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता समिति

संयोजक. डॉ. संगीता शर्मा

सोनिया डबास

सबरीना सरीन

सुश्री सोनिया सिंघवी

डॉ. मानसी

संगीत एवं नृत्य समिति

संयोजक. डॉ. रेनु जैन

डॉ. वनिता अग्रवाल

डॉ. चित्रा शर्मा

डॉ. निर्मल शाहिद

स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

डॉ. सुनीता अरोरा

डॉ. सीमा सिंह

गांधी अध्ययन सर्कल

संयोजक. डॉ. वनिता

संयोजक. सुश्री चित्रा

संयोजक. डॉ. अनिता शर्मा

डॉ. नीलम

साहित्यिक समिति और प्रकाशन

डॉ. नीटा बरेजा

डॉ. सुनीता अरोड़ा

डॉ. रश्मि गुप्ता	डॉ. सुनीता अरोड़ा
डॉ. निर्मल शाहिद	डॉ. सीमा शर्मा
डॉ. अनिता शर्मा	डॉ. रश्मि गुप्ता

खेल समिति

सह-अकादमिक गतिविधियाँ

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वे सह.अकादमिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जैसे. (1) नेशनल स्पोटर्स संगठन (2) शारीरिक शिक्षा (3) एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम (4) नेशनल कैडेट कोर।

खेल में उत्कृष्टता

2018-19 में लक्ष्मीबाई कॉलेज इंटर.कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे अधिक बेहतर प्रदर्शन के कारण शीर्ष दो दावेदारों में से एक था जिसका कुलपति ट्रॉफी के लिए चयन हुआ।

प्रियंका दहिया (वॉलीबॉल खिलाड़ी) ने कॉलेज को गौरवान्वित किया। प्रियंका का चयन इंडिया कैम्प में वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में हुआ है।

राष्ट्रीय और फेडरेशन कप. इस साल 45 से अधिक छात्रों ने सीनियर, राष्ट्रीय, जूनियर, नेशनल, फेडरेशन कप और खेलों इंडिया टूर्नामेंट सहित अनेकानेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

इंटर यूनिवर्सिटी (अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय)

अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रति योगिताओं में हमारे कॉलेज के 27 छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कांउसिल द्वारा आयोजित अंतः महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में कॉलेज की 17 टीमों ने भाग लिया। दिल्ली राज्य द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में लक्ष्मीबाई कॉलेज ने 51 मेडल जीते जिनमें 10 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है।

इच्छुक विद्यार्थी खेल.विभाग से जुड़ने के लिए खेल समिति के शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। खेल में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा छात्र खेल के क्षेत्र में भी कैरियर बना सकते हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में उनके लिए अनंत अवसर उपलब्ध है।

2018-19 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ने शीर्ष दो कुलपति ट्रॉफी के लिए (5 वर्ष तक) दावेदारी हासिल की। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे अधिक बेहतरीन प्रदर्शन कि लिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

राष्ट्रीय सेवा योजना की संयोजिका डॉ. संगीता शर्मा को बेस्ट प्रोग्राम आफिसर के अवार्ड से नवाज़ा गया। यह कॉलेज की लिए गर्व की बात है कि एन.एस.एस. की एक स्वयंसेविका रिया कुमार को 26 जनवरी 2019 को परैड कैम्प में शामिल होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

एनएसएस की परियोजनाएँ

सक्षम- सक्षम परियोजना सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में नैतिकता, रचनात्मकता को बढ़ावा देने की ओर प्रतिबद्ध है।

लाल डॉट परियोजना

यह राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श रूप है। इस योजना के तहत सैनिटेरी नैपकिन के उत्पादन और वितरण का कार्य होता है। परियोजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से विपन्न महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके, कम से कम मूल्य पर सैनिटेरी नैपकिन की सेवा प्रदान करना है।

शिक्षा सेल एनएसएस की परियोजना के तहत लक्ष्मीबाई कॉलेज वजीरपुर (झुग्गी बस्ती) के बच्चों को पढ़ाने का सराहनीय कार्य करने के लिए संकल्पशील है जिससे बच्चों का विकास हो

सके तथा साक्षरता के माध्यम से इससे जुड़े स्वयंसेवक किसी ना किसी रूप में देश के भविष्य को भी एक सुंदर आकार दे रहे हैं।

समर्पण- इस योजना के तहत दृष्टिहीन छात्रों की मदद की जाती है। जैसे उनके लिए पाठ्य सामग्री की रिकॉर्डिंग तैयार करना, उनके आंतरिक मूल्यांकन कार्य और भविष्य में अन्य लिखित परियोजनाओं हेतु लेखक प्रदान करना इत्यादि।

उर्वर- उर्वर के अंतर्गत एक रचनात्मक पृष्ठभूमि का प्लेटफार्म तैयार किया जाता है। जिसने उस क्षेत्र की साज-सज्जा का काम सम्पन्न किया जाता है, जहाँ कॉलेज की अधिकाधिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। उर्वर के माध्यम से जिन वस्तुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता उनको प्रकाश में लाकर कुछ रचनात्मक बनाने के उद्देश्य को पूरा किया जाता है, जैसे बेकार कागज से कुछ क्राफ्ट तैयार करना, दीवार पर चित्र बनाना (प्राध्यापक की अनुमति से)।

अक्टूबर, दिसंबर और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस दिवसीय कैम्प आयोजित किया जाता है। जिन स्वयंसेवकों ने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में कम से कम 120 घंटे का समय दिया हो और कम से कम एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित तीन प्रमुख परियोजनाओं में भाग लिया हो, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इच्छुक विद्यार्थी जो राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य बनना चाहते हैं वे संयोजक से सम्पर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (**एनसीसी**)- लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 160 नामांकित, जीवंत और मेहनती राष्ट्रीय कैडेट की टीम है। कॉलेज को विश्वविद्यालय के स्तर पर गौरवान्वित करने में एनसीसी विंग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली के 'पूर्व छात्र क्लब एनसीसी' के द्वारा 15 जुलाई 2018 को बेस्ट कॉलेज (एस.डब्ल्यू) का अवॉर्ड प्रदान किया गया।

हमारे कॉलेज की पूर्व कैडेट (जे.यू.ओ) मेधा रावत ने एनसीसी विशेष प्रवेश योजना को मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और 2019 में भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्राप्त किया।

लेफ्टिनेंट डॉ. सीमा शर्मा कौशिक, ने दिल्ली कैंट में आयोजित वार्षिक शारीरिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक सीएटीएस में भाग लिया। इतना ही नहीं डॉ. सीमा को भारत के शारीररिक शिक्षा फाउंडेशन द्वारा 'बेस्ट शारीरिक शिक्षा' शिक्षक 'उत्तर प्रदेश' के लिए 'डॉ. जीपी गौतम' राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

अनुशासनात्मक बोर्ड और छात्र संघ

अनुशासनात्मक बोर्ड कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉलेज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के दौरान अनुशासन भंग न हो इसकी जिम्मेदारी भी बोर्ड पर है। कक्षा के समय अनुशासन का रख-रखाव, गलियारों में शांति बनाए रखना, पहचान.पत्र की जाँच, मोबाइल फोन के उपयोग पर आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध का काम बोर्ड का उत्तरदायित्व है। अनुशासनात्मक बोर्ड कॉलेज में एक सुरक्षित, अनुशासित एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में क्रियाशील है। कॉलेज को 'रैगिंग फ्री' बनाना भी बोर्ड का काम है।

यह बोर्ड विद्यार्थियों को कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्र संघ द्वारा वृहद स्तर पर ओरिएन्टेशन कार्यक्रम, नवांगुतक छात्रों का स्वागत समारोह, मिस लक्ष्मीबाई कॉलेज, प्रतियोगिता और बहु प्रतीक्षित एवं प्रतिष्ठित दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 'विविधा' का आयोजन किया जाता है।

गत वर्ष 2018 को ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में शास्त्रीय गायक और लेखक विद्याशाह मुख्य अतिथि थे। नवागुंतको को स्टील के चम्मच भेंट स्वरूप प्रदान किए गए और 'प्लास्टिक को ना कहो' अभियान का महत्त्व बताया गया।

'से नो प्लास्टिक' दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर 12 फरवरी 2019 को लगाया गया।

छात्र संघ विद्यार्थी परिषद के सहयोग से कार्य करता है जिसमें हर कक्षा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

विद्यार्थी परिषद

कॉलेज की प्राचार्या के सहयोग से विद्यार्थी परिषद को निर्मित किया गया है। हर महीने के अंतिम बुधवार को विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष और प्राचार्या के बीच एक बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें शिक्षकों और छात्रों की सलाह एवं सुझाव के जरिए कॉलेज में विभिन्न स्तर पर सुधार लाने के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है। यह एक ऐसा खुला मंच है जहाँ छात्र कॉलेज के समग्र विकास और अपनी समस्याओं पर निडर होकर चर्चा कर सकते हैं।

महिला विकास सेल (डब्ल्यूडीएस)

महिला विकास केन्द्र समिति और लिंग संवेदीकरण समिति कॉलेज में प्रशिक्षित कांउसलर के सहयोग से एक परामर्शदात्री इकाई के रूप में क्रियाशील है। महिलाओं के अधिकारों और समाजों में उनकी भूमिका के बारे छात्रों को जागरूक करने के लिए यह समिति समय.समय पर नुक्कड़-नाटक, निबंध-प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, कार्यशालाओं और व्याख्यानों का आयोजन करती है।

विंग्स प्लेसमेंट सेल/केन्द्र

कॉलेज की 'विंग्स प्लेसमेंट समिति' छात्रों को साक्षात्कार के जरिए प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का सुअवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र और पूर्व छात्रों द्वारा एक प्लेंसमेंट डेस्क तैयार किया

जाता है जिसमें अन्य विद्यार्थियों को कैरियर परामर्श से संबंधित लेक्चर की सुविधा प्रदान की जाती है। प्लेसमेंट सेल, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप का मौका भी प्रदान करता है।

इस समिति के द्वारा बहुत से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन जैनपेक्ट, टाटा पावर, दिल्ली वितरण लिमिटेड, यस बैंक, विज्ञापन, बिनायरी सिंमाटिंक्स (गूगल इंडिया के लिए स्थायी प्रति नियुक्ति) एचडीएफसी बैंक, इंडियन एक्सप्रेस आदि कंपनियों में हुआ है।

वित्तीय डॉक्टर 'सेफीसोशियोवाह' में हमारे कॉलेज के छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया।

टीच इंडीज एंड गाँधी फैलोशिप द्वारा भी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया। 16 जनवरी 2019 को 'स्लाइस वे' के साथ एक इंटर्नशिप का भी आयोजन किया गया।

प्लेसमेंट विंग्स कॉलेज की वेबसाइट, फेसबुक पेज़, वाट्स ऐप, सक्रिय लिंक्टडूखाता के रूप में कॉपोरेट जगत के साथ बेहतर तारतम्य बनाए हए है और छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के केन्द्रीय प्लेसमेंट केन्द्र की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी यथासमय प्रदान करता रहता है।

सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए कॉलेज छात्रों को सदैव प्रोत्साहित करता रहता है। हर बुधवार पाँचा और शुक्रवार को छठा पीरियड इन गतिविधियों के लिए आरक्षित किया गया है। हर छात्र से इन गतिविधियों में भाग लेने की उम्मीद ली जाती है और पुरस्कार वितरण द्वारा उनका उत्साहवर्धन किया जाता है ताकि पढ़ाई के साथ.साथ उनकी नृत्य, संगीत, चित्र, अभिनय कला इत्यादि का भी समुचित विकास हो सके।

संगीत एवं नृत्य सोसायटी

संगीत एवं नृत्य सोसायटी से जुड़े छात्र कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे स्वतंत्रता दिवस, गाँधी जयंती, गणतंत्र दिवस अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। बेहतर प्रस्तुति देने वाले छात्रों को इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

पुस्तकालय समिति ने पुस्तक मेला 2018-19 का आयोजन किया

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति में 11 अक्टूबर 2018 को कॉलेज के लॉन में 25 प्रकाशकों और वितरकों ने पुस्तक मेले में भाग लिया और सभी विषयों पर पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की। पुस्तक मेले के मुख्य आकर्षण थे: "पोस्टर मेकिंग", "स्लोगन लेखन " "भाषण कला "और डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम के संकल्प और स्वप्न" जैसे आयोजित कार्यक्रम।जिसमें छात्रों की भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली उन्होंने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और आकर्षक पुरस्कार जीते।

नवरंग- लक्ष्मीबाई कॉलेज की नाटक सोसायटी

नवरंग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को कला और रंगमंच के माध्यम से समझने का एक मंच है। यह समिति लगातार नाटक और नुक्कड़ नाटक करती है जो सामाजिक महत्व के प्रासंगिक मुद्दों को उठाते हैं। सोसायटी छात्रों के अभिनय कौशल को सुधारने का प्रयास करता है और कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन करता है।

2018- 2019 के सत्र में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नवागंतुक छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक "बेजुबान" का मंचन किया गया। समिति ने थिएटर की दुनिया में प्रथम वर्ष के छात्रों को स्थान देने के लिए

कार्यशालाओं का आयोजन किया। "रक्तपुष्प", "दोपराहंड", "वेल-डन" इस वर्ष के तीन महत्वपूर्ण वार्षिक प्रस्तुतियां थी। 40 से अधिक प्रस्तुतियों के प्रदर्शन के साथ सोसायटी ने थियेटर की दुनियां में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। मोलॉयश्री हाशमी और शबनम हाशमी ने कार्यक्रम की चर्चा में भाग लिया। नाटक समिति सुरुचिपूर्ण छात्रों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपने भाषणों, कार्यों और विचारों के माध्यम से खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे वे बेहतर अभिनेता और आत्मविश्वास वाले व्यक्ति बन सकते हैं। एक मंच के रूप में नवरंग छात्रों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में नुक्कड़ नाटकों और व्यंगकला का आयोजन करके देश के सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों से परिचित होने में मदद करता है, जिससे छात्र राजनीतिक रूप से जागरूक और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।

पंजाबी साहित्यिक और सांस्कृतिक सोसायटी

हमारे छात्र विभिन्न अंतरमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जैसे- माता सुंदरी कॉलेज द्वारा आयोजित "पेपर रीडिंग प्रतियोगिता"; "लेख रचना प्रतियोगिता"एवं"हस्तकला प्रतियोगिता" तथा "स्लोगन लेखन प्रतियोगिता" खालसा कॉलेज द्वारा आयोजित । लक्ष्मीबाई कॉलेज की पंजाबी सोसाइटी और पंजाबी प्रचारिणी सभा इंटर कॉलेज में "गुरु नानक एक समाजसुधारक प्रतियोगिता" तथा"हस्तकला प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया।

संस्कृत साहित्यिक सोसाइटी

हमारे छात्र कई इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जैसे कि "प्रश्नमंच "श्लोकवृति" भाषण "और" चित्रकर्मा"। 2018 -19 में दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार ने कॉलेज में 13 फरवरी 2019 को "प्रचीनकाव्येषु आधारित् काव्यपाठ प्रतियोगिता" का आयोजन किया। जीतराम भट्ट (सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी) इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मीरा शर्मा की पुस्तक "हेलराजा का संस्कृत व्याकरण-दर्शन का योगदान-दिक, काल एवं क्रिया समुद्देश के सन्दर्भ में" का विमोचन किया गया।

अपार्कस: इकोनॉमिक्स सोसाइटी

अर्थशास्त्र विभाग, लक्ष्मीबाई कॉलेज ने 2018-2019 शैक्षणिक वर्ष में कई प्रकार के कार्यकम आयोजित किये । इकोनॉमिक्स सोसाइटी अपार्कस ने कई अतिथि व्याख्यान, दो अन्तःविद्यालयी कार्यक्रम और कई अंतर कॉलेज कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा विभाग ने आई क्यू ए सी , लक्ष्मीबाई कॉलेज के सहयोग से "एसपीएसएस और ईवीआईईडब्ल्यूएस के सहयोग से करके अनुसंधान विधियों और डेटा विश्लेषण" पर एक सप्ताह लंबे "संकाय विकास कार्यक्रम" को सफलतापूर्वक निष्पादित किया।व्वार्षिक उत्सव" ब्रेकवन" मनाया गया।

विवेकानंद अध्ययन केंद्र

विवेकानंद अध्ययन केंद्र ,ने विवेकानंद के दर्शन के मूल सिद्धांतों पर "स्लोगन मेकिंग प्रतियोगिता" आयोजित करवाई। गुंजन गुप्ता और भरत उदय को "विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम" के लिए आमंत्रित किया गया । 20 फरवरी 2019 को "विवेकानंद के सपनों का भारत" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

सक्षमता इकाई भिन्न विकलांग छात्रों के लिए

विकलांग छात्रों की दाखिला प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए यूनिट को सक्षम करना, पीडब्ल्यूडी शिकायत सेल द्वारा छात्रों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया गया । छात्रों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों की छात्रवृत्ति और अन्य गतिविधियों के लिए आवेदन करने जैसे मामलों में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। दृश्य बाधित छात्रों को जावा,डब्लूवीडीए और साफा जैसे सॉफ़्टवेयर प्रदान किए जाते हैं। छात्र स्वयंसेवकों का एक समूह साल भर में असाइनमेंट और अन्य कागजी कार्रवाई में उनकी मदद करता है।

मैथलेट्स - गणित सोसायटी

बीते शैक्षणिक वर्ष को ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ गणित विभाग ने शुरू किया गया जिसमें पहले वर्ष के छात्रों को पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया था। सोसाइटी ने अल्फा प्लस इंस्टीट्यूट द्वारा "कैरियर काउंसलिंग" और डिप्स अकादमी द्वारा " हाउ टू क्रेक आईं आईं टी जैम" पर व्याख्यान आयोजित किए।

मैथलेट्स ने 22 फरवरी 2019 को अपने बहुप्रतीक्षित वार्षिक उत्सव "हेलिक्स 2019" का जश्न मनाया। मुख्य कार्यक्रम "प्रेजेंट ओ स्टेशन" था, जिसमें हमारे विभाग के साथ-साथ अन्य कॉलेजों के छात्रों ने भी शोध पत्र प्रस्तुत किए।

समान अवसर प्रकोष्ठ

विकलांगों, या अल्पसंख्यक स्थिति वाले लोगों को कई तरह की समस्याएं जैसेकि - पर्यावरण, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।ऐसे अक्षमता और अल्पसंख्यक स्थिति वाले छात्रों को समान अधिकार प्राप्त हों और उन्हें अन्यायपूर्ण भेदभाव तथा पूर्वाग्रहों को ना सहना पड़े इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

27 जून 2006 को एससी, एसटी,ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित समस्याएं एवं प्रश्नों के लिए छात्र इओसी सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ

कॉलेज में विभिन्न समितियां और समुदाय हैं। उनमें से कुछ हैं :-

आंतरिक शिकायत समिति

दिल्ली विश्वविद्यालय की एपेक्स शिकायत समिति (एसीसी) के तत्वावधान में एक कॉलेज शिकायत समिति (सीसीसी) है। यह समिति किसी भी प्रकार के लिंग पूर्वाग्रह या यौन उत्पीड़न से मुक्त, एक दोस्ताना वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए काम करती है। यदि कोई भी छात्र उत्पीड़न का सामना करता है, तो उसे तुरंत प्रिंसिपल / सीसीसी से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। छात्रों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कहीं भी अपनी सुरक्षा कर सकें। किसी भी शिकायत के संबंध में छात्र समिति के जी सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक XI देखें।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आइक्यूएसी)

• आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आइक्यूएसी) नियमित रूप से कॉलेज के विभिन्न विभागों और समुदायों की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को कर्मचारियों की बैठकें आयोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता पहल की योजना बनाना और उसे लागू करना और उसका मूल्यांकन करना है।

• यह सभी संबद्ध पक्ष से प्राप्त प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है और संबंधित व्यक्ति को सुधार के लिए इसके परिणाम के बारे में सूचित करता है।

शैक्षणिक और पाठ्येतर नीति कार्यान्वयन समिति(ऐपिक)यह समिति कॉलेज की शैक्षणिक और पाठ्येतर नीति कार्यान्वयन से जुड़े फैसलों को प्लान करने और जिम्मेदारी से अमल करने में बहुत सक्रिय होती है। ऐपिक"कमाओ जबकि तुम सीखो "योजना के तहत छात्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम लक्ष्मीबाई कॉलेज में पहली बार शुरू किया और साफ-सुथरे और हरे -भरे परिसर में स्वयंसेवी इंटर्नशिप की पेशकश की। ऐपिक हमारे कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए कई सारे ऐड-ऑन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

स्वच्छता एवं हरित मिशन तथा साफ-सफाई अभियान

स्वच्छ और हरित मिशन तथा साफ-सफाई अभियान ने जागरूकता सृजन कार्यक्रमों पर काम किया है, जैसे - स्वच्छ और हरे परिसर के लिए हाथों द्वारा सफाई अभियान तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, व्याख्यान और सेमिनार इत्यादि।

सामाजिक दायित्व में कॉलेज की भागीदारी (सीएसआर)

लक्ष्मीबाई कॉलेज सीएसआर की पहल सामुदायिक और विस्तार सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल रही है। सीएसआर कमेटी ने लाइफ केयर के सहयोग से, "एक शाम शहीदों के नाम" का आयोजन 21 फरवरी 2019 को पॉप गायक शैल के लाइव प्रदर्शन द्वारा पुलवामा शहीदों को एक संगीतमय श्रद्धांजलि के रूप में किया । छात्रों ने सीआरपीएफ जवानों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपना जीवन पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में खो दिया।

डिजिटल पहल समिति

डिजिटल पहल समिति अपने दायरे का विस्तार करने और कॉलेज की वेबसाइट की परिचालन दक्षता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जिसमें ऑनलाइन प्रवेश ,छात्रों की उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन; कक्षा टाइम टेबल; छात्र और अभिभावक प्रतिक्रिया; पूर्व छात्र का पंजीकरण आदि।वेबसाइट निरंतर छात्रों, शिक्षकों और संबद्ध लोगो के लिए समाचार और घटनाओं केनोटिस और निविदाएं देती है। प्रयास है कि कंप्यूटर लैब को अपग्रेड किया जाए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सुसज्जित नई कंप्यूटर लैब हमारे छात्रों के तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द व्यावहारिक प्रयोग में आने वाली है।

साहित्य और प्रकाशन समिति

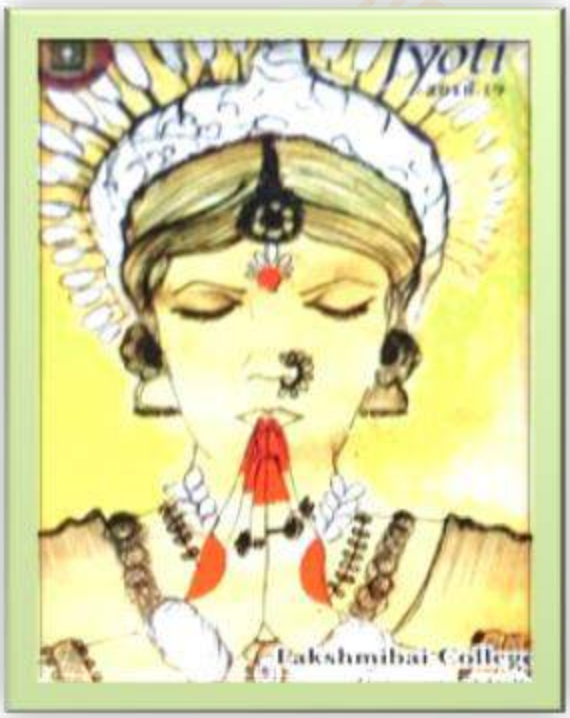

साहित्य और प्रकाशन समिति विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कॉलेज पत्रिका और वार्षिक रिपोर्ट निकालती है। इस शैक्षणिक वर्ष में, समिति ने एक अंत:कॉलेज रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित की । समिति ने 25 मार्च 2019 को एक अंतर-कॉलेज वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की। पत्रिका कवर 25 मार्च 2019 को "कवर-डिजाइनिंग प्रतियोगिता" जीतने वाली छात्रा द्वारा बनाया गया । लक्ष्मीबाई

कॉलेज की साहित्यिक वॉल पत्रिका "शब्द अगाध"भी समिति का हिस्सा है। इस अकादमिक वर्ष को थीम के साथ शुरू किया गया । "द जैज एज", "377 वैधानिक निर्णय," "विंसेंट वान गॉग को श्रद्धांजलि" इत्यादि।वर्ष का मुख्य आकर्षण "प्राइड सेलिब्रेट" और एक ओपन माइक कार्यक्रम "इख़्तियार" किया गया।

अंग्रेजी / हिंदी / संस्कृत और पंजाबी भाषाओं में दक्षता के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज और सक्षम संपादन कौशल को कॉलेज के विभिन्न साहित्यिक प्रयासों जैसे कि कॉलेज पत्रिका "ज्योति", ई-पत्रिका "क़लम" और "वॉल मैगज़ीन"में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाता है। पत्रिका से जुडी अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉलेज की साहित्यिक और प्रकाशन समिति के संपर्क में रहें। निम्न छात्राएं संपादकीय बोर्ड कॉलेज की वॉल मैगज़ीन और संपादकीय बोर्ड: शब्द अगाध टीम का हिस्सा थे-

प्रधान संपादक: सुश्री पाखी

वरिष्ठ संपादक: अनन्याश्री गुप्त

वरिष्ठ संपादक: प्रेरणा जैन

प्रमुख चित्रकार: रिदम सलूजा

वरिष्ठ चित्रकार: इलिका पाल

ग्राफिक डिज़ाइनर: रिया सिंघल

महाविद्यालय के प्रवक्तायों की उपलब्धियां

महाविद्यालय की प्राचार्या को संसदीय हिंदी समिति द्वारा राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2018 ।

दिल्ली सरकार द्वारा सराहनीय शिक्षक पुरस्कार

छात्रों की उपलब्धियां

दक्षिण एशिया युवा शिखर सम्मेलन में पहुंचीं प्रतिज्ञा

प्रतिज्ञा, तान्या मलिक और राशी अग्रवाल को गृह विज्ञान विभाग द्वारा सम्मानित किया गया।

विश्व खाद्य दिवस 2018 सुश्री ज्योति गोयल पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेता रहीं।

लक्ष्मीबाई कॉलेज लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। छात्रों के परीक्षा परिणाम संतोषजनक के साथ उल्लेखनीय रहे । प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रदर्शन बेहतरीन है। 98 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी (ऑनर्स) और 95 प्रतिशत हिंदी (ऑनर्स) में उत्तीर्ण हुए। अधिकांश पाठ्यक्रमों में बीकॉम (पास) ,बी.कॉम (ऑनर्स), राजनीति विज्ञान

(ऑनर्स) और गणित (ऑनर्स)} में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है।बीबीइ में 85 प्रतिशत से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, दर्शनशास्त्र (ऑनर्स), इतिहास (ऑनर्स) और बी.ए. (प्रोग्राम), संस्कृत (ऑनर्स) और अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में भी छात्रों का संतोषजनक परिणाम रहा।

द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों ने भी इस अकादमिक वर्ष में असाधारण प्रदर्शन किया है। बी. कॉम (प्रो), बी. कॉम (ऑनर्स), गणित (ऑनर्स), दर्शनशास्त्र (ऑनर्स), राजीनीति विज्ञान (ऑनर्स) और संस्कृत (ऑनर्स) जैसे पाठ्यक्रमों में 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत रहा है। बी. कॉम (ऑनर्स) तृतीय वर्ष में रिकॉर्ड 99 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों वर्षों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों ने अपने संबंधित पाठ्यक्रमों में उच्च अंक प्राप्त करके हमें गौरवान्वित किया है।

कॉलेज के विभिन्न विभागों की प्रमुख विशेषताएं

वाणिज्य विभाग - स्थापना वर्ष - 1977

वाणिज्य विभाग द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं- बी.कॉम (ऑनर्स।) और बी.कॉम,, बी.ए. (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स (बीबीई) तीन वर्षीय पाठयक्रम अर्थशास्त्र विभाग के साथ संयुक्त रूप से पेशकश की तथा बी.ए. (प्रोग्राम) -तीन वर्षीय पाठ्यक्रम।

विभाग का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है। विभाग में बहुत कुशल और अनुभवी अध्यापक है, जो लेखा, कराधान, विपणन, वित्त, कानून और कंप्यूटर के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं ।वे छात्रों को व्यापार क्षेत्र की बारीकियों और जटिलताओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। विभाग लगातार छात्रों को कैरियर के लक्ष्यों को दिशा निर्देश करने में और उन्हें अपनी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है।

लक्ष्मीबाई कॉलेज आर्थिक रूप से कमजोर छात्र -छात्राओं के लिए इडब्ल्यूएस/बीपीएल, एससी,ओबीसी(गैरक्रीमी लेयर),आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक ,पीडब्ल्यूडी,कश्मीरी प्रवासियों,सैनिकों की विधवाओं ,पूर्व सैनिकों के आश्रितों तथा अन्य कॉलेज के छात्रों को जून के महीने में एम. कॉम प्रवेश की कोचिंग बिना किसी खर्च के प्रदान करता है।विभाग अपने वार्षिक उत्सव 'कम्स्पेक्ट' के माध्यम से छात्रों को बिजनेस प्लान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और उन्हें प्रतिभा दिखाने और उनकी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। वाद-विवाद, समूह चर्चा आदि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं ।विभाग विभिन्न समसामयिक विषयों जैसे स्टार्टअप, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और छात्रों के लिए वाणिज्य और प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। यह छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सीए, सीएस, आइसीडब्ल्यूए, एलएलबी और एमबीए के रूप में आधार प्रदान करता है। हमारे संकाय सदस्यों

में से 2018 में डॉ.सुचेता गाबा और 2019 में डॉ. अलका हरनेजा को श्रेष्ठ व्याख्याता पुरस्कार, उच्च शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।पूर्व छात्रों में ऐसे छात्र शामिल हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ,कारपोरेट क्षेत्र में और संगठनों जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमारे छात्रों को जेनपैक्ट, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, एड्रोइट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में रखा गया है। प्रा .लि.बाइनरी सेमेंटिक्स (गूगल इंडिया में स्थायी प्रतिनियुक्ति के लिए), यस बैंक, फोर्क एंड स्पून, लॉरेंट और बेनन जैसे क्षेत्रों में कॉलेज प्लेसमेंट सेल के माध्यम से छात्रों को मौका मिला है।

अंग्रेजी विभाग: कॉलेज का अंग्रेजी विभाग अपने छात्रों के लिए सीखने की एक जीवंत और खोजपूर्ण आदत बनाने का प्रयास करता है। अंग्रेजी ऑनर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ने अध्ययन की अधिक कैनोनिकल शाखाओं के साथ संतुलन बनाते हुए नए क्षेत्रों जैसे विश्व साहित्य, स्नातकोत्तर साहित्य, अंग्रेजी में भारतीय लेखन और महिलाओं के लेखन को समायोजित करने के लिए काफी हद तक उसे आगे बढ़ाया है। एक सक्षम और अनुभवी संकाय के साथ - जिनमें से पर्याप्त संख्या में पीएचडी धारक हैं । छात्रों को अनुशासन के साथ कार्य करने की पद्धति और पूछताछ करने तथा अपने विश्लेषणात्मक कौशल को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने शिक्षण में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए संकाय के सदस्य विशिष्ट शोध कार्यों में लगे हुए हैं, और उनमें से कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुस्तकों / पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं ।विभिन्न उल्लेखनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी इन सदस्यों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। सीखने के अनौपचारिक क्षेत्रों के साथ रचनात्मक, औपचारिक के साथ ज्ञान को संतुलित करना, अनुभवात्मक के साथ अमूर्त, विभाग गुणवत्ता के लिए एक अधिक विस्तारित शिक्षण मॉडल की पेशकश करना चाहता है।

विभाग को कई अभिनव मंचों की शुरुआत का श्रेय दिया जा सकता है, जैसे कि 2014 में लॉन्च की गई एक वॉल मैगज़ीन और 2016 में एक ब्लॉगस्पॉट साथ ही एक ई-पत्रिका "क़लम" का श्रेय भी विभाग को जाता है।

द वॉल मैगज़ीन "शब्द अगाध' - जो एक स्वतंत्र रचनात्मक मंच के रूप में कार्य करता है - संस्था में बोल्ड और निडर अभिव्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों में से एक बन गया है, अद्वितीय है लगभग सभी विषयों के छात्रों द्वारा अपनी कल्पना को यहां संकल्पित किया जा रहा है।

विभाग ने अतीत (2017) में एमए प्रवेश कक्षाएं भी आयोजित की हैं। गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सम्मेलन, नए प्रवेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, रचनात्मक लेखन कार्यशालाएं और थिएटर कार्यशालाएं शामिल हैं, जो प्रयास 2015 में "मम्मा मिया" के यादगार मंचन के रूप में नाट्य प्रस्तुति में परिणत हुई । हमारी विभागीय सोसाइटी के द्वारा

छात्रों को बोलने की कला में निपुण बनाया जाता है।" जो शिक्षकों और छात्र सदस्यों रचनात्मक रूप से आगे ले जाने वाला है। वार्षिक साहित्यिक कार्यक्रम "एपिफेनी" ने अलग सोच को निखारा है।और साथ ही साथ बहस और साहित्यिक प्रश्नोत्तरी जैसे अधिक लोकप्रिय प्रतियोगिताओं को बनाए रखा है। हाल ही में हमने कॉलेज में "साइलेंस की ओर से बोलना: साइलेंस से बोलना" पर एक इंटर कॉलेज स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस नए मैदान में कदम रखा।

हमारे 2017 बैच के दो छात्राओं वसुंधरा और यशिका अनेजा को सर सी.पी. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा "रामास्वामी अय्यर अंग्रेजी निबंध पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। एक अन्य पूर्व छात्रा मंजिमा मिश्रा ने हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है, 'इंडियन फेमिनिन फ्यूरी"। हमारे कई छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन तथा एमफिल जैसे उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़े हैं। विभाग अंग्रेजी संचार और लेखन में पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम भी सिखाता है, साथ ही बीए (प्रो.) के छात्रों और अन्य ऑनर्स पाठ्यक्रमों के छात्रों को महिला और अधिकारिता, अनुवाद अध्ययन तथा पाठ और प्रदर्शन जैसे सैद्धांतिक ग्राउंडिंग के साथ पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

हिंदी विभाग- महाविद्यालय का हिंदी विभाग प्राध्यापकों और छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग है. विभाग के पास बड़ी संख्या में योग्य प्राध्यापक हैं। विभाग में बी.ए. (ऑनर्स) एवं बी.ए. (प्रो.) की कक्षाएं संचालित होती है।विभाग अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और उन्हें राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए धैर्य के साथ अध्ययन चिंतन के लिए प्रेरित करता है। छात्रों के परीक्षा परिणाम सराहनीय रहे। हिदी साहित्य के अलावा ऐच्छिक विषयों में सिनेमा, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी ,लोकप्रिय साहित्य जैसे विषयों को जगह मिली है ।ऐसे विषय विद्यार्थियों की रोचकता को बढ़ाने वाले और रोजगार की दिशाओं को खोलने वाले है। आज के समय में हिंदी का क्षेत्र बढ़ रहा है यह रोजगार परक हिंदी पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन चुकी है। निर्धारित पाठ्यक्रम हिदी भाषा और साहित्य को भिन्न भाषा -भाषी छात्रों के बीच में लोक प्रिय बना रहा है।

विभाग में पूरे वर्ष छात्रों से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियां चलती रहती हैं जैसे -निबंध लेखन, कहानी ,कविता, लोकगीत गायन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।वाद-विवाद प्रतियोगिता प्रति वर्ष अंतर महाविद्यालयी स्तर पर आयोजित की जाती हैं ।जो छात्रों के व्यक्तित्व को निखारता है। सत्र के सितंबर माह में हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है। बीते वर्षों गौरव की बात रही कि सत्र 2007 से 2009 की छात्रा सुश्री प्रीती हुडा देश की सम्मानीय सेवा आइएएस में 288 पद पर चयनित होने में सफल रही। यह विभाग के लिए गर्व का विषय है।

इतिहास विभाग की स्थापना 1965 में हुई थी। इतिहास विभाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम हैं- (i) बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास पाठ्यक्रम; (ii) बी.ए. (प्रो.) अनुशासन पाठ्यक्रम (iii) इतिहास ऑनर्स और प्रोग्राम स्टूडेंट्स दोनों के लिए एम आइ यल ।

विभाग सामान्य ऐच्छिक और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम के रूप में अन्य विभागों के छात्रों को कई अंतःविषय पत्र भी प्रदान करता है। विभाग द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम भारतीय और विश्व इतिहास को प्राचीन काल से समकालीन समय तक शामिल करता है। विभाग के पास समर्पित और योग्य शिक्षक हैं, जिनमें से कई एक को के शोध और शिक्षण विशेषज्ञता प्राप्त है । शिक्षण पद्धति परस्पर क्रियात्मक दृष्टिकोण के साथ जिसमें इंटरैक्टिव कक्षाओं, समूह चर्चाओं, क्षेत्र यात्राओं और मूवी स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया है। विभाग के पास हिस्टीरिया नामक एक हिस्ट्री सोसाइटी है, जो छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और वास्तविक बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कम से कम एक विशेष व्याख्यान / वार्ता एक सेमेस्टर में आयोजित की जाती है और प्रख्यात विद्वानों को दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आदि से वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया जाता है। छात्र विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों अर्थात कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किले और हुमायूं का पुराना किला आदि में जाते हैं। अपनी परियोजनाओं और असाइनमेंट को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से परे जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कियाजाता है।

गृह विज्ञान विभाग 1984 में स्थापित किया गया था। यह बी.ए. (प्रो.) की कक्षाओं में खाद्य प्रौद्योगिकी के साथ परिधान डिजाइन और निर्माण के साथ बीए कार्यक्रम; बीए / बीएससी / बीकॉम (ऑनर्स) फूड एंड न्यूट्रिशन ,फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के लिए जेनेरिक ऐच्छिक (जीइ) के विषय प्रदान करता है। गृह विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम प्रकृति में अंतःविषय हैं। पाठ्यक्रम पेशेवर कौशल के उद्देश्य से जहां छात्रों को खाद्य और परिधान उद्योग की गहन अध्ययन के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं में काम के अवसर मिलते हैं। संकाय अनुसंधान, प्रकाशन, शोध पत्र प्रस्तुति (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) के साथ-साथ विस्तार गतिविधियों में संलग्न है। विभागीय संकाय ने अकादमिक प्रस्तुतियों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए हैं। संकाय के प्राध्यापकों को विभिन्न सेमिनारों और कार्यक्रमों में अध्यक्ष के साथ-साथ अध्यक्ष के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। खाद्य प्रौद्योगिकी तथा परिधान डिजाइन और निर्माण के लिए दो सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। खाद्य और परिधान से संबंधित राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और व्याख्यानों के आयोजन में विभाग सक्रिय रूप से शामिल है।

विस्तार गतिविधि के रूप मे विभाग हर साल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पोषण उत्सव, खाद्य और पोषण महोत्सव तथा स्वस्थ नुस्खा प्रतियोगिता के माध्यम से पोषण और जीवन शैली संदेशों के बारे में जागरूकता पैदा करके उसे छात्रों और संकायों तक पहुंचाता है। विभाग

शिल्प मेला और शिल्पकारों एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मास्टर शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और छात्रों को कढ़ाई कौशल सिखाने के लिए आमंत्रित करता है। यह पारंपरिक भारतीय वस्त्र शिल्प रूपों के संरक्षण में सहयोग करता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एकमात्र ऐसा कॉलेज है, जो गृह विज्ञान के दो अनुशासन पाठ्यक्रम अर्थात् खाद्य प्रौद्योगिकी तथा परिधान डिजाइन और निर्माण प्रदान करता है।

गणित विभाग 1965 में स्थापित किया गया था। विभाग में उच्च निपुण और समर्पित संकाय शामिल हैं जो अपने छात्रों के लिए निरंतर सीखने का वातावरण प्रदान करने के लिए परिश्रम करते हैं। विभाग की मुख्य ताकत अतिरिक्त शिक्षण सत्र है जिसमें अवधारणाओं के गहन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। शिक्षक अपने शिक्षण और शोधकार्यों में नवीनतम पद्धति को सीखने और अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ट्यूटोरियल सत्रों में छात्रों को व्यापक प्रस्तुतियाँ देने और अकादमिक चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह प्रयास छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करता है और छात्रों को पहले से मौजूद अवधारणाओं और धारणाओं से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। छात्रों को अध्ययन और अनुसंधान के लिए नवीनतम गणितीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा के भीतर उपस्थित छात्र संकाय बातचीत के अलावा शिक्षक हमेशा छात्रों को अपने संदेह को दूर करने और उनके शैक्षणिक कैरियर के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एवं सलाह देने के लिए उपलब्ध होते हैं। विचारों और प्रासंगिक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए शिक्षक और छात्र व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से लगातार संपर्क में रहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

संगीत विभाग संगीत विभाग की स्थापना 1977 में हुई थी ।हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत (मुखर) बी.ए. (प्रो.) के तहत विषयों में से एक है। वर्तमान में सीबीसीएस पाठ्यक्रम के तहत विभाग तीसरे सेमेस्टर के बाद पांचवे और छठें सेमेस्टर में जीई में बीए (प्रोग्राम) पाठ्यक्रम में ए इ सी सी की पेशकश कर रहा है। शिक्षण के अलावा विभाग राष्ट्रीय कार्यों और वार्षिक दिवस समारोह के बाद अंतर कक्षा / अंतर महाविद्यालयी संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। जहाँ विभाग के छात्र बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। विभाग विभिन्न विषयों पर व्याख्यान एवं संगीत कार्यशाला भी आयोजित करता है जो छात्रों को इस विषय के बारे में बेहतर समझ रखने में मदद करता है। विभाग शैक्षणिक और साथ ही कॉलेज के सांस्कृतिक विकास में योगदान दे रहा है। वर्तमान में दो स्थायी प्राध्यापक हैं- डॉ.कृष्ण चौधरी (एसोसिएट प्रोफेसर) और डॉ .रेणु जैन (सहायक प्रोफेसर) और एक स्थायी तबला संगतकार श्री सुमित रामदोहकर जी हैं।

दर्शन विभाग दर्शन विभाग की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। बी.ए.(ऑनर्स), बी.ए.(प्रो.), एम.ए. (ट्यूटोरियल), मानवाधिकार जैसे अंतःविषय पत्र, सार्वजनिक डोमेन में नैतिकता और तर्क जो कॉर्पोरेट जगत और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। युवा एवं ऊर्जावान संकाय सदस्य और उत्साही छात्र जो न केवल अंत:विभागीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बल्कि अन्य विभागों और कॉलेज की विभिन्न शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विभाग के सभी प्राध्यापक पीएचडी धारक हैं या अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और विदेश के प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ इस तरह की बातचीत के लिए विभाग कई मंचों के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास करता है, संकाय और छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

राजनीति विज्ञान विभाग 1965 में स्थापित किया गया था। विभाग में 24 संकायों के साथ एक मजबूत शैक्षणिक प्रोफ़ाइल है, उनमें से 14 पीएचडी हैं। शिक्षक स्वयं को ओरिएंटेशन और कुछ नया करने की खोज के साथ अपडेट कर हैं। कुछ प्राध्यापक उच्च स्तरीय शोध कार्य में संलग्न हैं । संकाय वैश्विक आमंत्रण सूची में रहा है, जैसा कि ब्राउन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त पुरस्कारों और पेरिस और काबुल में शोध प्रस्तुति में भी हिस्सा लिया।

राजनीति विज्ञान विभाग 2011 में रिवाजिंग वूमन मूवमेंट, महिला एवं मानवाधिकार , एंगेजिंग स्टेट एंड सोसाइटी जैसे कई विषयों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित करता रहा है। कॉलेज में महिला विकास केंद्र राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा संचालित किया जाता है जहां संकाय लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमों तथा आत्मरक्षा और जागरूकता पर सत्र के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़े हैं।

हमारे संकाय द्वारा अंग्रेजी में मौलिक लेखन से हिंदी में अनुवाद कार्य ने हिंदी भाषी छात्रों की बड़ी संख्या में मदद की है, जिनमें से कुछ पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। हमारे शिक्षकों ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पाठ्यपुस्तकों (पियर्सन प्रकाशन) वकालत पत्र (केयर इंडिया से), प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों और संगठनों (अग्रगामी) के साथ परामर्श में योगदान दिया है।। संकाय के कुछ सदस्यों के शोध कार्य ने हमारे छात्रों को शैक्षणिक राजनीति के माध्यम से जमीनी स्तर की राजनीति खासकर पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उजागर करने में सक्षम बनाया है। छात्रों को हमारे संकाय से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित सामुदायिक और सार्वजनिक हित गतिविधियों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

विभाग के सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजीसी और इनोवेशन क्लस्टर सेंटर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र पेश करते रहे हैं, टेरी विश्वविद्यालय, दिल्ली

विश्वविद्यालय, गुवाहाटी में व्याख्यान दिये हैं तथा सेमिनारों में सत्र की अध्यक्षता की है और नियमित रूप से संसाधन व्यक्तियों, नोडल अधिकारियों और पैनलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम विकास और महिला तथा कानूनी साक्षरता जैसे ऐड-ऑन पाठ्यक्रमों की तैयारी में भी योगदान दिया है।

संस्कृत विभाग 1965 में स्थापित किया गया था। हमारा विभाग विभिन्न पाठ्यक्रम को चलाता है: बी.ए.(ऑनर्स), संस्कृत (स्नातक पाठ्यक्रम), संस्कृत में स्नातकोत्तर (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) बी.ए.(प्रो.) संस्कृत अनुशासन, ऍमआइएल ,कोर एइसीसी (एमआइएल संचार)।

विभाग के दो स्थायी प्राध्यापक हैं: डॉ. अनीता शर्मा और डॉ.डोलमनी आर्य।

डॉ.अनीता शर्मा एम.ए., एम.फिल,पीएच.डी हैं। तथा एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। डॉ. डोलामनी आर्या एम.ए., पीएच.डी. है वे सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं उन्हें एम.ए. में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है तथा दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा '**संस्कृत-स्मारक सम्मान**' मिला।

पुरस्कार

शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित विश्वविद्यालय परीक्षा में अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है।

शैक्षणिक पुरस्कार

कॉलेज निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करता है-

*द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के सभी विषयों में ऑनर्स कोर्स के टॉपर।

* द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष बी.ए. (प्रोग्राम)में व्यक्तिगत विषयों के टॉपर।

*तृतीय वर्ष में अनुशासन पाठ्यक्रमों सभी विषयों में के टॉपर।

*द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के बी.कॉम (प्रो.) में अलग-अलग विषयों के टॉपर।

* प्रत्येक पाठ्यक्रम में एम.ए. प्रथम वर्ष का टॉपर।

* प्रत्येक पाठ्यक्रम में एम.ए. फाइनल का टॉपर।

संस्थागत और प्रायोजित पुरस्कार

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भिन्न गणमान्य लोगों द्वारा कई पुरस्कार और ट्राफियां की महाविद्यालय में व्यवस्था है।ये नीचे सूचीबद्ध हैं:

*मिस सी के कौसुकुट्टी और सुश्री जे कौशिक द्वारा ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर के लिए पुरस्कार।

*सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंड स्पोर्ट्स वुमन के लिए श्री दीपक फुकन रनिंग ट्रॉफी

*सुश्री गोरोवारा आल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रनर अप पुरस्कार

*श्रीमती पद्म रस्तोगी रनिंग ट्रॉफी और प्रमाणपत्र खेल और पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए

*मिस.सी.के.कौसुकुट्टी और सुश्री जे.कौशिक पुरस्कार बी ए (आनर्स)में उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए।

* मिस.सी.के.कौसुकुट्टी पुरस्कार बी.ए(.प्रो) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

* ललित कला में सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए बृहस्पति स्मृति पुरस्कार

*संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ उद्यम करने वाले छात्र के लिए एस एल पासी मेमोरियल पुरस्कार

*श्री ललित नारायण सक्सेना मेमोरियल पुरस्कार संस्कृत में वाद -विवाद प्रतियोगिता में सर्वोत्तम छात्र के लिए

* श्री ललित नारायण सक्सेना मेमोरियल पुरस्कार संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए

*श्रीमती फूलवती सक्सेना स्मृति पुरस्कार ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट तृतीय वर्ष गृह विज्ञान विभाग के लिए

*श्रीमती फूलवती सक्सेना स्मृति पुरस्कार संगीत विभाग में तृतीय वर्ष ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट के लिए

*महिला विकास कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डॉ. (श्रीमती) आर. झा. स्मृति पुरस्कार

* श्री जयपाल और श्रीमती कमल अहलूवालिया स्मृति पुरस्कार अ.हिंदी वाद-विवाद ब. हिंदी नाट्यशास्त्र में सर्वश्रेठ प्रदर्शन के लिए

*श्रीमती राधा रानी मेमोरियल खाद्य प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उद्यमी छात्र के लिए पुरस्कार।

* श्रीमती शकुंतला देवी स्मृति पुरस्कार परिधान डिजाइन और निर्माण में सबसे अधिक उद्यमी छात्र के लिए

* श्री जयपाल और श्रीमती कमल अहलूवालिया स्मृति पुरस्कार खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए

* प्रो-राम कुमार स्मृति रनिंग ट्रॉफी इंटर-क्लास वन एक्ट प्ले प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए

*श्री बसंत लाल भूटानी स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी मेंऑन ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए

* श्रीमती कलावती भूटानी स्मृति पुरस्कार संस्कृत में मंत्र-अंताक्षरी प्रतियोगिता के लिए

*डॉ. (श्रीमती) रमा झा स्मृति (दो पुरस्कार) रचनात्मक लेखन के लिए

*श्रीमती राज दुलारी स्मृति पुरुस्कार संस्कृत में एम ए (फाइनल) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*श्रीमती कौशल्या भारद्वाज स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी (ऑनर्स) प्रथम और द्वितीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए।

*श्रीमती माया देवी मेमोरियल पुरस्कार अंग्रेजी (आनर्स)में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*प्रो.राम कुमार स्मृति पुरस्कार अंग्रेजी में बी ए (प्रो) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए।

* बी.ए. (प्रो) इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए डॉ.बी.आर.खनीजो स्मृति एवं अकादमिक पुरस्कार

*प्रो.राम कुमार स्मृति पुरस्कार बी.ए. (प्रो) राजनीति विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*श्री.आर.एल. बनर्जी स्मृति पुरस्कार बी.ए (प्रो). में कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*श्री डी.पी. गांगुली स्मृति पुरस्कार बी कॉम (प्रो) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए।

* श्रीमती निशा रानी देवी स्मृति पुरस्कार 'फूड टेक्नोलाजी ' बी ए (प्रो)में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*श्री सी. डी. अरोड़ा स्मृति पुरस्कार, बी ए (प्रो)में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) ,द्वितीय वर्ष में (प्रथम और द्वितीय वर्ष के संयुक्त परिणाम) में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रो.टी.आर.विज स्मृति पुरस्कार

*श्रीमती सत्या देवी स्मृति पुरस्कार व्यापार डेटा संधान बी ए (प्रो) प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिये

* श्री बांके बिहारी भटनागर स्मृति पुरस्कार बी.ए प्रथम वर्ष हिंदी (आनर्स). में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

* श्री करतार सिंह ग्रोवर स्मृति पुरस्कार, बी ए (प्रो) द्वितीय वर्ष पंजाबी बी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

* श्रीमती जसवंत कौर ग्रोवर स्मृति पुरस्कार बी.ए. (पास) अथवा पंजाबी ए में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए

*इतिहास (ऑनर्स) प्रथम वर्ष में उच्चतम अंक हासिल करने के लिए डॉ.बी.आर.खानजो स्मृति एवं अकादमिक पुरस्कार

*डॉ.(श्रीमती) आर. झा स्मृति अवार्ड फॉर बेस्ट ऑल राउंड अकादमिक प्रदर्शन बी.ए.(प्रो)तृतीय वर्ष के लिए

*डॉ.(श्रीमती) आर .झा स्मृति अवार्ड अंग्रेजी (आनर्स) तृतीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए

*पं. कुंदन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार बी.ए. (ऑनर्स।) हिंदी तृतीय वर्ष के लिए

* श्रीमती उषा जैन स्मृति पुरस्कार बी ए (प्रो) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए संयुक्त रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च अंक हेतु

*श्रीमती स्वर्ण अरोड़ा स्मृति पुरस्कार बी.ए. (ऑनर्स) तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अंक के लिए

*प्रोफेसर ललित के.भूटानी स्मृति पुरस्कार बी ए (ऑनर्स)प्रथम वर्ष इतिहास में सर्वोच्च अंकों के लिए

*डॉ .सोहन लाल गुलाटी स्मृति पुरस्कार बी ए (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष इतिहास में सर्वोच्च अंकों के लिए

*श्रीमती कौशल्या गुलाटी स्मृति पुरस्कार इतिहास बी ए (ऑनर्स) तृतीय वर्ष के उच्चतम अंक के लिए

*श्रीमती प्रभावती स्मृति पुरस्कार बी ए(ऑनर्स)दर्शनशास्त्र के पेपर- I (तर्क) में उच्चतम अंकों के लिये

*श्री वी.के.चतुर्वेदी स्मृति पुरस्कार बी.ए (प्रो) हिंदी तृतीय वर्ष. में सर्वोच्च अंक के लिए

*श्री आर. आर.अग्रवाल स्मृति पुरस्कार बी.कॉम (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष में उच्चतम अंकों के लिए

* बी.कॉम (ऑनर्स)में उच्चतम अंकों के लिए श्री हरबंस लाल बंसल स्मृति पुरस्कार

* श्रीमती सत्यादेवी बंसल स्मृति पुरस्कार बी.कॉम (प्रो) प्रथम,द्वितीय,तृतीय वर्ष में संयुक्त रूप से उच्चतम अंकों के लिये

*श्री सी बी गुप्ता स्मृति पुरस्कार, बी कॉम (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष 'आयकर 'पेपर संख्या XIII में उच्चतम अंक हासिल करने के लिए

*श्रीमती कलावती मित्तल स्मृति पुरस्कार बी.कॉम (ऑनर्स) तृतीय वर्ष में उच्चतम अंकों के लिए

*श्री प्रेम के. सेठ स्मृति पुरस्कार बी.ए.(आनर्स) द्वितीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए

*श्री यू यस भटनागर स्मृति पुरस्कार बी कॉम (ऑनर्स) कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर (VIII) में उच्चतम अंक हासिल करने के लिए

*श्रीमती सावित्री लयाल स्मृति पुरस्कार ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रनर अप के लिए

* श्रीमती लक्ष्मीबाई गोरावारा स्मृति पुरस्कार हिंदी (ऑनर्स) प्रथम वर्ष में उच्चतम अंको के लिए

*बी एस जैन स्मृति पुरस्कार बी कॉम (ऑनर्स)तृतीय वर्ष माइको इकोनॉमिक्स के लिए

*श्री एम.आर.जैन और श्रीमती नागिनी देवी जैन स्मृति पुरस्कार संरक्षण की गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी के लिए

* प्रो. जे .एल .जैन और श्रीमती चंदतारी जैन स्मारक छात्रवृत्ति

* सरला शर्मा पुरस्कार नाटकीयता में उत्कृष्टता के लिए

*डॉ. जे.सी. दुआ पुरस्कार पर्यटन के छात्रों के लिए

*डॉ .उषा अग्रवाल ट्रस्ट बी.कॉम(ऑनर्स) के लिए छात्रवृत्ति बंदोबस्ती निधि

कट ऑफ लिस्ट वर्ष 2018-2019

पाठ्यक्रम का नाम	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग	कश्मीरी प्रवासी
बी .ए. (प्रोग्राम)।	78%	61%	70%	66%	60%	68%
इतिहास (ऑनर्स)	83%	76%	78%	72%	67%	NA
राजनीति विज्ञान (ऑनर्स)	82 %	80%	80%	68.5 %	68 %	70%
बीएससी (गणित)	90.5%	87.5%	75%	63%	60%	69%
हिंदी	77.5%	66.5 %	70.5%	52%	58%	65.5

(ऑनर्स)						
अंग्रेजी (ऑनर्स।)	86.5%	75.5 %	74%	75.5%	60%	NA
दर्शन (ऑनर्स।)	80%	64%	64%	55%	55%	NA
संस्कृत (ऑनर्स)	45%	40.25 %	40.25%	40.25%	40.25 %	40.25%
अर्थशास्त्र (ऑनर्स)	92.25%	77.5%	65%	61.5%	61.5%	82.25%
बी.कॉम (ऑनर्स)	87.75%	66%	63%	42.75 %	45%	77.75
बी.कॉम	84.75 %	70%	67%	40%	45%	74.75

नोट: अंकों का प्रतिशत, जिस पर शैक्षणिक सत्र (2018-19) के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रवेश बंद

2019-2020 के लिए वार्षिक प्रभार और अन्य चरणों का विवरण

विशेष रूप से एस	बीए(शिक्षा) दोनों	बीए (पी) और बीए (एच) अर्थशास्त्र, हिंदी, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, दर्शन, संस्कृत अनुष्ठान	बी.ए. (पी) संगीत & शारीरिक शिक्षा	बीए (पी) एफटी, एडीसी और कंप्यूटर अनुप्रयोग	बीए (पी) एफटी एंड कंपुट एर अप्पा टियोन के साथ) दोनों	बी.कॉम (प्रो)	बी.कॉम (ऑनर्स)	बी.बी. ई	बी.एस सी. (ऑनर्स) गणित	एम.ए. संस्कृत, दर्शन और राजनीति
प्रवेश शुल्क	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
एनएसएस शुल्क	180	180	180	180	180	180	180	180	180	216
ट्यूशन	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
शुल्क	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
पत्रिका शुल्क	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
पुस्तकालय शुल्क	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
पानी, बिजली y और	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maint l	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
बाग की फीस	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

पहचान पत्र शुल्क	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	1,820	1,020	1,820	1,420	1,820	1,020	1,320	2,620	1,020	1,420
W.U.S.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
इयू	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
सांस्कृतिक परिषद	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
डेवलपमेन्ट फ़ाइ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
विश्वविद्यालय की परीक्षा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
शुल्क पर	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
विश्वविद्यालय के एनरोलमेन										
t शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएटियो	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
n शुल्क	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-
संघ शुल्क	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695
शुल्क	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विकास	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
प्रवेश शुल्क	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरिटी डिपॉजिट	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
महिलाओं	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
विकास दर्ज करें और आईसीसी	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
कॉलेज	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
अन्य लोग	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
खाद्य तकनीक	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
y शुल्क	10,205	8,405	9,205	9,805	11,205	8,405	9,705	22,005	9,405	10,044

नोट: शुल्क की वापसी: विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार।

• यदि बैंक शुल्क पर्ची खो जाती है, तो 30रु के भुगतान पर कॉलेज कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

• किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि कॉलेज के सभी बकाया राशि को मंजूरी नहीं मिल जाती है और एक मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है।

• सिक्योरिटी डिपॉजिट का केवल पचास प्रतिशत ही वापस किया जाता है, दिसंबर के महीने में उन छात्रों को जिन्होंने वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, बशर्ते वे कॉलेज के ऑफिस में भरे हुए रिफंड फॉर्म को 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच जमा करें। शेष पचास प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट गोल्डन ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन को जाता है। यदि किसी कॉलेज की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, या पुस्तकालय की किताब खो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, तो सुरक्षा जमा से कटौती की जाएगी।

• क्लीयरेंस सर्टिफिकेट सिक्योरिटी मनी के रिफंड से पहले लाइब्रेरी , स्पोर्ट्स और ऑफिस से लेना होगा।

* विदेशी छात्रों को शुल्क विवरण के लिए कैशियर के संपर्क में रहना चाहिए ।

महाविद्यालय परिसर के नियम

<u>क्या करें</u>

1. अनुशासन और समय की पाबंदी सफलता के अभिन्न अंग हैं। समय पर अपनी कक्षाओं और प्रयोगशाला सत्र में भाग लें। देर से आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

2. अपनी कक्षाओं में नियमित रहें। न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति नहीं रखने वाले छात्रों को सेमेस्टर परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा।

3. अपने साथी सहपाठियों, वरिष्ठ छात्रों के साथ-साथ अपने शिक्षकों का भी सम्मान करें। आत्मीय और विनम्र भाषा का प्रयोग करें और कॉलेज के संकाय, कर्मचारियों, छात्रों और मेहमानों के साथ शालीनता के साथ व्यवहार करें।

4. कॉलेज की संपत्ति का ख्याल रखें। कॉलेज के प्रयोगशालाओं, उपकरणों या अन्य संपत्ति के नुकसान होने पर नुकसान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

5. कॉलेज के सभी असाइनमेंट, टेस्ट और परीक्षाओं को गंभीरता से लें और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आपको दी गई किसी भी जानकारी और या अन्य कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. कॉलेज नोटिस बोर्ड / कॉलेज ऐप / वेब साइट पर प्रदर्शित नोटिस / परिपत्र पढ़ें। इस प्रकार प्रदर्शित किसी भी नोटिस / परिपत्र को न पढ़ने की अज्ञानता को तथा दिए निर्देशों का पालन करने में बरती गई लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. अपने कार्यों के लिए ज़िम्मेदार बनें और अपनी कक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को साझा करना सीखें।

8. कॉलेज में उपलब्ध सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग करें। पुस्तकालय, खेल का मैदान, कैंटीन और कॉमन रूम आपके सीखने और बातचीत का केंद्र हो सकता है।

9. किसी भी समस्या या भ्रम की स्थिति में, तुरंत अपने कक्षा प्रमुख को बताएं।

10. किसी भी वास्तविक शिकायत को बिना किसी डर के संबंधित प्राधिकारी को दर्ज कराएं।

11. कॉलेज के फर्नीचर का उपयोग जिम्मेदारी से करें। यदि आपको लॉन, गलियारे और मैदान में कोई भी कुर्सी / टेबल मिलती है, तो कृपया उसे निकटतम क्लास रूम में रख दें।

12. किसी भी निषिद्ध कार्रवाई में शामिल होने पर 100/200/300/500/1000/ और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जुर्माना हो सकता है।

<u>क्या न करें</u>

1. रैगिंग न करें और रैगिंग के लिए मूक गवाह न बनें। यह भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। कॉलेज परिसर के अंदर या बाहर किसी भी तरह की रैगिंग या छेड़खानी में लिप्त किसी भी छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2. कॉलेज आपका दूसरा घर है। कैम्पस में कूड़ा न फैलाएं। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण एक बेहतर कल की ओर ले जाएगा।

3. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग न करें। परीक्षा के दौरान दुर्व्यवहार, प्रवेश के उद्देश्य के लिए गलत जानकारी या दस्तावेजों और कॉलेज से ली गई सामग्री को वापस न करने पर छात्रा को गंभीर स्थितियों से निपटना होगा।

4. कैंपस के भीतर गलत से भाषा का प्रयोग न करें।

5. ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे दूसरों को या खुद को नुकसान हो।

6. कैंपस के अंदर या उसके बाहर किसी भी तरह की हिंसा न फैलाएं।

7. कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थ / धूम्रपान सेवन सख्त वर्जित है।

अनुबंध . I

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए सीट का आरक्षण

सीटों की कुल संख्या का 22½% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½%) तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बदला जा सकता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेजों की ओर से यह एक वैधानिक दायित्व है।

कॉलेज शिक्षा के माध्यम के आधार पर किसी भी एससी / एसटी आवेदक को प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी तरह की कमी को दूर किया जाना चाहिए, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करके सुधारात्मक कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों को न्यूनतम अंकों में 5% तक की छूट उनकी पात्रता और संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए दी जाएगी।

यदि 5% छूट देने के बाद भी आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो सभी आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक समय की छूट दी जाएगी। (एसी स्वीकृत प्रस्ताव A88, 14.6.1983) (इसी स्वीकृत प्रस्ताव 157, 24121.2001)। इन मामलों में योग्यता पास प्रतिशत है।

इससे जुड़े प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित लोग आधिकारिक हैं:

क) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / एडीएल। मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / पी रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट।

ग) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं।

घ) उप.क्षेत्राधिकारी उस क्षेत्र के अधिकारी जहां आवेदक या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

ड) प्रशासक / सचिव प्रशासक / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह) के लिए।

आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी अन्य व्यक्ति / प्राधिकारी से प्रमाण पत्र किसी भी मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक एससी या एसटी से संबंधित है, तो आवेदक की जाति / जनजाति को उपयुक्त भारतीय सरकार में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए: (क) उसका / उसकी जाति / जनजाति का नाम (ख) आवेदक एससी या एसटी (ग) जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है या नहीं, आवेदक के सामान्य स्थान और (घ) उपयुक्त सरकार भारत की अनुसूची जिसके तहत उसकी / उसकी जाति / जनजाति को एससी या एसटी के रूप में अनुमोदित किया जाता है।

यदि आवेदन के समय आवेदक के पास एससी या एसटी जाति / जनजाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आवेदक एससी या एसटी जाति / जनजाति प्रमाण पत्र आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को वैध एससी या एसटी जाति / जनजाति प्रमाण पत्र को जमा करना होगा।

यद्यपि यदि कोई एससी / एसटी आवेदक किसी अन्य श्रेणी (उदाहरण के लिए: पीसी/ कर्मचारी वार्ड आदि) के तहत प्रवेश चाहता है, तो आवेदक को उस श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

नोट: अनारक्षित श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षित कोटे में शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुबंध . II

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)गैर क्रीमी लेयर के लिए सीटों की बहाली

27% सीटें ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर, केंद्रीय सूची) से संबंधित आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी।

एक ओबीसी आवेदक को प्रवेश देने के समय, कॉलेज यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल है (ओबीसी की स्थिति मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ओबीसी की केंद्रीय सूची के आधार पर निर्धारित की जानी है) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वेबसाइट पर उपलब्ध http: // ncbc.nic.in/backward classes / index.html

प्रमाण पत्र में आवेदक की गैर.क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22 / 93 . निर्धारित . (एससीटी) दिनांक 15.15.1993 में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा जारी की गई गैर.क्रीमी लेयर स्थिति)।

ओबीसी आवेदक जो 'नॉन क्रीमी लेयर 'से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में आती है, उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए मानकों के अनुसार नॉन.क्रीमी लेयर के संबंध में- डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36036/2 /.एस्ट के अनुसार आवेदकों की स्थिति (Res. I) जो दिनांक 31 मार्च 2016) में गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता वित्तीय वर्ष 2018. 2019 के लिए होगी, जिसे 31 मार्च, 2019 के बाद जारी किया जाएगा।

यदि आवेदक के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष 2018.2019 का ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं है, तो आवेदक पहले जारी किए गए (पुराने) ओबीसी गैर.क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र या पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, आवेदक को उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हालिया वित्तीय वर्ष (2018.19) ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को उपलब्ध करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र में पहले से जारी मूल जाति प्रमाण पत्र के आवेदक का संदर्भ होना चाहिए।

ओबीसी आवेदकों को उक्त कार्यक्रम की न्यूनतम पात्रता अंकों में 10% की छूट दी जाएगी और प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों में ओबीसी आवेदकों को 10% की छूट होगी।

यह ओबीसी आवेदकों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरने के लिए कॉलेजों की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

कॉलेज शिक्षा के माध्यम के आधार पर किसी भी ओबीसी आवेदक को प्रवेश से मना नहीं करेंगे। किसी विशेष भाषा के ज्ञान में किसी भी तरह की कमी को दूर किया जाना चाहिए, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध अनुदानों का उपयोग करके सुधारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

यदि ओबीसी के लिए निर्धारित सीटें न्यूनतम पात्रता पर पहुंचने के बाद रिक्त रहती हैं, तो उसी को विश्वविद्यालय से अनुमोदन के अधीन अन्य पात्र आवेदकों द्वारा परिवर्तित और भरा जा सकता है।

नोट: अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिए मेरिट सूची में मेरिट के क्रम में सभी आवेदक शामिल होंगे। किसी को भी इससे बाहर नहीं रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसमें एससी / एसटी / ओबीसी आवेदक भी शामिल होंगे, यदि वे अनारक्षित योग्यता में आते हैं। आवेदक को अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची से केवल इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह एससी / एसटी / ओबीसी से संबंधित है। इस तरह के आवेदक को अनारक्षित श्रेणी के तहत और साथ ही आरक्षित श्रेणी के तहत माना जाता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य

पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को बाहर किए बिना मेरिट के क्रम में अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर प्रवेश सख्ती से होगा।

अनुबंध III

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

सरकार _____

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक और आर्थिक वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा उत्पादित किए जाने वाले प्रमाण पत्र

दिनांक

प्रमाण पत्र संख्या_____.

वर्ष के लिए मान्य_____.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ _____

की बेटा/ बेटी/पत्नी _____ स्थायी निवासी_____ _____

ग्राम /गली _____ डाक घर _____जिला _____राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में _____पिन कोड _____

जिसकी तस्वीर नीचे दी गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का/ की है। उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है (केवल आठ लाख रुपये) वित्तीय वर्ष _____उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है।

I 5 एकड़ कृषि भूमि और ऊपर

II 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आईआर आवासीय भूखंड

IV अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड

श्री / श्रीमती / कुमारी _____ के अंतर्गत आता/आती है।

जिस जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(केंद्रीय सूची)

मुहर के साथ हस्ताक्षर _____

कार्यालय _____

नाम _____

पद _____

नवीनतम पासपोर्ट फोटो

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय

अनुबंध . IV

अतिरिक्त पाठयक्रम और खेल कोटा (अतिरिक्त सीट्स)

कॉलेजों के लिए खेल सुविधाएं प्रदान करना और सभी छात्रों को अंतर.क्लास प्रतियोगिताओं और सामूहिक खेलों की शुरुआत करके खेल और अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। इसीए और स्पोर्ट्स की कुल मिलाकर प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 1% तथा अधिकतम 5% (कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता) का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

इसीए और खेल के आधार पर भरी जाने वाली सीटों की वास्तविक संख्या, उपलब्ध सुविधाओं, कॉलेजों की आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है।

अनुसूची (प्रारंभिक और अंतिम परीक्षणों सहित) और सीटों की उपलब्धता के बारे में अतिरिक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी।

इसीए और खेल श्रेणियों के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहां प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होता है।

अनुबंध .V

पाठ्येतर कार्यक्रम (इसीए), स्नातक पाठ्यक्रम 2019.2020 के तहत प्रवेश हेतु दिशा.निर्देश।

आवेदकों द्वारा इंगित पाठ्यक्रम और कॉलेजों की प्राथमिकताओं के आधार पर ईसीए आवेदकों के प्रवेश को केंद्रीय परीक्षणों के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

इसीए श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले आवेदक डीयू प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा ईसीए श्रेणी में आवेदन करने के लिए 100रु का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क होगा।

आवेदक अधिकतम तीन इसीए श्रेणियों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

अनारक्षित श्रेणी की आखिरी कट ऑफ की तुलना में शैक्षणिक योग्यता में 15% से अधिक रियायत नहीं दी जाएगी। इसलिए श्रेणी में दाखिला सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिया जायेगा जो न्यूनतम शैक्षिक मानदंडो को पूरा करेंगे।

आवेदकों को केवल एक प्रमाण पत्र (अधिमानतः सर्वोच्च उपलब्धि के साथ) 1 मई, 2016 से 30 अप्रैल, 2019 तक के समय का होना चाहिए, प्रत्येक श्रेणी में वे आवश्यक बात अपनी

भागीदारी के प्रमाण के रूप में आवेदन करना चाहते हैं। अंतिम परीक्षण के लिए चयनित होने पर उन्हें मूल्यांकन के लिए सभी जरुरी प्रमाण पत्र ले जाने होंगे।

इसीए परीक्षणों को दो स्तरों पर आयोजित किया जाएगा: (i) प्रारंभिक परीक्षण; (ii) अंतिम परीक्षण।

इसीए श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए परीक्षण विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा नियुक्त इसीए समिति (प्रवेश) द्वारा आयोजित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्रारंभिक और अंतिम परीक्षणों के लिए तिथियां और स्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित और प्रदर्शित किए जाएंगे और कॉलेज नोटिस बोर्ड पर भी पहले से सूचित किए जाएंगे।

आवेदक को केवल एक बार प्रारंभिक परीक्षणों में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षणों में दूसरे अवसर के लिए किसी भी अनुरोध की अनुमति नहीं होगी।

प्रारंभिक परीक्षणों के आधार पर, अंतिम परीक्षणों के लिए चुने गए आवेदकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सूचित किया जाएगा जो इसीए गतिविधि परीक्षण कर रहे हैं।

इसीए प्रवेश समिति द्वारा प्रमाण पत्र का मूल्यांकन केवल उन आवेदकों के लिए किया जाएगा जो अंतिम परीक्षणों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। अंतिम परीक्षण के समय मूल्यांकन के लिए आवेदकों को मूल (और स्व.सत्यापित फोटोकॉपी के साथ) सभी आवश्यक प्रमाण पत्र ले जाने होंगे।

अंतिम मेरिट सूची क्रमशः इसीए प्रदर्शन (अंतिम परीक्षणों में) और प्रामाणिक मूल्यांकन 75:25 के भारांक के आधार पर होगी।

आवेदक को अंतिम परीक्षण में कम से कम 50% अंक (75 में से 38) प्राप्त करने होंगे, तभी उनका नाम सूची में शामिल किया जायेगा। सभी पात्र आवेदकों के लिए उपश्रेणी-वार अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

अंतिम अंकों (100 में से) में एक बराबरी / टाई के मामले में, परीक्षण में उच्च अंक वाले उम्मीदवार (75 में से) को अंतिम मेरिट सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा। यदि कोई बराबरी / टाई अभी भी कायम है, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों की रैंक समान होगी।

प्रारंभिक और अंतिम परीक्षणों की वीडियोग्राफी की जाएगी और प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिकॉर्डिंग संरक्षित की जाएगी।

उप-श्रेणी के अनुसार अंतिम मेरिट आवेदकों की सूची, इसीए प्रमाणपत्रों के लिए और अंतिम परीक्षणों में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किए गए अंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट और कॉलेज के वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित किए जाएंगे, जो इआइए गतिविधि परीक्षण कर रहे हैं।

अंतिम मेरिट सूची में चयन एक आवेदक को प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। किसी भी इसीए उप-श्रेणी में प्रवेश उस महाविद्यालय के पाठ्यक्रम / कॉलेज में सीटों की उपलब्धता के अनुसार होगी।

5% से अधिक स्पोर्ट्स और इसीए कोटा (विषय-वार) के मौजूदा प्रावधान को परिपत्र संख्या Aca.I / स्पोर्ट्स / 2010.11 / 178 के अनुसार 29 मई, 2010 तक जारी रखा गया है। हालांकि, एक मामले में एक विशेष पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक मांग, ईसीए श्रेणी के तहत उक्त पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों की अधिकतम संख्या से दोगुना तक 5% खेल और ईसीए कोटा के दायरे में कॉलेज द्वारा भर्ती किया जा सकता है।

आवेदकों को कॉलेज / विश्वविद्यालय की वेबसाइटों पर अधिसूचित सूचना के अनुसार अपनी पसंद के कॉलेजों में पंजीकरण कराना होगा।

योग्य आवेदकों को पाठ्यक्रम / विषय का आवंटन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप होगा। इसके बाद आवेदकों के प्रवेश को विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर पूरा किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवार प्रवेश के समय एक उपक्रम/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार अध्ययन के स्नातक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए प्रदर्शन करेंगे। यदि कॉलेज में रहने के दौरान वे उपक्रम का उल्लंघन करते हैं तो कॉलेज को उनके प्रवेश रद्द करने का अधिकार है।

किसी भी उम्मीदवार को झूठे / नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीन साल के लिए किसी भी कॉलेज में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार झूठे / नकली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश चाहता है, तो न केवल प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

कॉलेज ईसीए के आधार पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

इसीए के आधार पर अंतिम रूप से भर्ती आवेदकों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृति परिषद को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर नामांकित कॉलेजों द्वारा भेजी जाएगी।

इसीए प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम होगा।

नोट: चयनित उम्मीदवार प्रवेश के समय एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार अध्ययन के स्नातक कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए प्रदर्शन करेंगे।

अनुबंध . VI

स्नातक कार्यक्रमों 2019-2020 में खेल के आधार पर प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

कॉलेजों को पहले से सूचित करना होगा, स्पोर्ट्स कोटा (अतिरिक्त) के तहत सीटों की वास्तविक संख्या और उनके कॉलेज की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर संबंधित स्थिति / घटना / भार श्रेणी के साथ विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की आवश्यकता। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी इसे अधिसूचित किया जाएगा। सभी नामांकित कॉलेज खेल के आधार पर विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

1. आवेदक को डीयू यूजी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना आवश्यक है।

2. आवेदक अधिकतम तीन खेलों में आवेदन कर सकता है।

3. (यूआर / ओबीसी / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / इडब्ल्यूएस) पंजीकरण के लिए 100 रु का अतिरिक्त शुल्क होगा।

प्रवेश निम्न मानको के आधार पर किया जाएगा:

(I) सुपर श्रेणी: खेल परीक्षण के बिना सीधे प्रवेश

(II) खेल परीक्षण के आधार पर प्रवेश।

नामांकित कॉलेजों में उपलब्ध खेल/ खेलों की सूची अनुबंध VI में दी गई है और नामांकित कॉलेजों में खेल की स्थिति / घटना / वजन श्रेणी की सूची अनुबंध VI में दी गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय सूचना बुलेटिन 2019

1. सुपर श्रेणी: खेल परीक्षण के बिना सीधा प्रवेश

(मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन के लिए मानदंड की श्रेणी)

a) युवा खिलाड़ी और खेल मंत्रालय (एमवाइएएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित अंडर.कॉम्पिटिशन (प्रतियोगिता) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्पोर्ट्सपर्सन को प्वाइंट नंबर पर गेम / स्पोर्ट के लिए खेल परीक्षण के बिना डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। II (B) जहां खेल के लिए आवश्यकता को नामांकित कॉलेजों द्वारा दिया गया है।

• अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) द्वारा ओलंपिक खेल

• अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों (आइएसएफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप

• राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल

• एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) द्वारा एशियाई खेल

• अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (आइएसएफ) द्वारा एशियाई चैंपियनशिप

• दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)

अंतर्राष्ट्रीय (दिव्यांगों हेतु आयोजित खेल) पैरालंपिक समिति (आइपीसी**) द्वारा पैरालंपिक खेल**

2. खेल परीक्षण के आधार पर प्रवेश

(मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड के श्रेणियाँ बी, सी और डी)

A. मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 40 अंक

1. अंकों के आधार पर मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के लिए मानदंड खेल / खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के लिए अंक प्रदर्शित करता है।

2. स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल / मेमोरियल / ओपन / प्राइज मनी लीग / रैंकिंग प्रतियोगिताओं आदि के आधार पर मिले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे।

3. आवेदक को तीन मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित कॉपी अपलोड करनी होगी। हालांकि, केवल उच्चतम मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र को मार्किंग के लिए माना जाएगा।

4. तीन साल से पहले के मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र को 01 मई 2016 से 30 अप्रैल 2019 तक माना जाएगा।

5. आवेदक की योग्यता का स्तर केवल उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने प्वाइंट नंबर पर गेम / स्पोर्ट में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अंतर हासिल किया है।

6. आवेदक को अपलोड किए गए उच्चतम योग्यता / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन में न्यूनतम 04 अंक सुरक्षित करना चाहिए।

(B) खेल परीक्षण के लिए अधिकतम 60 अंक

<u>सामुहिक खेल</u>

• बेसबॉल (एम), बास्केटबॉल (एम एंड डब्ल्यू), क्रिकेट (एम एंड डब्ल्यू), फुटबॉल (एम एंड डब्ल्यू), हैंडबॉल (एम एंड डब्ल्यू), हॉकी (एम एंड डब्ल्यू), कबड्डी (एम एंड डब्ल्यू), खो.खो (एम एंड डब्ल्यू), नेटबॉल (डब्ल्यू), सॉफ्टबॉल (डब्ल्यू) और वॉलीबॉल (एम एंड डब्ल्यू) सामूहिक खेल के लिए अंक मानदंड . कुल (60 अंक)

• मौलिक कौशल . (20 अंक)

•परीक्षणों में प्रदर्शन. (40 अंक)

दोहरी और लड़ाकू खेल बैडमिंटन, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, स्क्वैश, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, टेनिस और कुश्ती

• दोहरे और संयुक्त खेलों के लिए अंकन मानदंड . कुल (60 अंक)

• मौलिक कौशल . (10 अंक)

• परीक्षण में प्रदर्शन . (50 अंक)

<u>अकेले खेले जाने वाले खेल</u>

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, सर्वश्रेष्ठ भौतिकी, शतरंज, डाइविंग, जिमनास्टिक्स, पावर.लिफ्टिंग, शूटिंग, तैराकी, भारोत्तोलन और योगा

• व्यक्तिगत खेल के लिए अंकन मानदंड . कुल (60 अंक)

• परीक्षणों में प्रदर्शन . (60 अंक)

स्पोर्ट्स ट्रायल में गेम / स्पोर्ट स्पेसिफिक फिटनेस, फंडामेंटल स्किल और ओवरऑल प्लेइंग एबिलिटी शामिल हैं।

दोहरे और लड़ाकू खेल

बैडमिंटन (एम एंड डब्ल्यू), बॉक्सिंग (एम एंड डब्ल्यू), जूडो (एम एंड डब्ल्यू), स्क्वैश (एम एंड डब्ल्यू), टेबल टेनिस (एम एंड डब्ल्यू), टाइक्वांडो ' (एम एंड डब्ल्यू), टेनिस (एम एंड डब्ल्यू) और कुश्ती (एम एंड डब्ल्यू)

दो खिलाड़ियों के मध्य खेले जाने वाले खेलों के अंक निर्धारण कुल (60 अंक) मौलिक कौशल . (10 अंक)

परीक्षण में प्रदर्शन . (50 अंक)

' क्यूर्गी व्यक्तिगत खेल

तीरंदाजी " (एम एंड डब्ल्यू), एथलेटिक्स (एम एंड डब्ल्यू), शतरंज (एम एंड डब्ल्यू),गोताखोरी (एम एंड डब्ल्यू), जिमनास्टिक्स (एम एंड डब्ल्यू),निशानेबाजी "' (एम एंड डब्ल्यू), तैराकी (एम एंड डब्ल्यू) और वजन उठाना (एम एंड डब्ल्यू)

व्यक्तिगत खेलों के लिए अंकन मानदंड . परीक्षण में कुल (60 अंक) . (60 अंक)

" कम्पाउंड एंड रिकर्व

"' 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल

महत्वपूर्ण नोट :

1. आवेदक को खेल परीक्षण में केवल एक इवेंट / पोजीशन / वेट कैटेगरी में उपस्थित होने की अनुमति होगी

2. आवेदक को खेल परीक्षण में न्यूनतम 30 अंक सुरक्षित करने होंगे, जो कि स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट में शामिल होने के योग्य हो।

3. खेल परीक्षण के संचालन के लिए पहचाने जाने वाले कॉलेज को खेल परीक्षण का वीडियो.ग्राफ बनाना चाहिए और रिकॉर्डिंग को संरक्षित करना चाहिए।

विशिष्ट खेल के लिए खेल कोटा के तहत प्रवेश के लिए खेल परीक्षण विश्वविद्यालय की खेल प्रवेश समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

• अध्यक्ष: प्रिंसिपल / प्रिंसिपल नॉमिनी

• संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग

• विशेषज्ञ / डीयूएससी द्वारा नामांकित किया जाएगा ; प्रतिष्ठित क्षेत्र से खेल के प्रतिष्ठित व्यक्ति

• डयूएससी नॉमिनी

• वाइस चांसलर नॉमिनी (ऑब्जर्वर)

व्यक्तिगत खेल तथा दोहरे और लड़ाकू खेलों के लिए अंक एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जायगा तथा सामूहिक खेलों के लिए अंक विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी के तीन विशेषज्ञ अलग से करेंगे।

ध्यान दें:

1. पात्र आवेदक को पाठ्यक्रम का आवंटन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप होगा और कॉलेज की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

2. संघटक कॉलेजों को भेजी गई स्पोर्ट्स मेरिट सूची में उपस्थित होने वाले आवेदक का नाम कॉलेज में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आवेदक का प्रवेश कॉलेज में एक पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन है।

3. पाठ्यक्रम के आवंटन को कॉलेज की स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है जिसमें शामिल होंगे:

• अध्यक्ष: प्रिंसिपल / प्रिंसिपल नॉमिनी

• संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग

• सदस्य / सदस्य: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग

• नामांकित: कर्मचारी परिषद का एक संकाय सदस्य

4. कॉलेज की खेल प्रवेश समिति:

(ए) आवेदक द्वारा अपलोड किए गए आवेदन पत्र की जांच करें

(बी) डीयूससी द्वारा आवंटित अंकों के अनुसार आवेदक के मूल मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करें।

5.बराबरी / टाई के मामले में: एक ही खेल में समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक और कॉलेज में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं, जिन्हें कॉलेज की स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी द्वारा हल किया जा सकता है:

(ए) खेल परीक्षण में उच्च अंक हासिल करने वाले आवेदक को उच्च वरीयता दी जाएगी।

(b) यदि बराबरी/टाई अभी भी बनी रहती है, तो सभी आवेदक भर्ती हो सकते हैं।

6. यूजी स्पोर्ट्स शिकायत समिति द्वारा मेरिट / भागीदारी खेल प्रमाण पत्र और खेल परीक्षण के लिए अंकों के आवंटन से संबंधित शिकायत का निवारण किया जाएगा। खेल प्रमाण पत्र के अंक शिकायत दर्ज करने के लिए तीन दिनों के लिए आवेदक के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यूजी स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी द्वारा तीन दिनों के भीतर सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

7. पाठ्यक्रम के साथ आवंटित खेल प्रमाण पत्र और खेल परीक्षणों के अंकों वाले अंत में चयनित आवेदकों की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित की जाएगी, यदि कोई हो, तो शिकायतों का संज्ञान लें। कॉलेज की शिकायत समिति को पात्र आवेदकों को

स्वीकार करने से पहले अगले तीन कार्य दिवसों के भीतर सभी शिकायतों का समाधान करना चाहिए।

8. कॉलेज खेल के आधार पर भर्ती किए गए आवेदकों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।

9. खेल के आधार पर अंतिम रूप से भर्ती आवेदक की सूची (सॉफ्ट कॉपी) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर डीयूससी को नामांकित कॉलेजों द्वारा भेजी जाएगी।

10. आवेदक, उनकी आयु के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए अंतर.विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और कहीं भी अंशकालिक / पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

11. खेल परीक्षण के दौरान आवेदक को लगी किसी भी चोट / दुर्घटना के लिए आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

12. रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय आवेदक द्वारा 100/- यह बताते हुए कि वह अपने स्नातक अध्ययन के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए खेलेंगे।

घोषणा : कॉलेज प्रवेश के किसी भी चरण में आवेदकों की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट खेल और उनसे संबंधित स्थिति / घटना / वजन श्रेणी की संख्या और प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ध्यान दें :

खेल प्रमाण पत्र के अंकन और नामांकित कॉलेजों के गेम /स्पोर्ट्स की सूची के लिए कृपया http: //admission.du.ac.infor पर जाएं ।

□□ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल / मेमोरियल / ओपन / प्राइज मनी लीग / रैंकिंग प्रतियोगिताओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

अंकों के लिए केवल उच्चतम खेल प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।

डीयू के यूजी एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने से पहले केवल तीन साल के खेल प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।

आवेदक को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की स्वयं के द्वारा सत्यापित कॉपी अपलोड करनी होगी।

अनुबंध .VI

सीडब्ल्यू श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों का प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

5% सीटें सभी कॉलेजों में सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू)श्रेणियों के पाठ्यक्रम के तहत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

ऐसे सभी सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू)उम्मीदवारों को उचित पत्र शीर्ष पर निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी के द्वारा जारी किए जाने वाले संलग्न प्रारूप में शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।

सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।

अधिकारी.प्रभारी, रिकॉर्ड कार्यालय।

प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट।

गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कारों की प्राप्ति के लिए पुलिस कर्मियों के लिए)

निम्नलिखित क्रम में अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बच्चों / विधवाओं के लिए अधोलिखित वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिये जायेंगे:

सैनिक कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मियों की विधवाएं / बच्चे;

सैनिक कार्रवाई में निःशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे तथा सैनिक सेवा के लिए अनिवार्य क्षमता न होने के कारण सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चे;

उन रक्षा कार्मिकों की विधवाओं / बच्चे जो सेवा में रहने के दौरान मारे गए;

सेवा में रहने के दौरान निःशक्त हुए रक्षा कार्मिकों और निःशक्त होने के कारण सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चे; तथा

निम्नलिखित शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों सहित सेवारत/सेवानिवृत सैनिकों के बच्चे;

क। परमवीर चक्र

ख। अशोक चक्र

ग। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक

घ। महावीर चक्र

ड। कीर्ति चक्र

च। उत्तम युद्ध सेवा पदक

छ। वीर चक्र

ज। शौर्य चक्र

झ। युद्ध सेवा पदक

ञ। सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक

भूतपूर्व सैनिकों के विधवाएं/बच्चे ।

क . सैनिक कार्रवाई में निःशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे तथा सैनिक सेवा के लिए अनिवार्य क्षमता न होने के कारण सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चे।

ख. सेवा में रहने के दौरान निःशक्त हुए रक्षा कार्मिकों और निःशक्त होने के कारण सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चे। पूर्व.सेवा और सेवारत कार्मिक जो वीरता पुरस्कारों की प्राप्ति में हैं। (viii) सेवारत वाले कार्मिकों के बच्चे। (ix) सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

शैक्षिक छूट **प्रमाणपत्र का प्रारूप (नमूना)**

सशस्त्र बलों के कार्मिकों (प्राथमिकता I से IX) और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों (I से V) के बच्चों/विधवाओं को अधोलिखित वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिए जायेंगे ;

प्राथमिकता.I सैनिक कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाएं / बच्चे ;

प्राथमिकता .II सैनिक कार्रवाई में निःशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे तथा सैनिक सेवा के लिए अनिवार्य क्षमता न होने के कारण सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता. III उन रक्षा कार्मिकों की विधवाओं / बच्चे जो सेवा में रहने के दौरान मारे गए।

प्राथमिकता .IV सेवा में रहने दौरान अक्षम हुए रक्षा कार्मिक और सैन्य सेवा से निकाले गए कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता. V (क) निम्नलिखित शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों सहित सेवारत/सेवानिवृत सैनिकों के बच्चे;

। परमवीर चक्र

Ii अशोक चक्र

Iii सर्वोत्तम युद्ध पदक

Iv महावीर चक्र

V कीर्ति चक्र

Vi उत्तमयुद्ध सेवा पदक

Vii वीर चक्र

Viii शौर्य चक्र

Ix युद्ध सेवा पदक

X सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक

Xi उल्लेख.इन.प्रेषण

प्राथमिकता . V (ख) उन पुलिस कार्मियों के बच्चे जो वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक प्राप्त करते हैं।

प्राथमिकता – VI पूर्व सैनिकों के बच्चे।

प्राथमिकता . VII निम्नलिखित की पत्नियाँ:

I सैनिक कार्रवाई में अक्षम होने के कारण सेवा से बाहर निकाले गए रक्षा कार्मिक।

Ii सेवा के दौरान अक्षम/दिव्यांग होने के कारण सैनिक सेवा से निकाले गये कार्मिक।

Iii शौर्य पुरस्कार पाने वाले पूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी।

प्राथमिकता .VIII सेवारत कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता. Ix सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

ध्यान दें:

• सीडब्ल्यू श्रेणी के तहत लाभ केवल प्राथमिकता (v) तक के सैन्य बलों के कार्मिकों के बच्चों तक विस्तारित हो सकता है।

• बॉटनी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली .07 के पास, सम्मेलन केंद्र में दस्तावेजों के सत्यापन और अनंतिम प्रवेश पर्ची जारी करना

• प्रातः कॉलेज: सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ।;

• सायं कॉलेज: शाम 4:00 बजे से। शाम 7:00 बजे।

• • प्रवेश की मंजूरी के बाद, आवेदक को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान करने के लिए स्नातक प्रवेश पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा। यह कॉलेज द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के अगले दिन दोपहर 12:00 बजे तक किया जा सकता है।

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों (संतान पुत्र /पुत्री) का प्रवेश

विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार करने वाले कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए सभी कॉलेजों में 5% तक सीटें आरक्षित हैं।

कश्मीरी प्रवासियों के सभी बच्चों को संभागीय आयुक्त / राहत आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम कट.ऑफ अंकों में अधिकतम 10% की छूट कश्मीरी प्रवासियों को दी जाएगी।

कॉलेजों द्वारा घोषित किए जाने वाले कटऑफ के आधार पर कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों का प्रवेश होगा।

जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत चुने गए आवेदकों

छात्रों को कॉलेजों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इस श्रेणी के तहत आरक्षण उन पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है जहाँ प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है।

अनुबंध.VII

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण (पीडबल्यूडी) (अतिरिक्त सीटें)

दिव्यांग अधिनियम, 2016 के अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत (5%) से कम सीटें आरक्षित नहीं हैं, जहां "बेंचमार्क दिव्यांग वाले व्यक्ति" का अर्थ है चालीस प्रतिशत (40%) से कम नहीं है।ऐसा व्यक्ति जिसकी निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है। और इसमें विकलांगता वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों के रूप

में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विकलांगता अधिनियम, 1995 के साथ पूर्ववर्ती व्यक्ति, जिसके तहत प्रवेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पहले प्रदान किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है। विकलांगता अधिनियम, 2016 के साथ व्यक्तियों के अधिकारों की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगों की निम्नलिखित निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जन उक्त आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं।

1**. शारीरिक दिव्यांगता**

लोकोमोटर अपंगता (किसी व्यक्ति की स्वयं की गति और मांसपेशीय अथवा स्नायु प्रणाली में चोट के कारण स्वयं चलने से असमर्थ और वस्तुओं को उठाने में अक्षमता सहित विशेष कार्य या तंत्रिका तंत्र या दोनों के दुःख के परिणामस्वरूप होने वाली वस्तुओं से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ व्यक्तियों में निम्नांकित शामिल होंगे।

(क) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" का अर्थ है जिसका उपचार हुआ हो तथापि इसके बावजूद वह निम्नलिखित विकारों से पीड़ित है.

(i) हाथ या पैरों में सनसनाहट न होना अथवा आंख और पलकों में सनसनाहट न होने के साथ कोई सुस्पष्ट विरूपता न हो;

(ii) व्यक्ति में विरूपता होने के साथ.साथ उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं;

(iii) व्यक्ति के भीतर अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ.साथ और अधिक आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, तथा उपचारित "कुष्ठ रोग" को निम्नानुसार परिभाषित किया जाएगा .

(ख) "सेरीब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर के आंदोलनों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाले गैर प्रगतिशील स्नायु संबंधी स्थिति का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों के नुकसान का कारण होता है, आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद;

(ग) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) की वयस्क ऊंचाई या उससे कम है;

(घ) "मांसपेशीय विकार" का अर्थ है वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मांसपेशियों को कमजोर करता है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करता है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकता है। । यह प्रगतिशील कंकाल की

मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतक की मृत्यु की विशेषता है;

(ङ) "अम्लीय आक्रमण के शिकार व्यक्ति" का अर्थ है कि अम्लीय/तेजाब/एसिड या इसी तरह के पदार्थ अथवा ऐसे ही किसी पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमले के कारण व्यक्ति की मौत हो गई/कुरूप हो गया।

(2) **दृष्टि बाधित विकार -**

(क) "अंधापन" एक ऐसी स्थिति का अर्थ है जहां एक व्यक्ति का भरसक उपचार होने के बावजूद उसमें निम्नलिखित कमियां हो.

(i) बिल्कुल दिखाई न देना; या

(ii) यथा संभव उपचार के बावजूद आँख की दृश्य क्षमता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलेन) सीमा तक हो; या

(iii) दृष्टि क्षमता 10 डिग्री की परिधि तक सीमित हो।

(ख) "न्यून दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: .

(i) दृश्य क्षमता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम अथवा 3/60 या 10/200 (स्नेलेन) से बेहतर आंख में सबसे अच्छा संभव सुधार के साथ; या

(ii) दृष्टि क्षमता 40 डिग्री से 10 डिग्री की परिधि के बीच सीमित हो।

(ग) **श्रवण संबंधी विकार**-

(ए) "बधिर" का मतलब है कि दोनों कानों में सुनने की क्षमता 70 डीबी तक समाप्त हो गई हो;

(बी) "सुनने में मुश्किल" का अर्थ है कि दोनों कानों में सुनने की क्षमता 60 डीबी से 70 डीबी तक समाप्त हो गई हो

(सी) "भाषण और भाषा की दिव्यांगता" का अर्थ है एक स्थायी दिव्यांगता जो कि लैरींगेक्टोमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है जो कार्बनिक या स्नायु तंत्रीय कारणों के कारण भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती हैं।

2. बौद्धिक दिव्यांगता

बौद्धिक कामकाज (तर्क, सीखने, समस्या को हल करने) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा से युक्त एक शर्त, जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं.

(ए) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" का अर्थ है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें प्रसंस्करण भाषा, बोली या लिखित में कमी है, जो स्वयं को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है। और अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्क्लेकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियां शामिल हैं;

(बी) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है कि जीवन के पहले तीन वर्षों में आमतौर पर दिखने वाली एक स्नायु संबंधी.विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की बातचीत करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठान या व्यवहार से जुड़ी होती है ।

3. **मानसिक व्यवहार**

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति से सम्बंधित वह ठोस विकार जिसमें जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए सम्बंधित निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता सफल रूप से प्रभावित होती है, लेकिन इसमें दिव्यांगता शामिल नहीं है जिसके अंतर्गत व्यक्ति का मानसिक विकास रुक जाता है और उसकी योग्यता बौद्धिक असामान्यता से प्रभावित होती है।

4. **निम्नलिखित के कारण उत्पन्न दिव्यांगता**

(क) पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे .

(i) "बहु सेलिरोसिस (मल्टीपल स्केलेरोसिस)" का अर्थ है एक भड़काऊ, तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के आसपास माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे अपक्षय होता है जिसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है और अपना मंतव्य संप्रेषित करने में आड़े आने लगते हैं।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है झटके, मांसपेशियों की कठोरता, और धीमी गति से, तंत्रिका आंदोलन द्वारा चिह्नित तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी, मुख्य रूप से मस्तिष्क के स्नायु तंत्रीय विकार साथ अधेड़ और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है।

(ख) **रक्त संबंधी विकार-**

(i) "हीमोफिलिया" का अर्थ एक आनुवंशिक बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके बच्चों में प्रेषित हो जाता है, जिसके कारण सामान्य रक्त का थक्का बनना प्रभावित होता है, जिससे अवयस्क को घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ है, विरासत जनीय विकार जो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उत्पन्न होते हैं।

(iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है कि पुराने एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता एक हेमोलिटिक विकार; "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन की रिहाई होती है।

5. बहरेपन और अंधापन सहित कई दिव्यांगताएं

बहरेपन और अंधापन सहित कई दिव्यांगताएं (उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगों में से एक से अधिक) जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य क्षमता प्रभावित होती है जिसके कारण उससे गंभीर संचार विकास और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कोई अन्य श्रेणी।

दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में फीस की रियायती / माफ़ी (पीडब्ल्यूडी)

1. विश्वविद्यालय के अध्यादेश एक्स (4) में संशोधन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अध्यादेश को एक्स (4) के उप-खंड 2 के बाद जोड़ा गया है:

"बशर्ते कि शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को परीक्षा शुल्क और विश्वविद्यालय शुल्क सहित देय सभी शुल्क माफ कर दिए जाएंगे केवल प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सदस्यता और स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए पहचान पत्र शुल्क विश्वविद्यालय या कॉलेजों में अन्य कार्यक्रम सहित देय सभी शुल्क माफ कर दिए जाएंगे। "

उपरोक्त के अनुसरण में, केवल प्रवेश शुल्क , दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के संघ और पहचान पत्र शुल्क को छोड़कर, विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों, और संस्थानों / महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करने वाले शारीरिक दिव्यांग आवेदकों को फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी, जिसमें परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क शामिल हैं।

2.पीडब्ल्यूडी आवेदक जो अनारक्षित वर्ग के लिए अंतिम/पात्रता मानदंड को पूरा करने के साथ.साथ अनारक्षित श्रेणी की लागू शुल्क की भी अदायगी करेंगे।

3. दिनांक 03.11.2012 के अनुपालन में कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या 50 में यह अधिसूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों / हॉलों में रहने वाले शारीरिक विकलांग छात्रों को सभी छात्रावास के शुल्क और शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। मेस की फीस। शारीरिक विकलांग छात्रों के व्यक्तियों को मेस शुल्क का 50% भुगतान करना

होगा और शेष 50% मेस फीस पीडब्ल्यूडी छात्रों के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मिल रही है। कॉलेजों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पीडब्ल्यूडी छात्रों के संबंध में कॉलेजों द्वारा इसी तरह के मानदंड अपनाए जाने हैं।

यह आगे स्पष्ट किया गया है कि जिन पीडब्ल्यूडी छात्रों को फ़ेलोशिप / वित्तीय सहायता मिल रही है, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क / प्रभार / मेस फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी:

फीस माफी का मूल्य छूट आदि।

रु. 3000/- प्रति माह शुल्क छूट + 50% मेस सब्सिडी

रुपये 3001 से 8000 प्रति माह शुल्क छूट लेकिन कोई मेस सब्सिडी नहीं

रुपये प्रति माह 8001 या उससे अधिक कोई शुल्क नहीं और कोई छात्रावास की सब्सिडी नहीं

कॉलेजों में सभी एससी / एसटी, ओबीसी, इडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी छात्र, जो फेलोशिप के लिए पात्र हैं, को समय पर प्रसंस्करण के लिए फरवरी तक अपना छात्रवृत्ति प्रपत्र आवश्यक कार्यालय में जमा करना होगा ताकि उन पर समय पर कार्रवाई हो सके।

अनुबंध.VIII

वार्ड कोटा के लिए सीटों का आरक्षण (अतिरिक्त सीटें)

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की स्थायी सेवा के शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों कर्मचारियों के बच्चों को विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में, व्यावसायिक कार्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जहां प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होता है, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। :

(क) कॉलेज में कर्मचारियों के वार्ड (बेटे / बेटियों) के प्रवेश के लिए, जहां कर्मचारी ऐसे उम्मीदवारों के बीच योग्यता के आधार पर काम कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता की स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में साठ छात्रों तक की प्रत्येक इकाई के लिए स्थान होता है।

(ख) विश्वविद्यालय / अन्य कॉलेजों (शिक्षण / गैर शिक्षण) के कर्मचारियों के वार्ड (बेटे / बेटियों) के प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए सीटों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी (शिक्षण के लिए तीन और गैर शिक्षण के लिए तीन) ऐसे उम्मीदवारों के बीच योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में साठ छात्रों तक की प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम एक स्थान होता है और पाठ्यक्रम विशिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन होते हैं।

उपरोक्त मानदंडों पर प्रवेश सामान्य गणना से अधिक स्थानों के खिलाफ होगा।

वार्ड कोटे के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। उन्हें उस सूची से कॉलेजों को चुनने की आवश्यकता है जिसके लिए वे पंजीकरण के समय को लागू करना चाहते हैं। वार्ड कोटा के तहत प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। वार्ड कोटा के तहत प्रवेश की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी।

अनुबंध. IX

दिल्ली विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण अध्यादेश

सफल आवेदकों को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का पालन करना होगा और प्रवेश के समय इस आशय का लिखित वचन देना होगा। महत्वपूर्ण अध्यादेशों के कुछ सार यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्यादेश XV**-बी** : **विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन का रखरखाव**

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति के पास निहित होती हैं।

2. कुलपति सभी या ऐसी शक्तियां सौंप सकते हैं, क्योंकि वह प्रॉक्टर के लिए उचित है और अन्य व्यक्तियों को भी वह इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

3. अध्यादेश के तहत अनुशासन को लागू करने के लिए शक्ति की व्यापकता के पक्षपात के बिना सकल अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए निम्नलिखित परिणाम होगा:

(क) शारीरिक हमला या किसी भी संस्थान / विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के किसी भी सदस्य के खिलाफ और दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र के खिलाफ शारीरिक बल का उपयोग करने की धमकी।

(ख) किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी देना, या उसका इस्तेमाल करना।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन।

(घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन।

(ड) महिलाओं के अपमानजनक किसी भी प्रथा चाहे मौखिक हो या अन्यथा।

(च) किसी भी तरीके से रिश्वत या भ्रष्टाचार पर कोई प्रयास।

(छ) संस्थागत संपत्ति का इच्छित विनाश।

(ज) धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर अ-इच्छा या असहिष्णुता पैदा करना।

(झ) विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कामकाज के किसी भी तरीके से व्यवधान डालना;

(ञ) अध्यादेश XV-सी के अनुसार रैगिंग का निषेध।

4. अनुशासन के रखरखाव से संबंधित उसका / उसकी शक्तियों की व्यापकता के पक्षपात के बिना और अनुशासन को बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करना जो उसे उचित लग सकता है,

कुलपति, अपनी शक्तियों के प्रयोग में आदेश या किसी भी छात्र या छात्रों को निर्देशित कर सकते हैं

(क) निष्कासित किया जाना; या

(ख) एक घोषित अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है; या

(ग) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, एक कॉलेज, विभाग या विश्वविद्यालय के संस्थान में अध्ययन के कार्यक्रमों या कार्यक्रमों में भर्ती नहीं करना; या

(घ) निर्दिष्ट रु.राशि के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है; या

(ड) एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा लेने से वंचित किया जा सकता है; या परीक्षा में संबंधित छात्र या छात्रा का परिणाम जिसमें वह या वे उपस्थित हुए हैं रद्द किया जा सकता है।

5. संबंधित विभागों में संस्थान, हॉल और शिक्षण। वे अपने कॉलेजों, संस्थानों या विभागों में ऐसे शिक्षकों के माध्यम से उनके अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।

6. उपकुलपति और प्रॉक्टर की शक्तियों पर पूर्वग्रह के बिना पूर्वोक्त रूप से अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियमों को तैयार किया जाएगा। इन नियमों को जहां आवश्यक हो, इस विश्वविद्यालय में कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, हॉल के प्रमुखों, संकायों के डीन और शिक्षण विभागों के प्रमुखों द्वारा लागू किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र से इन नियमों की एक प्रति प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि प्रवेश पर वह कुलपति और विश्वविद्यालय के कई प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करता है, जो अनुशासन का पालन करने के लिए प्राधिकारी के साथ निहित हो सकता है। अधिनियमों के तहत कानून, अध्यादेश और नियम जो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए हैं।

अध्यादेश XV-सी: रैगिंग के लिए निषेध और सजा

1. कॉलेज / विभाग या संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी हिस्से के साथ.साथ सार्वजनिक परिवहन के परिसर के भीतर किसी भी रूप में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

2. रैगिंग के किसी भी व्यक्ति या सामूहिक कृत्य या अभ्यास से घोर अनुशासनहीनता होती है और उसे इस अध्यादेश के तहत निपटा जाएगा।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए रैगिंग का अर्थ है किसी भी कार्य, आचरण या अभ्यास से जिसके द्वारा छात्रों की प्रमुख शक्ति या स्थिति को नए सिरे से नामांकित छात्रों या उन छात्रों पर सहन करने के लिए लाया जाता है जो किसी भी तरह से अन्य छात्रों के साथ कनिष्ठ या हीन समझे जाते हैं; और इसमें निम्नलिखित व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या अभ्यास शामिल हैं:

(क) शारीरिक बल का उपयोग करना या शारीरिक हमला या धमकी देना।

(ख) महिला छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करना।

(ग) अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन करना।

(घ) छात्रों का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करना।

(ड) संपूर्ण मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अश्लील इशारे और अश्लील व्यवहार।

4. कॉलेज के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रमुख, कॉलेज या विश्वविद्यालय हॉस्टल या हॉल के अधिकारियों को रैगिंग की घटना की किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

5. उपर्युक्त खण्ड में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, प्रॉक्टर किसी भी घटना के बारे में पूछताछ कर सकतें हैं, रैगिंग और घटना की प्रकृति में शामिल लोगों की पहचान के बारे में कुलपति को रिपोर्ट कर सकतें हैं।

6. प्रॉक्टर रैगिंग के अपराधियों की पहचान और रैगिंग की घटना की प्रकृति को स्थापित करने वाली एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकतें हैं।

7. यदि किसी कॉलेज के प्राचार्य या विभाग के प्रमुख या संस्थान या प्रॉक्टर संतुष्ट हैं कि किसी कारण से इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, तो इस तरह की पूछताछ करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए वह उप.कुलपति को सलाह दे सकतें हैं।

8. जब उप-कुलपति संतुष्ट हो जातें हैं कि इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।

9. खंड (5) या (6) के तहत एक रिपोर्ट मिलने पर या खंड 3 (ए), (बी) और (सी) में वर्णित रैगिंग की घटनाओं की घटना का खुलासा करते हुए खंड (7) के तहत संबंधित प्राधिकरण द्वारा एक निर्धारण प्राप्त होने पर कुलपति किसी निर्दिष्ट वर्षों के लिए किसी छात्र /छात्रा को निष्कासन का आदेश दे सकते हैं।

10. कुलपति रैगिंग आदेश के अन्य मामलों में ऐसे आदेश या निर्देश दे सकते हैं कि किसी भी छात्र या छात्रा को निष्कासित कर दिया जाए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, कॉलेज में अध्ययन के एक कार्यक्रम में, एक या अधिक वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा में प्रवेश न दिया जाए अथवा परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्राओं के परिणाम निरस्त कर दिए जाएं।

11. यदि कोई छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर चुका है, दोषी पाया जाता है;तो इस अध्यादेश के तहत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई उपाधि या डिप्लोमा को वापस लेने के लिए क़ानून 15 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

12. इस अध्यादेश के उद्देश्य से, रैगिंग के लिए किसी भी कृत्य के माध्यम से, रैगिंग के अभ्यास या उकसावे के लिए भी रैगिंग की सजा दी जाएगी।

13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के तहत जारी आदेशों / निर्देशों को पूरा करने और अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए कुलपति को सहायता देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

अध्यादेश XV-सी के अनुसरण में कुलपति का आदेश: जहां इस अध्यादेश के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा कुलपति को रैगिंग करने की घटना की सूचना कुलपति को दी जाती है, वह रैगिंग में शामिल छात्रों को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर सकते हैं। आदेश में निर्दिष्ट है। रैगिंग की रिपोर्टों में शामिल गैर-छात्रों को भारत के आपराधिक कानून के तहत आगे बढ़ाया जाएगा; उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन प्राप्त करने से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों के खिलाफ इस टिप्पणी के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ बाद में निर्णायक सुनवाई दी जाएगी।

कार्य XV-डी / कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (कानून और न्याय का मंत्रालय)

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और आकस्मिक चिकित्सा से जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम प्रदान करता है।

अनुबंध X

गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूइवी) में प्रवेश

गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईवी) उन हजारों युवतियों को सक्षम बनाता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए शनिवार / रविवार को और शैक्षणिक अवकाश के दौरान कक्षाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न कारणों से नियमित कॉलेज में शामिल नहीं हो सकती हैं। एनसीडब्ल्यूइबी, एनसीटी दिल्ली की महिला छात्रों को नियमित कक्षाओं में भाग लेने के बिना सप्ताह में एक बार कक्षा लेने के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा देने की सुविधा प्रदान करता है। एनसीडब्ल्यूइवी महिला छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक विकल्प के रूप में उभरा है। एनसीडब्ल्यूइवी अब लगभग 26,000 छात्रों के साथ 26 स्नातक केंद्रों और एक स्नातकोत्तर केंद्र में स्थापित है। 26 स्नातक केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में चलते हैं।

धारा 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली महिला आवेदकों को केंद्रीकृत यूजी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। बी.ए. में प्रवेश के लिए उन्हें गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड के शिक्षण केंद्रों द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। बी.ए. प्रोग्राम / बी.कॉम प्रोग्राम तीन वर्ष के लिए अनुसूची के अनुसार कट ऑफ घोषित करके योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

गैर कॉलेजिएट छात्रों को एक साथ किसी भी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति नहीं है।

एनसीटीबी दिल्ली में रहने वाली इच्छुक महिला आवेदक एनसीडब्ल्यूइवी में पेश किए गए पाठ्यक्रमों के चयन के लिए स्वचालित रूप से एनसीडब्ल्यूइवी में नामांकित हैं, या तो बी.ए. प्रोग्राम / बी.कॉम प्रोग्राम अथवा दोनों। चूंकि यहाँ कक्षा-कक्ष और शिक्षण उपलब्ध है, इसलिए कोई लिखित सामग्री नहीं दी जाती है। छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद है क्योंकि न्यूनतम 66.67% उपस्थिति को विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है, जो कि मई महीने में सालाना आयोजित की जाती हैं। एनसीडब्ल्यूइवी स्नातक छात्रों को उनके बी.ए./बी.कॉम को पूरा करने की अनुमति है। 6 साल में तीन साल का यूजी डिग्री कोर्स। बोर्ड संबंधित शिक्षण केंद्रों में सभी स्नातक छात्रों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है और स्नातकोत्तर के लिए पुस्तकालय कला संकाय भवन, उत्तरी परिसर में स्थित है। बोर्ड जरूरतमंद और योग्य छात्रों को शैक्षणिक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता और पुस्तक ऋण सुविधा देता है। एक शैक्षणिक सत्र वर्ष में 50 शिक्षण दिवस होते हैं, या तो शनिवार या रविवार को आयोजित किए जाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अवकाश के दौरान। स्नातक केंद्रों पर कक्षाएं सुबह 9 बजे से

दोपहर 2.00 बजे तक आयोजित की जाती हैं, प्रत्येक कक्षा 60 मिनट की होती हैं और कुल 5 कक्षाएं होती हैं। गैर कॉलेजिएट छात्रों को पढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को अतिथि संकाय के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। शिक्षण के गैर कॉलेजिएट पाठ्यक्रम का एक प्रमुख लाभ इसकी कम लागत और शैक्षणिक संस्थानों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग है। छात्रों को एनएसडीसी के सहयोग से आयोजित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जो प्लेसमेंट से जुड़े होते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियाँ छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए एक नया क्षितिज हासिल करने की दिशा में, एनसीडब्ल्यूइबी महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे, लेकिन आश्वस्त कदम उठा रही है। यह समग्र विकास प्रदान करने के साथ.साथ सामाजिक और सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो कि महिलाओं के दिमाग को शिक्षित करने के लिए शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनके रोजगार में वृद्धि करता है, जिससे एक समतावादी समाज का उदय होता है।

अनुबंध . XI

आंतरिक शिकायत समिति

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (रोकथाम, निषेध और उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न का निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया गया है जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों को बाध्य कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर हैंडबुक" भी प्रकाशित किया है, इस पुस्तक में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसकी रोकथाम, निषेध और वैश्विक मानकों और अच्छी प्रथाओं के साथ निवारण जैसे मुद्दों का वर्णन है। इस संबंध में निम्नलिखित 5 जुलाई 2016 को यूजीसी के पत्र न.एफ.91 / 9/2015 (जीएस / एमएचआरडी) के संदर्भ में, कॉलेज ने उपरोक्त विनियमों के तहत एक लिखित आदेश के माध्यम से एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति एक समुदाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें छात्र, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी हिंसा, उत्पीड़न, शोषण और धमकी से मुक्त वातावरण में एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव शामिल हैं।

महाविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्यार्थियों की विचार गोष्ठी - दिनांक : 15 जून 2019

2. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर यूपीए योगा सत्र - दिनांक : 21 जून 2019

3. यूजीसी द्वारा अनुदान प्राप्त राष्ट्रीय सेमिनार "मीडिया और लोकतंत्र"- दिनांक : 18-19 सितम्बर 2019

4. यूजीसी द्वारा अनुदान प्राप्त राष्ट्रीय सेमिनार "ब्रेकिंग साइलेंस : हिस्ट्री, पोलिटिक्स एंड साइकोलोजी" - 23-24 अक्टूबर 2019

5. "स्मार्ट फोन फिल्म मेकिंग वर्कशॉप :- फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे भारत। दिनांक : 6-14 अक्टूबर 2019

वर्तमान आइसीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

डॉ. अलका हरनेजा (संयोजक)
डॉ. सुचेता चतुर्वेदी (शिक्षक प्रतिनिधि) डॉ. रंजीत कौर (शिक्षक प्रतिनिधि) डॉ. बुलबुल दास (बाहरी सदस्य)
श्री मनोज कुमार (वरिष्ठ सहायक लेखा) श्री ध्रुव पाल (सहायक व्यवस्थापक)।
ई.मेल: info/lb.du.ac.in
https://lakshmibaicollege.in

फोटो गैलरी

विश्वास प्रोजेक्ट वजीरपुर गाँव

एनसीसी गतिविधियाँ

Drill display on the occasion
7DGBN
LAKSHMIBAI COLLEGE

SURGICAL
STRIKE
Motivational vedio and celebration of surgical strike
7GDBN
LAKSHMIBAI COLLEGE
29.09.2018

लक्ष्मीबाई कॉलेज में मीडिया

पंजीकरण शुल्क जमा कराने के बाद ईसीए-स्पोर्ट्स में आवेदन संभव नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के ऑनलाइन आवेदन फार्म में विद्यार्थी ईसीए (एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी) व स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिला आवेदन को लेकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दोनों कोटे के तहत अलग-अलग आवेदन करना है या एक ही फॉर्म में आवेदन करें। विद्यार्थियों की ऐसी परेशानी पर एक्सपर्ट की सलाह है कि वे परेशान नहीं हों।

एक ही ऑनलाइन फार्म है, उसी से ईसीए व स्पोर्ट्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह ध्यान रखना है कि पंजीकरण शुल्क जमा कराने के बाद ईसीए व स्पोर्ट्स में आवेदन संभव नहीं होगा।

डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ प्रत्युष वत्सला ने कहा कि अक्सर छात्र असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्पोर्ट्स व ईसीए कोटे के दाखिलों के लिए अलग से फार्म भरना पड़ता है। लेकिन उन्हें अलग से फार्म नहीं भरना है। सभी तरह के यूजी कोर्सेज के लिए एक ही ऑनलाइन फार्म है। इस ऑनलाइन आवेदन फार्म में सब जानकारी भर कर एक बार पंजीकरण शुल्क 250 रुपये जमा करा दिया, तो इस फार्म में ईसीए व स्पोर्ट्स कोटे के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा।

एक्सपर्ट सलाह

डॉ प्रत्युष वत्सला

How Lakshmibai College is producing baseball star

SUKRITA BARUAH
NEW DELHI, FEBRUARY 2

ON THE grounds of Delhi University's Lakshmibai College, a group of students practise baseball for three hours every morning. On January 17, the Delhi women's team had won the Senior National Baseball Championship – and eight of its

equipment is provided college. The players rece coupons every day to b juice and eggs for their m Without this support, the girls would not ha able to afford to play." h

Faculty members also and pool together mone the annual fees of these which comes to Rs 8,00 for its BA, BCom and BSc "These are not scholarsh

लक्ष्मीबाई कॉलेज में खुलेगा स्वास्थ्य केंद्र

मिशन एडमिशन

सेंट स्टीफंस

मिशन एडमि

प्रोजेक्ट बनाने में नकल की तो चोरी पकड़ी जाएगी

लक्ष्मीबाई कॉलेज में वार हीरोज को समर्पित दीवार

Padgirls use free period to start a revolution

They teac to make t

DU adds colour to its vision of Bapu

Varun stirs up a storm at Lakshmibai College

युवा संसद

स्वच्छता और हरित मिशन

Annual Fest "HELIX" 2K19

अनुभवी आगंतुक

Faculty Development Programme
"Paradigm Shift in Higher Education"

रचनात्मक कोर्नर

Creativity at Work. Wall Graffiti by Apparel Designing Students of Lakshmibai College.

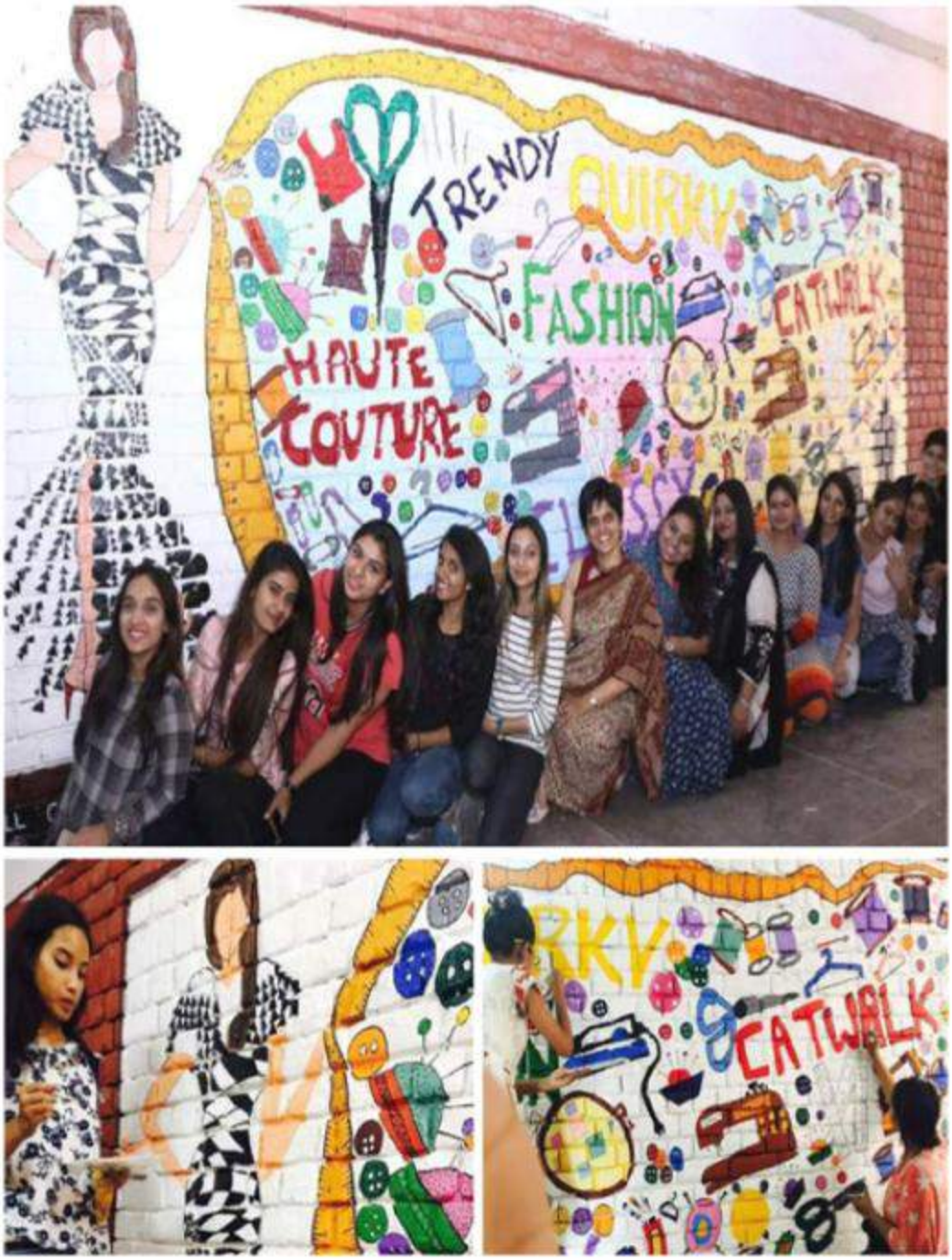

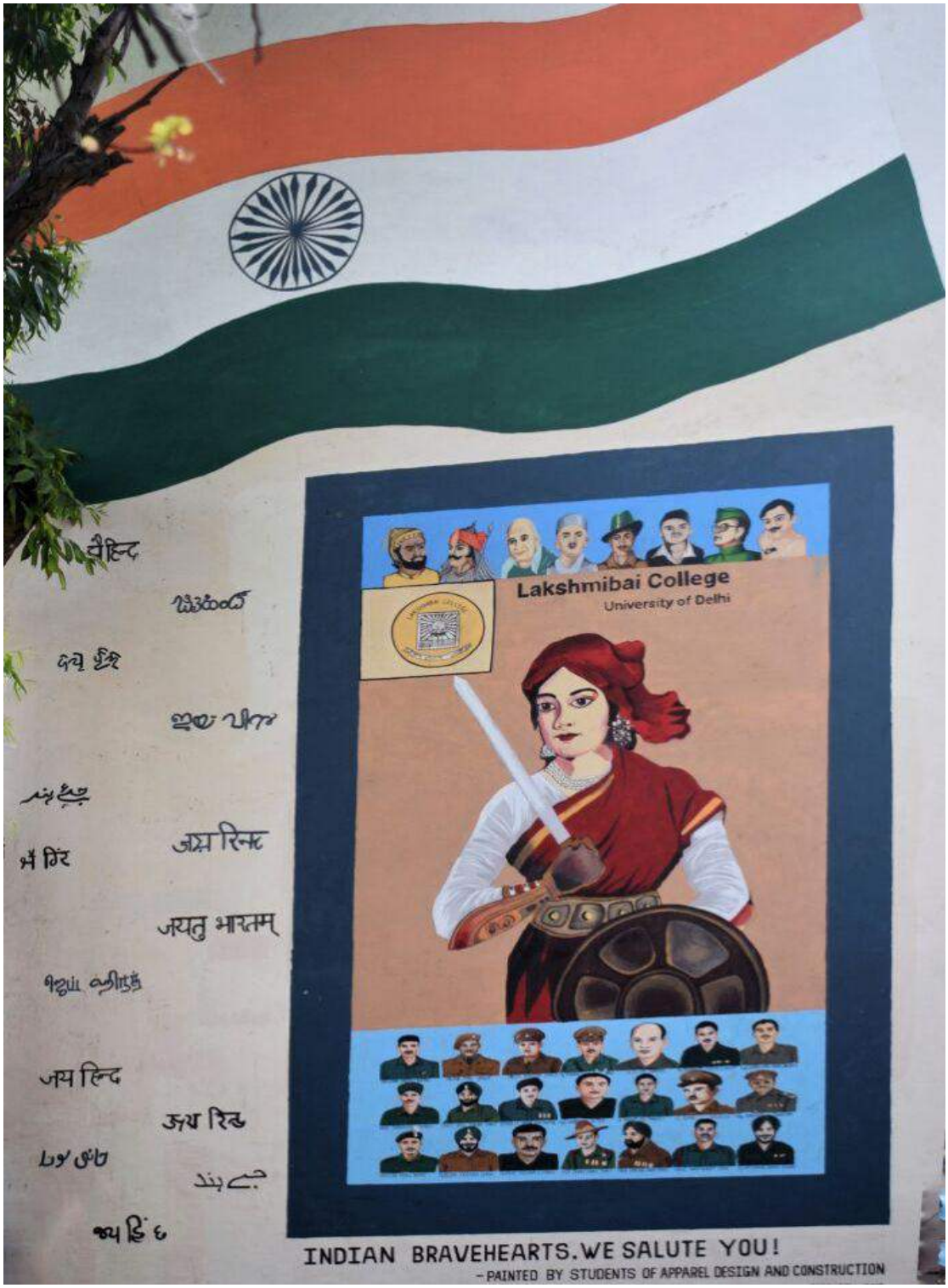

लक्ष्मीबाई कॉलेज अशोक विहार फेज III, दिल्ली .110052

कॉल: (91) -011-27308598 Email-info@lb.du.ac.in

http://lakshmibaicollege.in/